खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-02) अंक-84

शुक्रवार 08 जून, 2018 18 ज्येष्ठ, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-02) में अंक 82 से अंक 85 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–02)	शुक्रवार, 08 जून, 2018 / 18 ज्येष्ठ, 1940 (शक)	अंक–84

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री संजीव झा
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचन्द्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्रीमती बंदना कुमारी
11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री शिव चरण गोयल

उपस्थित सदस्यों की सूची तर 2 08 जून, 2018

19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
21. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
22. श्री महेन्द्र यादव
23. श्री गुलाब सिंह
24. सुश्री भावना गौड़
25. श्री सुरेन्द्र सिंह
26. श्री विजेन्द्र गर्ग
27. श्री प्रवीण कुमार
28. श्री मदन लाल
29. श्री सोमनाथ भारती
30. श्रीमती प्रमिला टोकस
31. श्री नरेश यादव
32. श्री प्रकाश
33. श्री अजय दत्त
34. श्री दिनेश मोहनिया
35. श्री सौरभ भारद्वाज
36. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
37. श्री सही राम
38. श्री नारायण दत्त शर्मा
39. श्री अमानतुल्लाह खान
40. श्री मनोज कुमार
41. श्री नितिन त्यागी
42 श्री ओम प्रकाश शर्मा
43. श्री एस.के. बग्गा
44. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
45. श्री श्रीदत्त शर्मा
46. चौ. फतेह सिंह
47. श्री जगदीश प्रधान
48. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–02) शुक्रवार, 08 जून, 2018 / 18 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक–84

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या–41 श्री एस.के.बग्गा जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हैं जी?

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी मेरा नियम– 54...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किस पर?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जो कल वाला इशू था। कल भी आपने कहा, जवाब नहीं आया।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, अब तो ...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमने आपको कॉपी भी...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गर्गः अध्यक्ष जी, यूपी के कानपुर में एक हॉस्पीटल में

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इस फाइल की मूवमैंट हमने...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गर्गः क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, उनको श्रद्धाजंलि अर्पित करना, मैं समझता हूँ...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इस फाइल की मूवमेंट और 14 तारीख को फाइल सरकार के पास... ...(व्यवधान) 14 सितम्बर को, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ठीक है, मैं देख लूंगा इसको।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, एक सेकण्ड। या तो आप बोल लीजिए या बोल लें...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मेरा 54 पर लगा हुआ है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किसमें? अगर इसको आपको देना है, आपको लगता है प्रिविलेज है, प्रिवलेज की रूलिंग के अंदर इसको...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए एक बार, विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, एक सैकंड। मुझे इनको बात कर लेने दीजिए, दो मिनट रुक जाइए। देखिए, सिरसा जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलेंगे, काम चलेगा नहीं।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक में भी नहीं आया ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप दो क्या, दोनो पैरों में भी लेकर चलना चाहते है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है प्रिविलेज का मैटर है, प्रिविलेज का रूलिंग है 66, उसके अंतर्गत आप नोटिस दीजिए मुझे, फिर आप प्रिविलेज में वो आते हैं, आप आते हैं...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमें तो जन लोकपाल ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, जन लोकपाल का क्या बताऊँ? नहीं, उसमें क्या बताऊँ? जन लोकपाल... आप बताइए मुझे... प्रिविलेज...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब ये अपनी बात से मुड़ रहे है। मुझे पता है 66 में, अभी प्रिविलेज की बात कर रहे थे, अभी प्रिविलेज से पीछे हट रहे हैं। मुझे मालूम है, आप प्रिविलेज का नोटिस...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप प्रिविलेज से पीछे हट रहे है अब, छोड़िए। आपका हर दिन का ये ही ...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बताइए जन लोकपाल का क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई मैं कह रहा हूँ, प्रिविलेज का आपको लगता है, नोटिस दीजिए, प्रिविलेज ...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं ऐसे नहीं बात करूँगा, ना।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बात तो करनी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः रोज का आपका समय... आपने रोज का समय खराब करने का...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं तो इन्वाइट कर रहा हूँ आपको, प्रिविलेज का नोटिस दीजिए 66 में।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सब चिंताएँ हैं।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मतलब बोलना बंद कराना है क्या हमारा? हमें चिटकनियाँ दे दो, हमारा मुँह बंद कर दो। कोई कहता है, "जी... 66 में इनको टाँग दो, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, आपसे प्रार्थना है, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सदन को नियम ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या 54 का इशू है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या है 54 का इशू?

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अरे यार! ये माइक खोल दे ना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रुक जाइए अभी।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः सर, मेरी वो 66 की एप्लीकेशन...

...(व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, बहुत टाइम वेस्ट होता है।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः विधान सभा में टाइम ही तो वेस्ट होता है ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इसमें 54 का कौन सा बन गया, इसमें 54 क्या है?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसमें 54 ये है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कौन सा?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः न, कोई नहीं, न, छोड़िए...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जन लोकपाल ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, कोई 54 नहीं है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं 54 में इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं रूलिंग दे रहा हूँ। मैं 54 में इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा मैं... तो कौन सा लोक पाल करेंगे?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये भी कह दो कि जन लोकपाल तो लागू होगा नहीं।

माननीय अध्यक्षः एकतालिस, प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या एकतालिस, बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः प्रश्न नंबर 41 का प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें:

माननीय अध्यक्षः और पीछे चले जायें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्यों चाहते हो? आप ये चाहते हो, लेकिन कम से कम जो जन लोकपाल बिल का स्थगित हुई। हम क्यों उम्मीद रखते नहीं थे कि जन लोक पाल बिल पे जिसने दो साल उस पर बयान आयी, वो समय तब भी सरकार गिराई, 2015...

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, आप सदन का समय... 15 मिनट से बोल रहे हैं। 15 मिनट हो गये हैं। 15 मिनट हो गये हैं आपको, 15 मिनट। बार बार ये... मैं... अच्छा कर रहे हैं, आप लोग? कल आप बोल रहे थे, कल बोल रहे थे कि प्रिविलेज का मैटर बनता है। मैंने कहा प्रिविलेज को नोटिस दीजिये, आज आप प्रिविलेज ... कर रहे है, तो आपको मालूमात है खुद गिरेंगे, खुद फंसेंगे प्रिविलेज में, इसलिए, अब मैं पढ़ लूँगा। अब मैं क्या पढ़ूँ? आप... प्रिविलेज में नोटिस दीजिए न मुझे, अगर मंत्री जी ने गलत बोला, प्रिविलेज में नोटिस दीजिए। आप खुद फंस रहे हैं उसमें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या एकतालिस।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी प्लीज, प्लीज, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पहले बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः सर, रोज का ड्रामा है। सर, ये गलत बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः अब... उनको... मुझे मालूम है, जाना है उनको।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री नितिन त्यागीः सर, उनको जाने दीजिए। आप ये बता दीजिए, मैंने रूल–66 में, रूल–66 में आपको एक एप्लीकेशन दी थी, उस पर क्या हुआ?

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः सर, मैंने रूल 66 में आपको एक एप्लीकेशन दी थी, उसका क्या हुआ था, सर बता दो।

माननीय अध्यक्षः लेता हूँ, मैं लेता हूँ।

श्री नितिन त्यागीः विजेन्द्र गुप्ता जी के खिलाफ है, प्रिविलेज में झूठ बोलते हैं।

तारॉंकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–41, बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः प्रश्न नंबर–41 का प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें:

क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

क) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में टूटे हुए बस शेल्टर कब तक ठीक कर दिए जाएंगे;

ख) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में बस सेवाओं में वृद्धि कब तक की जाएगी क्योंकि इस समय वहाँ बसों की बहुत कमी है;

ग) झील बस स्टैंड स्थित पास सेंटर को कब तक कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा;

घ) सरकार द्वारा न्ई बसों की खरीद कब तक की जाएगी;

ङ) इस समय सड़क पर चल रही डीटीसी बसों की वास्तविक संख्या क्या है; और

च) कितनी डीटीसी बसों में मरम्मत का कार्य चल रहा है?

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–41 का उत्तर इस प्रकार हैं:

क) दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गयी है, जो कि लागत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन को ध्यान में रखते हुए मैं हिन्दी में अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के साथ जो हिन्दी में लिखा

है, अधीन ये काफी टेक्निकल हिन्दी के शब्दों का प्रयोग कर दिये गये हैं, तो बेसिकली एक कमेटी कंस्टीट्यूट की गयी है बस क्यू शेल्टर को दोबारा एक बार एनालाइज करने का और 1397 बस क्यू शेल्टर थ्रू डिजाइन एण्ड बिल कम्पीटिशन बाई इनकॉरपोरेटिंग कॉस्ट एनर्जी टेक्लॉलोजी यूनिवर्सल ह्यूमन कंफर्ट कॉस्ट इफैक्टिवनेस एण्ड बोगस डिजाइन और इसमें इसके साथ साथ इसमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, डीटीआईडीसी के, आईटीडीपी और ऑर्किटेक्ट जो हैं, मेम्बर हैं और ये टेक्निकल कमेटी जो है, ये शेल सबमिट रिक्वायरमेंट्स एण्ड परफोर्मेंस स्पेसिफिकेशन आफ बीक्यूएस ऐज वेल ऐज ड्राफ्ट इन ऐ डाक्युमेंट फॉर डिजाइन एण्ड बिल्ट कांपिटिशन बाई 25 जून 2018 विद फ्लोटिंग ऑफ टेंडर्स बाई 25 जुलाई, 2018।

The committee will evaluate the bills as per evaluation criteria that balance both cost with superiorities of design and shortlist it later with highest ranking and negotiate as per terms of the … document तो ये कमेटी अध्यक्ष महोदय, दो मीटिंग ऑलरेडी कर चुकी है और जैसा कि मुझे बताया गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा नेकस्ट वीक में इसकी फाइनल मीटिंग हैं और आई एम क्वाइट होपफुल कि जो टाइम लाइन, जिसमें दिये गये हैं, उसको हम वेट करेंगे और ये जो ऑर्डर है एलोंग विद द टाइम लाइन्स, ये सदन के रिकॉर्ड में ले लिया जाये।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अभी इनका पूरा होने दीजिए। हो गया?

माननीय परिवहन मंत्रीः

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़ों में बसों की वृद्धि होने पर जाँच उपरांत इस क्षेत्र के रूटों पर बस सेवा में वृद्धि की जा सकती है;

ग) झील बस स्टेंड स्थित पास सेंटर को कंप्यूटरीकृत करने की योजना बनायी गयी थी, परंतु वहाँ पर कुल दैनिक पासों की संख्या अधिक नहीं

होने के कारण इस पास सेंटर का कंप्यूटरीकरण नहीं हो सका है। भविष्य में दिल्ली परिवहन निगम ऑन लाइन पास की सुविधा उपलब्ध करने जा रही है;

घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 15/03/2018 को 100 स्टैंडर्ड साइज बसों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जिसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। परिवहन विभाग द्वारा कलस्टर सेवा के अंतर्गत 1000 स्टैण्डर्डस फ्लोर हाइट की बसों को चलाने के लिए आमंत्रित की गयी निविदाओं पर अंतिम निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है। इन 2000 स्टैण्डर्स फ्लोर हाइट की बसों पर अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पर निर्भर होगा।

ङ) वर्तमान में दिल्ली परिवहन के बेड़ों में कुल 3882 बसें हैं, जिसमें 3781 लो फ्लोर व 101 स्टेंडर्ड साइज बसें है। दिल्ली परिवन निगम की लो फ्लोर बसों का दैनिक अनुसूचित परिचालन प्रतिशत निम्न प्रकार हैं:—

कार्य दिवस में (सोमवार से शुक्रवार)		शनिवार		रविवार व राजपत्रित अवकाश	
प्रातः	सायं	प्रातः	सायं	प्रातः	सायं
95 प्रतिशत	90 प्रतिशत	85 प्रतिशत	75 प्रतिशत	70 प्रतिशत	60 प्रतिशत

च) डीटीसी बसों में मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार प्रतिदिन बदलता रहता है, इसलिए मरम्मत होने वाली बसों की संख्या में वृद्धि या कमी होती रहती है, जिसके कारण सारी बसों को नियमित रख—रखाव के कारण बाहर/आउट शेडिंग नहीं निकाला जा सकता है। उदाहरणतः दिनांक 25/5/2018 से 31/05/2018 की सूची संलग्न 'क' पर है।

संलग्नक - "क"

Q no 41

Details of buses which were not outsheded due to maintenance work.

Date	Fleet	Sch. O/s	Act. O/s	Short in W/S
25.05.2018	3885	3645	3602	41
26.05.2018	3885	3263	3258	4
27.05.2018	3885	2685	2682	3
28.05.2018	3885	3645	3610	34
29.05.2018	3885	3645	3597	44
30.05.2018	3885	3645	3598	47
31.05.2018	3885	3648	3603	45
G. Total	**27195**	**24176**	**23950**	**218**

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी, झा साहब।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, ये जो बस शेल्टर का इश्यू है, पिछले तीन साल से हम सब लोग सुनते रहे हैं कि अलग अलग मॉडल पे काम किया जा रहा है। बड़ी सुन्दर हिन्दी लिखी गयी हैः

सार्वभौमिक, मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन वगैरह–वगैरह–वगैरह, लेकिन आज तक कोई ठोस मॉडल नहीं अपनाया गया, तो क्या मंत्री जी कोई टाइम लाइन बतायेंगे?

अब जो आप ये कह रहे हैं कि निविदा कब आ जाएगी, टेंडर कब हो जायेगा और एक्जीक्यूट कब हो जायेगा। अगर टाइम–लाइन नहीं बताएंगे, पिछले चार साल से यही होता रहा है, तो कृपया टाइम लाइन बता दें आप?

माननीय परिवहन मंत्रीः टाइम–लाइन जो... अध्यक्ष महोदय, टाइम लाइन की जो बात कर रहे हैं संजीव भाई, इसलिए मैं जो लास्ट पैरा यहाँ ऑर्डर का, वो पढ़ा है, स्पेशियली कि 'ऑल सिन्सियर ऐफर्टस शेल बी मेड' कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट, अभी जो ये कमेटी जो टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करेगी कि 25 जून तक यह टैंडर डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जायेगा, उसके बाद जहाँ जहाँ से सेंक्शन आ रहे हैं, परमिशन आनी है, बिकॉज द फाइल विल कम टू द मिनिस्टर एण्ड देन इट विल बी प्लेस्ड बिफॉर द केबिनेट आलसो।

माननीय अध्यक्षः नहीं नहीं, एक सैकंड। ये एक मेरे पास एक ऑर्डर आया है...

माननीय परिवहन मंत्रीः जी।

माननीय अध्यक्षः इस ऑर्डर में आपने डेट मेंशन किए हैं।

माननीय परिवहन मंत्रीः लास्ट पैरा देखिये, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः हाँ।

माननीय परिवहन मंत्रीः लास्ट।

माननीय अध्यक्षः हाँ, इसमें ऑलरेडी मेन्शंड है।

माननीय परिवहन मंत्रीः मेन्शंड है, जी।

माननीय अध्यक्षः हाँ, ये सदन के पटल पर रख दीजिए ताकि ये... ये मिल गया होगा। ये रखवा दीजिए इस सदन पर।

माननीय परिवहन मंत्रीः ये एक्चुअली आई थिंक किसी भी कारण से मिस हो गया था, इसलिए कुछ कॉपी...

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप रख दीजिए ताकि ये सदन का डॉक्यूमेंट बन जाये।

माननीय परिवहन मंत्रीः जी।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। और सप्लीमेंटरी, बग्गा जी ने हाथ खड़ा नहीं किया।

श्री एस.के. बग्गाः यस सर, किया था, किया था।

माननीय अध्यक्षः किया था, बग्गा जी। हाँ।

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष जी, जब तक बसों का अरेंजमेंट नहीं होता, तब तक कोई प्राइवेट बसें कॉटेक्ट करने का विचार है, दिल्ली गर्वनमेंट का, डीटीसी डिपार्टमेंट का?

माननीय परिवहन मंत्रीः प्राइवेट बसें... अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से दिल्ली सरकार एंगेज नहीं कर सकती। प्राइवेट बसों को एंगेज करने का जो मॉडल है, वो थ्रू कलस्टर है, जो ऑरेंज कलर बसें हम देखते हैं और जिसका जिक्र इसमें किया है कि वन थाऊजेंड बसेज का जो टेंडर है, वो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। एल–वन सेलेक्ट हो चुका है, कैबिनेट अप्रूव कर चुकी हैं, लेकिन स्टेंडर्ड फ्लोर और लो फ्लोर की जो... डिसऐबिलिटी को माइंड में रखते हुए एक जो केस है, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें जब तक दिल्ली हाई कोर्ट परमिशन नहीं देती कि वी केन नॉट गो अहेड विद द अवॉर्डिंग आफ दी वर्क...

माननीय अध्यक्षः पवन जी, इसके बाद प्लीज और पर्सन रह जायेंगे। किसी और में हाथ खड़ा कर लीजिएगा। हाँ, पवन जी।

श्री पवन शर्माः अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसे केन्द्र सरकार ने एलजी के माध्यम से दिल्ली में कैमरे लगाने की दिल्ली सरकार की जो फाइल रोक रखी है तो हमारे परिवहन विभाग ने भी जो है कि बसों में कैमरे और मार्शल तैनात करने थे, ये सुविधा मुहैय्या करानी थी तो वो उस पे भी रोक लगी है, और अगर रोक लगी है तो हमारे मंत्री जी हमारी सरकार उसके लिए क्या कर रही है?

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो सीसीटीवी बसों में लगने हैं, उसका काम बिल्कुल चल रहा है और कंसल्टेंट आलरेडी एप्वाएंट हो चुका है और इस टाइम यंग कंपनी है, वो पूरा जो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या उसका डिज़ाइन स्पेस्फिकेशन होंगे. आई थिंक बहुत जल्द वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करके उसको टैंडर कर दिया जायेगा।

जहाँ तक बात मार्शल्स की है, वो भी अभी मेरे ख्याल से एक डेढ़ हफ्ता पहले डीटीसी आलरेडी रिक्वेस्ट भेज चुकी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फॉर डिप्लॉएमैंट आफ मार्शल।

माननीय अध्यक्षः अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न परिवहन...

माननीय अध्यक्षः चलिए, मैं इज़ाजत दूँगा। अभी अलका जी हैं, अभी आपका भी अभी... अभी इज़ाजत देता हूँ अलका जी को एक बार, अलका जी, आप बैठिए दो मिनट। अलका जी, करिए।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न परिवहन मंत्री जी से है कि पर्यावरण के तहत ई–रिक्शा को प्रमोट किया जा रहा है और दिल्ली सरकार 15 से अब 30 हजार सब्सिडी भी दे रही है जो अच्छी बात है पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या परिवहन विभाग के पास ऐसी कोई योजना है कि ई–रिक्शा चॉर्जिंग स्टेशन जो हैं, वो सरकार की तरफ से लोगों को उपलब्ध कराये जायें, क्योंकि कारण ये हो रहा है, भारी मात्रा में बिजली की चोरी हो रही है और अवैध तरीके से ई–रिक्शा चॉर्जिंग स्टेशन चलाये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः इसमें से ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बाः परिवहन मंत्री के पास ई–रिक्शा चॉर्जिंग स्टेशन

माननीय अध्यक्षः जो क्वेश्चन है, उसमें से नहीं निकल रहा। मेन क्वैश्चन से नहीं निकल रहा प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः हाँ, अपने पे कितने... क्या एक ही पे लगेंगे क्या? प्लीज।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, पीछे एक लैटर प्राप्त हुआ था परिवहन मंत्रालय से कि एमएलए फण्ड से भी बस स्टैंड बनवाये जा सकते हैं तो उसमें हमने भी कुछ उसमें रिक्वेस्ट लिख के दी थी, क्या वो प्रोसेस में है या वो भी खारिज कर दिया गया है, उसका मंत्री जी... धन्यवाद, मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों में जितनी भी रिक्वेस्ट अलग–अलग एमएलए से बस स्टैंड बनवाने के थ्रू एमएलए फण्ड रिक्वेस्ट आयी थी, वो बिल्कुल सैंक्शन करकर वो कमीश्नर ट्रांसपोर्ट को भेज दिये गये हैं। वहाँ से सैंक्शन हैज़ टू कम फ्रॉम द अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सो दैट उसका जो फिफ्टी परसेंट कॉस्ट है, वो रिलीज हो जायेगा। लेकिन किसी भी एमएलए का जो है, मेरे ख्याल से मैंने स्टेटस मंगाया था, मुझे वो डॉक्युमैंट मिल नहीं रहा है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी सैंक्शन जो है, वो अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही वहाँ से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पैसा रिलीज़ हो जायेगा, उसकी बनाने की जो कार्रवाई वो चालू कर दी जायेगी।

माननीय अध्यक्षः चलिए। प्रश्न संख्या–42 श्री ओम प्रकाश, अनुपस्थित, प्रश्न संख्या–43 नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः कृपया पीडब्लूडी मिनिस्टर प्रश्न संख्या–43 का उत्तर देने का कष्ट करें:

क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

क) नालों की डिसिल्टिंग का कार्य कब प्रारंभ होगा;

ख) इस वर्ष डिसिल्टिंग का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

ग) यदि नियत समय तक डिसिल्टिंग का कार्य पूरा नहीं होता तो क्या सरकार के पास कोई सहायक सुधारात्मक योजना है; और

घ) यदि हाँ, तो इस वर्ष जल भराव न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा दें?

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नम्बर–43 का जवाब इस प्रकार है:

क) लोक निर्माण विभाग के अधीन सभी बरसाती नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं प्रगति पर है;

ख) लोक निर्माण विभाग के अधीन सभी बरसाती नालों की सफाई 30 जून तक पूरी कर दी जायेगी;

ग) सफाई का कार्य 30 जून के बाद भी आवश्यकतानुसार किया जाता रहेगा क्योंकि नालों में फ्लोटिंग मैटीरियल जैसे प्लास्टिक वेस्ट, रोटन फ्रूट वेजिटेबल आदि सिल्ट लगातार आती रहती है। अतः नालों की सफाई के कार्य की निरंतरता आवश्यक है। उसी अनुसार कार्य करने हेतु सितम्बर तक लगातार आवश्यकतानुसार नालों की सफाई करवाने का प्रावधान किया गया है;

घ) इस वर्ष जल भराव न हो, उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा निम्नलिखित तैयारी की जा रही है। बरसाती पानी की निकासी के लिए सभी वेल माउथ को खोलने एवं सफाई का कार्य किया जा रहा है। सभी सड़कों की बरसाती नालियों की सफाई की जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पम्प लगाये जा रहे हैं

और मैंटेनेंस वगैरह सहित मोबाइल पम्प का प्रबंध किया जा रहा है। उपरोक्त सभी कार्य प्रगति पर है 30 जून तक पूरे कर लिए जायेंगे;

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूँगा साथ–साथ क्योंकि वो पूरा प्रश्न सबसे पहले वही आयेगा कि इस साल इस दिल्ली में खासतौर से जो डिसिल्टिंग का कार्य काफी लेट शुरू हुआ था, उसका कारण था कि जगह न मिल पाना। अभी पूरी दिल्ली के अंदर काम स्टार्ट हो चुका है और 30 मई तक, 30 जून तक 100 परसेंट काम पूरा हो जायेगा और ईस्ट दिल्ली का कार्य भी डिसिल्टिंग का स्टार्ट हो चुका है।

माननीय अध्यक्षः मैं तीन विधायकों को लूँगा, मुझे राखी जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, मैं कर रहा हूँ... मैं नाम बोल रहा हूँ। पहले नारायण दत्त जी, बस। हाँ, नितिन जी, बोलिए।

श्री नितिन त्यागीः सर, पिछले साल भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरीके का जवाब आ गया था पर पिछले साल भी ये पाया गया था कि जहाँ पे नाले हैं, वहाँ पे सफाई नहीं हुई थी। इस बार इसको रिचैक करने का कोई प्रावधान पहले से रखा गया है कि जो ये डेटा आ रहा है, ये सही है या नहीं है या उसी वक्त देखा जायेगा, जब पानी भरने लगेगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं डिपार्टमेंट को... पीडब्लूडी को आदेश देता हूँ कि वो सारा जो शेड्यूल है, अपनी वेबसाइट में डाल दें और आदरणीय एमएलए साहब जो भी उनके इलाके के ड्रेन्स हैं जिसको कह रहे हैं कि कंपलीट हो चुकी है, वो देख सकते हैं; वो कम्पलीट हुई है या नहीं है। और जो चल रहा है जिस दिन उसका शेड्यूल

है, उस दिन देख सकेंगे। और डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि कल तक वो सारा का सारा शेड्यूल अपना वेबसाइट पर डाल दें।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, और कुछ? हाँ जी। बोलिए, मैं ले रहा हूँ। नारायण दत्त जी। भई रवि जी, जो विधायक कभी–कभी बोलते हैं, थोड़ा मुझे देख लेने दो प्लीज। नारायण दत्त जी।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अभी मंत्री जी ने बताया था कि 30 जून तक काम खत्म हो जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ मंत्री जी को कि जहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वहाँ खत्म कैसे हो जायेगा? हैं, जी?

माननीय अध्यक्षः वो आ गया ना, क्वेश्चन में।

श्री नारायण दत्त शर्माः अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, खत्म तो तब होगा। सारे नाले भरे पड़े हैं। बरसात का इंतजार देख रहे हैं। क्या ये बताया जाये कि बदरपुर में काम क्यों स्टार्ट नहीं हुआ और कहाँ पर हो रखा है, वो अधिकारियों से पूछा जाये?

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई रवि जी, रवि जी, ऐसे तो सदन चलाना कठिन हो जायेगा सब अपनी मर्जी से खड़े होंगे। बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बताया ना कि जितना काम हो चुका है और जो हो रहा है, पूरा का पूरा वेबसाइट पे डाला जायेगा। अपने–अपने एमएलए साहब, अपने–अपने एरिया में... देखो.

इसमें अलग–अलग डिपार्टमेंट भी हैं। पीडब्लूडी का सारा शेड्यूल कल तक डाल दिया जायेगा और अपना चैक कर लें और जो नहीं हुआ है, उसमें पर्टिकुलर शिकायत करें कि इस वाले को साफ नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो डैट है, उस डैट पे अगर उसको कर रहे हैं तो अपने लोगो भेज सकते हैं, देख सकते हैं कि सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं जी, प्लीज। अभी देखो, फिर मैं इसी क्वेश्चन पे चर्चा करवाके बाकी बंद हो जाएगी।

माननीय लोक निमार्ण मंत्रीः एक मिनट इसका दूसरा जवाब जो विशेष रवि जी ने बात की है, जो पम्पस की जो परमानेंट पम्पस हैं, मैं ये भी डिपार्टमेंटस को कहता हूँ कि पम्पस की लोकेशन जो परमानेंट पम्पस की लोकेशन है, वो भी वेबसाइट पे डाल दी जाये और जो टैम्परेरी पम्पस होते हैं जो फिक्स हैं, उनकी भी डाल दी जाये। जो मोबाइल हैं, उनका नम्बर हमने पहले दे दिया है उसकी लोकेशन फिक्स नहीं की जा सकती। वो फोन करने के बाद ही जैसे जहाँ पर भी वाटरलॉग होती है एक्सट्रा पम्प भेजे जाते हैं जितने भी पम्पस परमानेंट लोकेशन, टैम्परेरी लोकेशनस वो सारी की सारी वेबसाइट पे डाल दी जायें ताकि ऑनरेबल एमएलए साहब उसको चैक कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्षः श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मंत्री जी बतायें कि नालों का निर्माण तो 2010 से 2012 में कॉमन वैल्थ के समय में किया गया था जो पीडब्लूडी का... उनका कहीं भी निकासी नहीं है और साल

भर उसमें पानी भरा रहता है। तो इस प्रकार के नालों की सफाई और उसकी निकासी, पानी निकासी के लिए क्या पीडब्लूडी व्यवस्था कर रही है, ये बताने का कष्ट करें?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पीडब्लूडी बरसाती नाले बनाती है और दिल्ली में जो डाटा कहता है, हिस्टोरिकल डाटा है; लगभग 30 दिन बारिश होती है। 365 दिन में से 30 दिन बारिश होती है तो 365 दिन बारिश का पानी उसमें नहीं आता है। अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब वो जरूर सीवेज का पानी है या मिक्स पानी किसी तरह का है। तो उसके लिए हिस्टॉरिकली दिल्ली के अंदर जो नाले डिजाइन किए गए हैं, बारिश के पानी के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। उसके अंदर सीवरेज के हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए हैं। हाँ, अब जो भी अनऑथोराइज कालोनीज हैं, उनके अंदर सीवर लाइनें डाली जा रही हैं, सरकार उन्हें बहुत बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू इस काम को लिया है। पूरी दिल्ली के अंदर सीवेज लाइन्स डाली जा रही है और धीरे–धीरे इस समस्या को दूर किया जाएगा।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सर निकासी नहीं है, कालोनी में।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः मैं बता रहा हूँ ना, देखो होता क्या है, सीवर के लिए डिजाइन नहीं है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः नहीं क्या है, एक थ्रू आउट हैं ही नहीं, ये नाले। यहाँ से आप यहाँ बना दिया गया, छोड़ दिया गया, इसके लिए विभाग क्या कर रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे दिल्ली में नालों से संबंधित।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो–जो नाले इस तरह के हैं, आप एग्जैक्टली बताइएगा उन नालों को किसी ना किसी बड़े नाले से जोड़ा जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, नहीं अब नहीं, नारायण जी, प्लीज। नहीं, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। बैठिए, प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी आपने पूरा शेड्यूल बताया कि काम शुरू हो चुका है डिसिल्टिंग का और 30 जून तक कम्पलीट हो जाएगा। कई जगहों पर काम शुरू तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग से डिसिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा लास्ट में कर देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ऐसी कार्रवाई में, जो आरोपी पाया जाता है, लापरवाही पाई जाती है तो क्या डिपार्टमेंट, मंत्रालय उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का क्या प्रावधान बना रहे हैं या नहीं? क्योंकि हर साल ये होता है और ये डिसिल्टिंग का जो केस है, वो तो कोर्ट तक भी पहुँच चुका है, कमेटी में भी आया था।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पीडब्ल्युडी के पास 1260 किलोमीटर सड़कें हैं और दिल्ली के अंदर जो टोटल सड़कें हैं, वो 30 हजार किलोमीटर से ज्यादा है। 28 हजार किलोमीटर सड़कें एमसीडी के पास हैं। जो डिसिल्टिंग नालों की, की जाती है, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पीडब्ल्युडी के जो भी डिसिल्टिग है, अगर वहाँ पर कोई भी कोताही होगी तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परन्तु ये जानकारी देना जरूरी है कि बड़े नाले जो

हैं; 60 फुट, 100 फुट, 80 फुट की रोड हैं, 200 फुट की रोड हैं, वो पीडब्ल्युडी के पास हैं। जैसे ये पीछे के नाले साफ नहीं होते हैं तो उनका सिल्ट सफाई होती है, उसके अंदर आ जाता है सारा का सारा। तो इसके अंदर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहना कि ये नाली साफ हो गई थी, इसमें सिल्ट कहाँ से आया? अगर पीछे की सिल्ट की सफाई एमसीडी की नहीं होगी... मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि अपने इलाके के एमसीडी के नालों को भी देख लें, उनकी भी सफाई का उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है; वो लोगों ने सफाई की है या नहीं की है और जहाँ तक अगर किसी नाले की सफाई का बिल जमा करा दिया गया और उसको साफ नहीं किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त करवाई होगी, एन्टीकरप्शन में दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः भई एक सेकण्ड, मैं एक बार मनोज जी का ओर बोलूँ, ये कभी–कभी हाथ उठाते हैं।

श्री मनोज कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा; जैसे अभी बताया कि पूरे नालों की सफाई का कार्य शुरू हो गया है; क्या वो जो सिल्ट निकल रही है, उसको उठाने के लिए हमारे ईस्ट दिल्ली में कितने डम्पर लगाए गए हैं जिससे वो सिल्ट उठाई जा रही है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री (सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, जो ईस्ट दिल्ली की सिल्ट है, अभी ईस्ट दिल्ली में नहीं डाली जा रही है, नॉर्थ दिल्ली में जगह मिली है और नम्बर ऑफ डम्पर्स सरकार की ओर से नहीं, जो ठेकेदार है, वही अपने डम्पर लगाता है। जितनी सिल्ट है, उसके हिसाब से उसको बाई वेट पेमैंट होती है, वहाँ पर जाने के बाद। तो इसका अगर आपने इसके एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो मैं अलग से पता करके मैं आपको बता दूँगा।

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष महोदय...

माननीय अध्यक्षः मनोज जी, हो गया। क्या विषय है?

श्री मनोज कुमारः हमारे यहाँ पे कोंडली में डिसिल्टिंग का काम खूब अच्छे से शुरू हुआ लेकिन सारी सिल्ट सड़कों पे डाल के छोड़ी हुई है। सिर्फ एक गाड़ी पूरे दिन भर में रात को एक डम्पर मलबा जाता है बाकी पूरी रोडों पे एज इट इज लग रहा है, नाले में तब्दील हो चुकी है।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः इसके लिए मैं अधिकारियों को आदेश दूँगा कि वो जा के ठीक से चैक करें परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, उसकी पेमेंट सिल्ट निकालने पे नहीं होती, उसकी पेमेंट तब होती है जब वो सिल्ट को उठा कर डंपिंग साइट पे ले जाता है। अभी ईस्ट दिल्ली की, एक मिनट...

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हालात यह है कि सिल्ट डलवा दो एमसीडी के ढलाव के अंदर, आपके एक्सईएन पीडब्ल्युडी के मुझे बोल रहे थे उनके पास... उनको पता ही नहीं है कि सिल्ट कहाँ डालनी चाहिए तो कम से कम ये तय करो कि सिल्ट यहाँ डलेगी, हम सब को पता चल जाए।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः ईस्ट दिल्ली की सिल्ट नरेला में डाली जा रही है, नरेला में जगह दी है, वहाँ पे डल जाएगी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछले साल पेटिशन कमेटी ने दिल्ली के लगभग 70–80 जगह जाके नाले चैक किए थे, मनोज जी के यहाँ भी गए थे, अखिलेश जी के यहाँ गए थे, राजेश गुप्ता के यहाँ गए थे, साउथ,

ईस्ट, नॉर्थ हर जगह गए थे और लगभग वहाँ पे देखा गया था कि जो रिपोर्ट पीडब्ल्युडी ने, दिल्ली की विधान सभा की समिति को दी थी और उस वक्त हाईकोर्ट में चल रहे एक केस में दी थी, वो दोनों रिपोर्टस गलत थी, जिन नालों के बारे में कहा गया था कि वो 90 परसेंट साफ हो गए हैं, वो नाले ऐसे थे जहाँ पे दुकानदारों के हमने वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड किए, दुकानदार कह रहे थे; यहाँ पर 15 साल से कभी कोई आया ही नहीं है, जिनको लिखित में उस वक्त के पीडब्ल्युडी सेक्रेटरी ने कहा था कि ये नाले साफ हो गए हैं। इस विषय में हमने एक रिपोर्ट जो थी, वो असेंबली में दी थी, वो रिपोर्ट अडॉप्ट हुई थी, अश्वनी कुमार, उस वक्त के पीडब्ल्युडी सेक्रेटरी के ऊपर विधान सभा की अवमानना का मामला चलाना था, वो लोग हाईकोर्ट गए थे, कुट्टी जी हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने कुछ समय तक कमेटी को रोका था, बाद में उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था क्योंकि उनको मालूम था कि उसके अंदर कुछ होना जाना नहीं है, फिलहाल वो जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो दुबारा जो है, सही है और अडॉप्टेड है उसके अंदर एसीबी की इन्क्वायरी उन अफसरों की करनी थी जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट असेंबली में दी थी और अश्वनी कुमार जो अब चीफ सेक्रेटरी हैं पुडुचेरी के, अगर आपकी आज्ञा हो और आप पत्र लिखें वहाँ के स्पीकर को, तो हम चाहेंगे कि उनके ऊपर जो अवमानना का मामला जो अवेटिड है, उसको हम शुरू करें और अश्वनी कुमार जी को यहाँ पे बुला के उनके खिलाफ कन्टैंप्ट प्रोसिडिंग में हम शुरू करें।

माननीय अध्यक्षः नहीं, कमेटी ये रिपोर्ट एक बार सदन पटल पर रखे ना।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर वो रखी है, रिपोर्ट अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड है सर रिपोर्ट, वो अडॉप्टेड रिपोर्ट को रोका गया था। अब वो नहीं है, वो रूकी

हुई, अब उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं है। वो दुबारा से एक्टिव है, ये मान लीजिए कि वो अब अश्वनी कुमार जी के ऊपर कंटैप्ट प्रोसिडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर उसके लिए आपको वहाँ के स्पीकर को खत लिखना पड़ेगा और वहाँ वो उसको डायरेक्शन देंगे कि वो यहाँ पे आगे वो प्रीविलेज प्रोसिडिंग अटैंड करे।

माननीय अध्यक्षः नहीं, सौरभ जी, ये चीज मेरे पास आएगी, तभी तो खत लिखूँगा।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, मैं दोबारा से पैटिशंस कमेटी की तरफ से आपको लिख के देता हूँ सर, धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः देखिए, ये आ चुका। फिर तो ओर कोई प्रश्न आए मैं इस पर पाँच विधायकों को बोलने की इजाजत दे चुका हूँ।

कर्नल देवेन्द्र सहरावतः एक मिनट सर, हमारे उस पूरे इलाके में, पूरे एयरपोर्ट इलाके में पानी भर जाता है, द्वारका रोड के नीचे, एक 15 फुट का नाला है, उसकी डिसिल्टिंग कभी नहीं होती, उसी से पूरे एयरपोर्ट इलाके का पानी जाता है बारिश की वजह से, वो डिसिल्टिंग जरूर होनी चाहिए। मंत्री महोदय, उसको आप थोड़ा सा संज्ञान में ले लीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट है।

माननीय अध्यक्षः मैं सदन की भावना को समझते हुए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ अगर ऐसा संभव हो सकता है 30 अप्रैल तक प्रत्येक विधान सभा अनुसार कौन सा नाला है, टैंडर वैंडर हो कर के उसकी लिस्ट हमको मिल जाए, 30 अप्रैल तक हर साल, 30 अप्रैल तक आगे आने वाले समय में, इस साल तो निकल गया, टैंडर हो गए, 30 अप्रैल तक सूची मिल जाए कि ये नाला कब किस डेट से आरम्भ होगा और 30 जून

तक उनकी कम्पलीट की एक डिटेल आ जाए, 30 जून तक कम्पलीट होगा, ताकि सदस्यों को समय मिल सके। अधिकारियों से बात करने का, सूची डिपार्टमेंट ने दी है, मेरा नाला 5 मई से शुरू होना था, 15 मई से शुरू होना था, ये हुआ नहीं। उसके अनुसार जो है फिर उस पर कार्रवाई हो सके, क्या ऐसा संभव है? तो ये करवाया जाए, वो डेट मैंने 30 अप्रैल कहा है, वो 15 मई भी हो सकती है और थोड़ा बहुत आगे–पीछे हो सकती है।

माननीय लोक निर्माण मंत्री: नहीं, अध्यक्ष जी, जो बिल्कुल आपने सही कहा है इस साल क्योंकि टैंडर फाइनल नहीं हो पाए, कई जगह पर सिल्ट डालने की जगह नहीं मिली थी और टैंडर तभी फैसला होता है, वर्क ऑर्डर लेने को तैयार नहीं होता जब तक उसको जगह न दी जाए। तो इस वजह से काफी सारे टैंडर लगने के बावजूद भी वर्क ऑर्डर नहीं हुए थे और बहुत लेट हुए हैं। अभी काम स्टार्ट हो गया है। मैं अपने डिपार्टमेंट को बोलता हूँ कि ये सारे वर्क ऑर्डरस की कॉपी वैबसाइट पे डाल दें ताकि सबको पता रहे कि ये वर्क ऑर्डर हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष: चलिए धन्यवाद, श्री ऋतुराज जी, जगदीश प्रधान जी भी अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई अब नहीं प्लीज, हाँ मैं आ रहा हूँ उस चीज पर आ रहा हूँ, अभी आया, मेरे संज्ञान में है। प्रश्न संख्या–47 विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग: माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या–47 का उत्तर देने का कष्ट करें:

क) सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं;

ख) क्या यह सत्य है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक सूचना केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव था;

ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

घ) क्या इसके लिए सरकार का 'वन स्टॉप सहायता केंद्र' खोलने का भी प्रस्ताव है;

ङ) क्या इस उद्देश्य हेतु प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार की कोई नीति है; और

च) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–47 के संदर्भ में मुझे कहना है कि:

क) निदेशालय सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करता है। निदेशालय संबंधित विभाग की ओर से विज्ञापन प्रस्ताव मिलने पर तय मानकों (एसओपी) और माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार करता है;

ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है;

ग) उपरोक्त अनुसार;

घ) उपरोक्त अनुसार;

ङ) उपरोक्त अनुसार; और

च) उपरोक्त अनुसार।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री विजेन्द्र गर्गः माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें कि जो अभी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका प्रचार और प्रसार बहुत कम हो रहा है। जनता तक नहीं पहुँच पा रही है और ये गोलमोल सा जवाब देकर के इन्होंने उच्चतम न्यायालय का हवाला देकर के इसको गोलमोल कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ भविष्य में ये योजनाएं जन–जन तक पहुँचे और जो इसका अधिकारी हैं, वो इसका लाभ उठा सकें, उसके लिए कोई प्रभावी ढंग से इनका प्रचार और प्रसार करने का सरकार का कोई प्लान है तो कृपया करके बताएं?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से यथासंभव कोशिश की जाती है। लेकिन निश्चित रूप से और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से आईएएस अफसरों को एलजी साहब के द्वारा और केन्द्र सरकार के द्वारा पूरे निर्देश हैं कि दिल्ली सरकार के किसी भी अच्छे काम का प्रचार प्रसार हुआ तो उसके बाद पोस्टिंग तो छोड़ दीजिए, आगे नौकरी करना मुश्किल कर दिया जाएगा। ये सब इन हालातों के बीच में प्रचार करने की कोशिश की जाती है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि अगर किसी विशेष स्कीम के बारे में या कुछ स्कीम के बारे में, उसके प्रचार प्रसार के बारे में है तो वो लिखकर दे दें, उनको सूचना उसके बारे में कि उसकी क्या सूचना है, उसके बारे में क्या कोशिश की गई, उसके प्रचार की, अगर कम है तो वो भी वो बता दें तो किसी स्कीम या स्कीम्स के बारे में अगर वो विशेष रूप से उल्लेख करके पूछ लेंगे तो उसका भी हम उत्तर उनको दे देंगे।

माननीय अध्यक्षः गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः ये भीम योजना है जिसमें एससी/एसटी स्टूडेंट को हॉयर एजूकेशन के लिए कोचिंग दी जाती है, उसका प्रचार और प्रसार बिल्कुल न के बराबर है। उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मेरा इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, कि ये स्कीम या इसके अलावा क्योंकि अभी किस स्कीम का कितना प्रचार हुआ, ये यहाँ बताना मुश्किल है। पर किसी स्कीम या कुछ और स्कीम्स का अगर उनको पूछना है तो वो लिखित में मुझे दे दें स्कीम्स, उनका पूरा जवाब हम उनको उपलब्ध करा देंगे।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–48 तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो मेरे प्रश्न संख्या–48 का उत्तर देने की कृपा करें:

क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में बीस से अधिक बस शेल्टर या तो खराब स्थिति में हैं और या पूरी तरह गायब हो गए हैं;

ख) क्या विभाग की इन बस शेल्टरों को बदलने की कोई योजना है;

ग) क्या इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय मंत्री को नए बस शेल्टरों के लिए दिनांक 07/04/2016 को लिखे पत्र पर विभाग ने कोई कदम उठाए हैं; और

घ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में 20 अत्याधुनिक बस शेल्टर कब तक तैयार हो जाएँगे?

श्री कैलाश गहलोत (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय उत्तर इस प्रकार है:

क) जी हाँ;

ख) जी हाँ;

ग) माननीय विधायक द्वारा 07/04/2016 को माननीय मंत्री को लिखे गये पत्र पर डीटीआईडीसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं:–

1. डीटीआईडीसी त्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के बस शेल्टरों को भी 1397 आधुनिक बस शेल्टर बनाने की सूची में सम्मिलित कर लिया है;

2. दिसम्बर 2017 में उपरोक्त आधुनिक बस क्यू शेल्टर बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला;

3. दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए (मैं ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ पूरा जो अभी कमेटी के बारे में जिक्र किया, उसका कमेटी का गठन कर लिया गया है। उसके पश्चात शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी) दिल्ली सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है जो कि लागत ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके पश्चात् भीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी; और

घ) उपरोक्त (ग) (3) के अनुसार।

माननीय अध्यक्षः तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष जी, पिछले ढ़ाई साल में मैं पाँच बार इस मुद्दे को यहाँ पर उठा चुका हूँ हाउस के अंदर। अभी चर्चा हुई थी 5–10 मिनट पहले भी इसी क्वेश्चन पर बात हो रही थी। पिछला जो सेशन था, उसमें भी ये बात हुई थी और आपने इसका संज्ञान लिया था और आपने माननीय मंत्री जी को कहा था। तो मंत्री जी ने सात दिन का समय दिया था कि सात दिन के अंदर–अंदर वो यहाँ हाउस में बतायेंगे कि हम क्या तरीका निकालें जिससे जल्दी हो पाए। लेकिन उसके बाद सेशन खत्म हो गया, बात नहीं हो पाई। ये जवाब मेरे पास पाँच हैं, सेम ये पाँचवा कागज मेरे पास है। 2015 में मैंने शुरूआत की थी। पहला पत्र जब माननीय गोपाल राय जी परिवहन मंत्री थे, उनको लिखा था। उसके बाद कैलाश गहलोत जी को लिखा। चार–पाँच पत्र लिख चुका हूँ। जैन साहब को भी लिखा था। यस, उनको भी लिखा था और अब मुझे लगता है कि 18–20 महीने और बाकी रह गए हैं। तो मुझे लगता नहीं, इस टेन्योर में कुछ होने की संभावना है। माननीय मंत्री जी बता दें कि क्या इस टेन्योर में इस छठी विधान सभा के अंदर क्या ये बस क्यू शेल्टर लग पायेंगे? क्योंकि जब कोई सीनियर सिटीजन आकर के बात करता है, कहता है कि धूप में खड़ा होना पड़ता है हमको और 20 क्यू शेल्टर की बात कर रहा हूँ मैं। कोई एक–दो की बात हो तो बर्दाश्त की जा सकती है। 20 क्यू शेल्टर हैं। हैं नहीं बिल्कुल, बारिश में छत नहीं है। धूप से कोई बचाव का रास्त नहीं है और आपने इसका संज्ञान लिया था, पिछली बार आपके यहाँ भी प्रॉब्लम थी। इस पर काफी चर्चा हुई थी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या छठी विधान सभा जब तक रहेगी तब तक क्या क्यू शेल्टर लग जायेंगे? क्योंकि पिछली बार जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उसमें ये कहा था कि हम इसको वो कर देंगे, इसको विभाजित कर देंगे। इसको चार

हिस्सों में बांट देंगे; तीन–तीन सौ साढे तीन सौ के टेंडर कर देंगे। क्योंकि 1397 का तो आप टेंडर करते रहिएकृ. अगले 25 साल तक नहीं हो पाएगा वो। तो मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि बहुत चर्चा आपने की थी और आपने बहुत सारी बातें इस पर की थी और माननीय मंत्री जी को कहा था कि मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम है। तमाम जो मेरे साथी हैं, सबके यहाँ ये प्रॉब्लम है। अगर 1397 बस क्यू शेल्टर की बात बार–बार होती है जिसको दो बार जिसके टेंडर फेल हो चुके हैं तो कितनी ज्यादा दर्द होगा, सारे विधायकों को कितनी परेशानी होगी और जनता कितनी परेशान होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है और बिल्कुल जो मेम्बर की जो भावनाएं है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। तोमर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 20 बस क्यू शेल्टर बिल्कुल वहाँ या तो टूट चुके हैं या बिल्कुल नहीं हैं। मेरी भी विधान सभा इस चीज से पीड़ित है और मेरी विधान सभा आपसे बहुत ज्यादा बड़ी है मटियाला विधान सभा का भी ये इश्यू है। जितने भी बाहरी क्षेत्र की विधान सभाएं हैं। 1397 मैंने पिछली बार भी ये पूरे सदन के सामने रखा था कि ऐसा नहीं है कि 1397 का ही सिर्फ पूरा इकट्ठे टेंडर किया गया है, उसको ब्रेकअप करके उसके छोटे–छोटे कलस्टर बनाकर भी हमने पूरी कोशिश की 4–5 महीने पहले। लेकिन उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं आया। ये सारी चीजें मैंने पिछली बार दोहराई थीं। पूरे सदन के सामने मैंने ये आश्वासन दिया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द बस क्यू शेल्टर बने क्योंकि मैं समझता हूँ कि हरेक दिल्ली के नागरिक का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको... जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसको वहाँ धूप

में बारिश में ठंड में ठीक से खड़े होने की जगह मिले और ये जो अभी ये जो ऑर्डर किया है अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल उसी लाइन्स पे है कि अगर क्योंकि टेंडर वाला प्रोसेस जिसमें कि रेवेन्यू शेयरिंग में कोई प्राइवेट पर्सन जो है, वो उसमें पैसा लगाए, वो चीज सफल नहीं हो रही। तो इसके द्वारा जो भी खर्चा होगा, वो दिल्ली सरकार कोशिश करेगी कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पैसा उसमें दिल्ली सरकार को चाहिए, वो उपलब्ध कराएँ ताकि ये इतनी गंभीर जो समस्या है, पूरी बाहरी दिल्ली की स्पेशली है।

माननीय अध्यक्षः भई इसमें माननीय मंत्री जी ये प्रश्न उठता है, अगर टेंडर इस बार भी फेल हुए तो हम क्या करेंगे।

माननीय परिवहन मंत्रीः नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार जो कमेटी का गठन किया गया...

माननीय अध्यक्षः मतलब कि आप लोग क्वेश्चन कर नहीं रहे, मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये करना चाहिए। हाँ, माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई मदन जी, अब हो गया।

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय ये ही मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें डिजाइन और बिल्ड जो डिजाइन मैन्युफैक्चर दे सकता है और उसके हिसाब से कितना पैसा मैन्युफैक्चर्र लेगा, उस वाली लाइन पे टेंडर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी खर्चा आएगा, वो दिल्ली सरकार उस खर्चे को बियर करे उसको उठाए ताकि जो रेवेन्यू शेयरिंग का है, वो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इस बार जो हम टेंडर करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, तोमर जी, अब हो गया।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमने जो छोटे–छोटे हिस्सों में भी इसका टेंडर किया है। अभी जो इस पे लिखा हुआ है... उसमें लिखा हुआ है कि दिसम्बर 2017 में इसका टेंडर हुआ था, उसके बाद अभी पाँच महीने हुए हैं दिसम्बर के बाद। पाँच महीने में इसमें बताया नहीं गया कहीं कि कोई दूसरा टेंडर तीन सौ–साढ़े तीन सौ का भी हुआ है और 10 लाख रुपये का... शायद मंत्री जी लगता है, वो जिसके लिए जो ये कमेटी है ना, आइडिया बहुत बढ़िया है कमेटी का। आइडिया तो बहुत बढ़िया–बढ़िया आते हैं हमारे पास। लेकिन ये कमेटी के जो एक्सपर्ट्स इसमें आयेंगे...

माननीय अध्यक्षः तोमर जी, ये देखिए, ये क्वेश्चन ऑवर्स है। अब इसमें क्वेश्चन आपका सेकण्ड इसमें क्या है, वो निकाल के एक बार पूछिए मंत्री से।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने तीन सौ, साढ़े तीन सौ के भी टेंडर कर दिए। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि 2017 दिसम्बर में टेंडर हुआ था।

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी ने ये नहीं कहा टेंडर... नहीं, मंत्री जी ने ये नहीं कहा, टेंडर कर दिए हैं। मंत्री जी ने ये नहीं कहा, टेंडर कर दिए हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः नहीं–नहीं, ये कहा कि टुकड़ों में ही करके देख लिया।

माननीय परिवहन मंत्रीः मैं जवाब दे रहा हूँ आपके, आप जो कह रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मैं वो ही कह रहा हूँ।

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरी ख्याल से जब मैंने...

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मैंने तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दे दो कि क्या छठी विधान सभा के कार्यकाल के अन्दर ये क्यू शेल्टर लग जाएंगे, बस ये पूछा, कुछ नहीं।

माननीय परिवहन मंत्रीः मेरा...

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः ये बता दें मुझे अब अभी तक फरवरी, 2020 तक है अपने पास टाइम।

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है, तोमर साहब से मेरा निवेदन है कि जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो जवाब को सुनें। सिर्फ अगला क्वेश्चन पूछने में पूरी ताकत न लगाएं। मैंने कहा कि 5–6 महीने जो टेंडर किए गए, वो फेल हो गए। वो ही चीज जवाब में लिखा है कि 5–6 महीने जो टेंडर हुए, जो दिल्ली सरकार दोबारा रि–ग्रुपिंग कर के क्लस्टर को छोटा–छोटा कर के जो दोबारा कोशिश की कि 1397 का पूरा एक क्लस्टर करके टेंडर तो फेल हो गया था पहले ही एक डेढ़ साल, दो साल पहले फेल हो गया था। दोबारा रि–ग्रुपिंग कर के जो दिसम्बर में, नवम्बर में हमने टेंडर की, वो भी फेल हो गई। जो तोमर साहब कह रहे थे कि जिनको छोटा–छोटा करके टेंडर करें, वो भी फेल हो गए। अब आपके पास अगर कोई और तरीका है तो वो बता दें, हम वो अपना लेंगे।

माननीय अध्यक्षः नहीं, देखिए, मंत्री जी, उनका सीधा तोमर जी का ये क्वेश्चन है 1397 को क्या हमने ब्रेकअप किया या ब्रेकअप किया है?

माननीय परिवहन मंत्रीः टेकअप किया है, पाँच उसके।

माननीय अध्यक्षः टेकअप किया है?

माननीय परिवहन मंत्रीः पाँच उसके अलग–अलग हमने क्लस्टर बनाए हैं, छोटे रूप में।

माननीय अध्यक्षः ये उसमें जो ऑर्डर है, उसमें ऐसा मेन्शन नहीं है। एक सेकण्ड एक बात, दूसरा उन्होंने कहा कि क्या इस छठी विधान सभा के कार्यकाल में ये लग जाएंगे या नहीं।

माननीय परिवहन मंत्रीः मुझे ये पूरी उम्मीद है कि... उम्मीद पर दुनिया कायम है अध्यक्ष महोदय, हम सब उम्मीद पर ही चलते हैं आगे। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कि बस क्यू शेल्टर और मैंने अध्यक्ष महोदय, एक और रिक्वेस्ट किया था कि जब तक ये टेंडर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो जो भी जहाँ... जैसे तोमर साहब कह रहे हैं कि उनकी 20 बस क्यू शेल्टर हैं तो जो एमएलए फण्ड के द्वारा जो 9–10 लाख रुपये में एक जैसे आपकी विधान सभा में लगे हैं, मैंने भी अपनी विधान सभा में इस प्रकार से छः बस क्यू शेल्टर लगवाएं हैं जिसका कि कॉस्ट छोटे साइज का 9–10 लाख रुपया आता है। मेरा ये हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि जब तक ये टेंडर्स जो हैं, सक्सेसफुल एक स्टेज तक नहीं पहुँचते हैं.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई सुरेन्द्र जी, बैठिए। नहीं, मैं... राजेश जी को सुनना है, अब नहीं। उनका हाथ बहुत देर से उठा हुआ है।

माननीय परिवहन मंत्रीः लगभग, लगभग सात से आठ।

श्री सुरेन्द्र सिंहः पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उस समय भी इसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने ये कहा था, आप लोग इसके अन्दर एनडीएमसी के अफ्सरों के साथ, अफ्सर तालमेल करें। मुझे बीच के अन्दर मध्यस्थता में

ले, वहाँ पे एनडीएमसी में कोई दिक्कत आती है। पूरा एनडीएमसी के क्षेत्र के अन्दर दिल्ली कैंट के क्षेत्र में कहीं भी बस क्यू शेल्टर की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कम्पनियाँ ऐसी हैं जो पीपीपी मोड के अन्दर बनाना चाहती और बनने के लिए वो करना चाहते हैं, मंत्री जी जो हैकृ.

माननीय परिवहन मंत्रीः अरे! वो एनडीएमसी की बात कर रहे हैं, मैं बाहरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंहः माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी से उन लोगों की मुलाकात कुछ लोग नहीं होने दे रहे होंगे या बीच में कोई अड़ंगा डाल रहे होंगे। दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली का ही विधायक हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ।

माननीय अध्यक्षः ये दिल्ली की ही बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः पूरा दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं वो एड कम्पनियाँ हैं, वो पीपीपी मोड़ में खूब सारे बस क्यू शेल्टर लगा सकती हैं...

माननीय अध्यक्षः भाई मैं इसको... एक राजेश जी का सप्लीमेंटरी क्या है? पूछिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः आप एनडीएमसी के अधिकारियों को एक बार साथ में मीटिंग करें जो कम्पनियाँ हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं, वो कम्पनियाँ हो सकता है 1300 नहीं, हजार, 500 लगाने के अन्दर हमारी मद्द करेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है, पहले भी इसके ऊपर मैंने एक बार दिया था।

माननीय अध्यक्षः भाई सुरेन्द्र जी, एक सेकण्ड, ये ओपन टेंडर होगा, वो कम्पनियाँ इसमें टेंडर भर सकती हैं, किसी ने रोका तो नहीं। आपकी जानकारी में है तो उन कम्पनियों से भरवाइए।

श्री राजेश गुप्ताः हमारी आरबीटीवी में नहीं मिलती न सर, एनडीएमसी में मिलती है।

माननीय अध्यक्षः अब बोलिए।

श्री राजेश गुप्ताः सर, मेरा ये कहना है; मेरा प्रश्न संख्या 147 अनस्टार्ड क्वेश्चन भी लगा हुआ है और जिस बारे में अभी बात हो रही थी, तोमर भाई की विधान सभा बिल्कुल मेरे साथ में ही है। मेरे को सिर्फ दो बाते पूछनी है; एक तो अत्याधुनिक में अत्याधुनिक जो बार बार बात हो रही है, बस शेल्टर की, मेरा सिर्फ एक बात पूछना है मंत्री जी से कि अब सिर्फ क्या उसमें दो चीजें ही हो जाएँ कि बस कौन सी वहाँ आती है और एक शेल्टर हो जाए और तीसरी चीज वहाँ बैठने की हो जाए। अत्याधुनिक वगैरह हमें और कुछ नहीं चाहिए एक चीज मतलब वो सिम्पल हो जाए और जिस तरीके से अभी मंत्री जी ने कहा कि भई, हम एमएलए फण्ड से लगा सकते हैं मैंने इनको रिक्वेस्ट भी दी है, इसमें लिखा भी हुआ है कि उन्हें एक्सेप्ट करी हुई है। तो क्या हम विधान सभा वाइज उसको 5–10 की हम दे दें। तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान न हो जाए। सिर्फ विधान सभा वाइज दे दीजिए आप, एमएलए की जरूरत नहीं पड़ेगी।

माननीय परिवहन मंत्रीः मेरा एक छोटा सा निवेदन है यूडी ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पर हैं, जितने भी एमएलएज ने रिक्वेस्ट भेजी थी, मुझे उनको सेंक्शन कर के वो ऑलरेडी सारी रिक्वेस्ट यूडी में चली गई हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से ये अनुरोध है ऑनरेबल मिनिस्टर, यूडी मिनिस्टर को कि उनकी जो पैसा रिलीज होना है; 50 परसेंट वो अगर एक–दो दिन में करा दें तो वो कार्रवाई कम से कम 8–10 जो विधान सभा हैं, जो काफी पीड़ित हैं और इस समस्या से जूझ रही हैं, उनको काफी राहत मिलेगी।

श्री नितिन त्यागीः सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे साथी राजेश ऋषि जी के बड़े भाई सुनील ऋषि जी का देहांत हो गया था। हाँ, मतलब इसको बहुत लम्बा न खींचते हुए 4:00 बजे उनका वो है, अंतिम संस्कार, तो काफी विधायक जाना चाहेंगे तो आप अगर इसका आज बहुत लम्बा न खींचे हाउस को तो, हाँ, मैं सदन से...

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या, 49 अखिलेशपति त्रिपाठी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 49 प्रस्तुत हैः

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

क) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में अस्पताल के निर्माण हेतु खरीदे जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल तथा इसके लिए डीडीए को दी जाने वाली धनराशि का विवरण क्या है;

ख) क्या यह सत्य है कि इस उद्देश्य से 11730 वर्गमीटर भूमि खरीदी गई थी परंतु वह अभी तक स्वास्थ्य विभाग को अभी तक नहीं सौंपी गई है;

ग) ज़मीन के मूल्य का भुगतान करने के बाद इस भूमि का कब्जा कितने समय में मिल जाना चाहिए था;

घ) चार से पाँच वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी कब्जा मिलने में होने वाले इस विलंब के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं;

ङ) इस संबंध में की गई कार्रवाई का संपूर्ण ब्यौरा व इस भूमि का कब्जा लेने के लिए किया गया पत्राचार उपलब्ध कराएं; और

च) इस अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): तारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर इस प्रकार है:

क) प्रस्तावित दिल्ली सरकार अस्पताल, चौकी नं–4 मॉडल टाउन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 11350 वर्गमीटर भूमि का आबंटन महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ को दिनांक 22/07/2013 को किया था जिसके लिए महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ की ओर से लोक निर्माण विभाग ने रू 8,62,85,957/–का भुगतान दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिनाँक 04/09/2013 को किया गया था;

ख) जी नहीं, आबंटित भूमि का क्षेत्रफल 11730 वर्गमीटर के स्थान पर 11350 वर्गमीटर है। जी हाँ, आबंटित भूमि पर कब्जा महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ को अभी तक प्राप्त नही हुआ है;

ग) सामान्यतः कब्जा कार्रवाई भुगतान के पश्चात दो से छः माह के भीतर हो जाती है। परन्तु प्रस्तावित दिल्ली सरकार अस्पताल चौकी ने 4–मॉडल टाउन की भूमि पर तीन गैस गोदाम व पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) पर स्थित कुछ झुग्गी–झोपड़ियों का समूह होने के कारण कब्जा कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उक्त तीन गैस गोदाम व पहुँच मार्ग पर स्थित झुग्गी–झोपड़ियों को हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी विभागीय कार्रवाई दिनांक 16/06/2015 और दिनांक 15/05/2018 के पत्रानुसार कर रहा है। उपरोक्त अनाधिकृत कब्जे हटने के बाद ही महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्रस्तावित दिल्ली सरकार अस्पताल, चौकी संख्या–4, मॉडल टाउन की भूमि का कब्जा ले पाएगा;

घ) भूमि का कब्जा लेने के लिए महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है;

ङ) नवीनतम स्थिति और इस संबंध में किए गए पत्राचार की जानकारी संलग्नक[2] 'क' में दी गई है; और

च) आज की स्थिति में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस लैंड की कीमत पूरी की पूरी डीडीए को दिए हुए लगभग पाँच साल हो चुके हैं और डीडीए अभी तक उस लैंड को नहीं दे पाया है और उसमें सबसे बड़ी चीज झुग्गी–झोपड़ी तो चलो है ही, साथ में वहाँ पर...

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः यहाँ झुग्गी झोपड़ी नहीं है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, उनको उत्तर माननीय मंत्री जी को... अखिलेश जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मंत्री जी को पूरी बात करने दीजिए। नहीं. वो तो आपको मौका मिलेगा न सप्लीमेंटरी का, उनको बात तो पूरी करने दीजिए।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः इसके अन्दर जो झुग्गी–झोपड़ी का है, कुछ झुग्गी–झोपड़ियाँ हैं, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, मेरे अनुसार जो तीन गैस गोदाम लिखा गया है, वो कॉमर्शियल टाइप की गई स्टेब्लिशमेंट है और जानबूकर मुझे लगता है कि डीडीए के अधिकारियों ने उसको खुद बैठा रखा है और उनको हटाना नहीं चाहते हैं। ये ही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि रीजन है कि जिसको साफ करके नहीं दिया गया है।

माननीय अध्यक्षः अब बताइए।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः जो यहाँ पर लिखा गया है 'ग' में कि झुग्गी–झोपड़ी यहाँ पर है। यहाँ पे कोई ऐसी झुग्गी–झोपड़ी जैसी स्थिति

---

2. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

नहीं है बहुत बड़े–बड़े गोदाम बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वहाँ फैक्टिरियाँ लगी हुई हैं तो पहली बात तो इसको यहाँ से रिमूव किया जाए... आन्सर से कि वो गलत उत्तर दिया गया है। यहाँ पर मेरी आपत्ति है इस पर। दूसरा की 5–5 साल तक ऐसी स्थिति रहेगी और ऐसे कब्जे वाले जमीन जो हम खरीदने जाते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं होता क्या डिपार्टमेंट को कि क्या कब्जे वाली जमीनें हम खरीदने जा रहे हैं। मेरा उत्तर एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है कि जब तक ये हमारे यहाँ ये अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती तो जो हमारे रूलर्स के बेडों की व्यवस्था है; सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो मिलती नहीं है लोगों को, उस पर सरकार क्या कर रही है, इससे अवगत कराएं पूरे सदन को।

माननीय अध्यक्षः नहीं, इसमें वो कहाँ क्वेश्चन में से निकल रहा है, जो आप...

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सर, अस्पतालों से संबंधित है। भई, आप जब तक व्यवस्था नहीं हो पा रही है उसके लिए ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था है तो।

माननीय अध्यक्षः चलिए, मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सरकार, नहीं मिल पा रही है बेड, उस पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसकी कब तक करेगी, क्या कार्रवाई कर रही है, उसको उपलब्ध कराने के लिए?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः एक मिनट बता रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से बताना चाहूँगा जो आदरणीय मेम्बर साहब ने बताया है, वही बात मुझे लग रहा है कि जो मैंने भी कहा था कि वहाँ पर बड़े–बड़े गैस गोदाम हैं जिनको कि कॉमर्शियल उनकी आपस में अण्डरस्टैन्डिंग होगी।

और ये जान–बूझकर दूसरा कारण भी रह सकता है जो कि जान–बूझ के डीडीए देना नहीं चाहती। ऐसा क्या है उसके अन्दर कि पाँच साल के अन्दर वो तीन गोदाम नहीं हटाये गये उनसे। इसके अलावा दिल्ली सरकार को दस हॉस्पिटल्स की लैण्ड माँगे हुए सवा तीन साल हो चुके, तीन साल हो चुके। डीडीए से माँगा हुआ, अभी तक एक भी लैण्ड उन्होंने नहीं दी है। और उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल की लैण्ड है। वो प्राइवेट लोगों को ऑक्शन में देने को तो तैयार हैं पर दिल्ली सरकार को बनाने को देने को तैयार नहीं है और दिल्ली सरकार से पैसे लेने के बावजूद भी डीडीए अगर इसको साफ कराके नहीं दे रहा है तो इसके अन्दर इण्टरेस्ट एन्वॉल्व है ओर ये मुझे लगता है कि डीडीए जान–बूझ के नहीं कर रहा है। ये राजनीतिक दुष्प्रचार है।

माननीय अध्यक्षः भई, आप लोग बोल चुके हैं। श्री विशेष रवि जी, उसके बाद पुष्कर जी, सबकी आज बारी आ चुकी है भाई।

श्री विशेष रविः सर, ये जो प्रश्न सर, पूछ रहे हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ वो इस विभाग से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन.

माननीय अध्यक्षः नहीं, इस प्रश्न में से कोई निकलता है तो निकालिए।

श्री विशेष रविः सर, अस्पतालों के अन्दर जो ईडब्लूएस बेड जो रिजर्व उसमें ईडब्लूएस कटेगरी के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, लगातार

माननीय अध्यक्षः रवि जी, इस क्वेश्चन में से कैसे निकलेगा? मंत्री जी के पास उत्तर थोड़ी होगा। पुष्कर जी।

श्री विशेष रविः सर, इसी से पूछ रहा हूँ, इसी से। सर, इसमें एक प्रश्न है कि अगर पाँच साल हो गये हैं विभाग को।

माननीय अध्यक्षः भाई विशेष जी। ऐसे नहीं चल पाएगा, प्लीज। नहीं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं, बोलिए?

श्री विशेष रविः सर, ये पूछ रहा हूँ मैं, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर विभाग ने पाँच साल हो गये हैं, पेमेण्ट किए हुए और डीडीए, उस पेमेण्ट लिए हुए जमीन को खाली नहीं करा पा रही है तो विभाग कोर्ट जाए या जो जमा की रकम हैं...

माननीय अध्यक्षः हाँ, ये क्वेश्चन करिए ना, जी। माननीय मंत्री जी।

श्री विशेष रविः कोर्ट जाए और वहाँ पर क्लेम करे कि डीडीए जमा की हुई रकम का इन्टरेस्ट दे; क्यों जमीन खाली नहीं करके दे रही है वो?

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, विशेष जी ने जो बात कही है, बिल्कुल सहीं है की मैं अपने विभाग को आदेश दूँगा कि इसके लिए कोर्ट जाए। दूसरा इन्टरेस्ट तो वो देंगे ही। इन्टरेस्ट तो उनको देना ही चाहिए, जब तक वो मिलेगा। अभी तक डिपार्टमैण्ट लगा हुआ था, किसी तरीके से उनको कहते थे, ''दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में पजेशन मिल जाएगा।'' दो–दो... तीन–तीन... महीने करके समय निकल गया है। क्योंकि अब पाँच साल हो चुके हैं। अब सब्र का बाँध टूट चुका है तो इसके लिए कोर्ट भी जाया जाएगा और उनके खिलाफ ये कहा जाएगा। दूसरी बात जहाँ तक ईडब्लूएस की बात है, अभी दो क्वेश्चन और पूछे हैं जवाब दे ही देता हूँ। ईडब्लूएस जितने भी बेड हैं, उसको पूरा वेबसाइट पर दिखाया गया है। पूरी दिल्ली के अन्दर जिस भी हॉस्पिटल के अन्दर प्राइवेट हास्पिटल में ईडब्लूएस बेड हैं, उनकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी जाती है। सभी अस्पतालों में ईडब्लूएस कटेगरी नहीं है। कई बार गलतफहमी होती है कि भई, इस अस्पताल में भेजा तो ईडब्लूएस होगा ही होगा। सबमें नहीं है।

जिनको सरकार की ओर से रियायती दरों पर जमीन मिली थी, सिर्फ उन्हीं में है और दस परसेन्ट बेड होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। कई जगह ऐसी समस्या भी आती है कि भई, एक अस्पताल में दस बेड हैं और दस के दस फुल हैं अगर तो उसके बाद ईडब्लूएस के अन्दर नहीं भर्ती हो सकती है। ये क्लीयर है। हाँ जहाँ तक... अगर बेड खाली है और कोई नहीं देता, उसकी शिकायत जरूर हमसे कीजिए कि अगर खाली बेड हैं और उसको ईडब्लूएस का बेड नहीं दे रहे हैं, उन अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे सदन के ध्यान में, संज्ञान में होगा कि जो शालीमार बाग के अन्दर मैक्स हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी, उसमें सबसे बड़ा कारण ईडब्लूएस कटेगरी के साथ भेदभाव करने के कारण था और उन्होने जो बेड नहीं देते थे... वही कारण था। अगर इस तरह की चीज संज्ञान में लाई जाएगी, उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।

साथ ही साथ राखी जी ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि इनके यहाँ जो संजय गाँधी हॉस्पिटल के अन्दर नया ब्लॉक बनना है, उसका स्टेटस वो ईएफसी से अप्रूव हो चुका है और जल्दी उसको स्टार्ट किया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, दो मिनट रुक जाइए। प्लीज। मेरे संज्ञान में है, मैं बता रहा हूँ। चलिए, पुष्कर जी। मैं अब और किसी... नहीं, प्लीज उत्तर आ गया अब। आपका उत्तर आ गया सारा, बैठिए। प्लीज बैठिए। प्लीज, महेन्द्र जी। प्लीज अजेश जी। ये तो सब कुछ इशारों– इशारों में हो रहा है। सब कुछ इशारों पर हो रहा है। नहीं, बिना उनके क्वेश्चन पूछे बिना ही राखी जी के, आपने उत्तर दिया तो अब अजेश जी की हिम्मत हो गयी, बिना पूछे।

स्वास्थ्य मंत्रीः अजेश जी, का मैं जवाब दे देता हूँ। अब इनकी जमीन के ऊपर मोहल्ला क्लीनिक नहीं, अस्पताल ही बनेगा। उसके लिए आश्वस्त रहें।

माननीय अध्यक्षः भाई देखिए, नितिन त्यागी जी का जो मामला है, जो उन्होंने उठाया है उस पर गम्भीर मामला है। एक बार जल्दी करिए आप, प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग में काम अभूतपूर्व किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे देश में गौरव की बात है, हमारे लिए। माननीय महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया, उसी के अनूपूरक बात ये बनती है कि जो हमारा एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, उसमें अभूतपूर्व काम हो रहा है। नये हॉस्पिटल बनाने की पूरी बात बन नहीं रही है लेकिन उसके बाद भी सरकार ने एक अगला कदम उठाते हुए जो ईडब्लूएस के लिए विशेष प्रावधान किया, मैं ये संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बहुत गम्भीर मामलों में केन्सर के रोग की स्थिति में बहुत आपदा स्थिति में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने की बात आई और उसमें अनुदान सरकार की तरफ से देने की बात आई...

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी, क्वेश्चन रेज करिए।

श्री पंकज पुष्करः प्रश्न, महोदय, ये है मेरा कि उसमें गम्भीर अनियमितताएँ हमारे संज्ञान में आई हैं। कई सदस्यों के संज्ञान में आई हैं। स्वयं मेरे अनुभव में आई हैं। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि विधान सभा की जो स्टेन्डिंग कमेटी है स्वास्थ्य के मामलों की, या कोई और कमेटी को माननीय मंत्री महोदय उसको विश्वास में लें और उसको ये प्राधिकार दें, उसको अध्यक्ष

महोदय, आप ये... क्या ये सम्भव है कि उसकी निगरानी में समिति को जिम्मेदारी दी जाए क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर का काम है। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से प्रश्न ये है कि इस काम में विधान सभा की समिति को, क्वेश्चन रेफरेन्स कमेटी को वो रेफर हो जाए और उसके बाद उसकी नियमित निगरानी बन सके जिससे कि एक जन हित कार्य योजना का अनुपाल निश्चित रूप से हो सके।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, देखिए पुष्कर जी, कमेटी का अपना अधिकार है। उसमें मंत्री जी कमेटी को कहें, ये करें, मंत्री जी की कमेटी में कोई दखलन्दाजी नहीं होती। एक बात। कमेटी में कोई कम्प्लेन्ट्स आती हैं... आप विधायक हैं। कहीं दिखाई देता है, कमेटी स्वतंत्र है वो जा करके हॉस्पिटल का विजिट करे, कमेटी उस पर रिपोर्ट तैयार करे। सदन पटल पर रखे। कहीं पर भी आता है, उसमें मंत्री जी का कहीं कोई... कमेटियाँ स्वतंत्र हैं। कमेटियाँ एक न्यायालय की तरह से हैं। उनको पूरा अधिकार है। उस अधिकार से काम करें। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे लगता है, मुझे भी जानकारी नहीं है कि ईडब्लूएस मे कौन–कौन से हॉस्पिटल आते हैं। अगर सोमवार को उसकी सूची मिल जाए तो जरा सभी सदस्यों को इसमें लाभ रहेगा।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ईडब्लूएस किस–किस अस्पताल में कितने–कितने बेड हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपको पूरे सदन के सामने सोमवार को रख दी जाएगी।

माननीय अध्यक्षः हाँ, उसमें कितने बेड है, और...

स्वास्थ्य मंत्रीः कितने बेड है और कितने ईडब्लूएस के बेड है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

स्वास्थ्य मंत्रीः साथ–साथ मैं एक चीज बताना चाहूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब नहीं भई, प्लीज। सौरभ जी, प्लीज। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, बैठिए, अब प्लीज। सौरभ जी, प्लीज। आप अच्छे सदस्य है इस सदन के...

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, एक चीज और बताना चाहूँगा। ईडब्लूएस के फॉलो न करने की वजह से इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर 500 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाई गई है। ये मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दिल्ली सरकार करेगी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। तारांकित प्रश्न–44 तथा 54 और अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर आज भी प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं सम्बन्धित अधिकारियों को ये आदेश दे रहा हूँ। सम्बन्धित सचिव दिनांक 11 जून, 2018 को अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें तथा इन प्रश्नों के पूर्ण उत्तर सम्बन्धित मंत्री महोदय को प्रस्तुत करें। साथ ही इन प्रश्नों का दिनांक 11 जून, 2018 को पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। तीन जो पिछले बाकी हैं और तीन ये हो गये। 6 प्रश्न सोमवार को 11 तारीख को स्टार्ड क्वेश्चन में सूचीबद्ध किए जाते हैं। एक बात, बात नम्बर 2 कि आज जो नितिन जी ने बात की है, उसको ध्यान में रखते हुए 280 को पढ़ा माना जाए। नम्बर 3, कल सोमवार को स्टार्ड क्वेश्चन और 280 नहीं रहेगा। जिस प्रस्ताव पर। एक सेकण्ड, भई अब नहीं, सौरभ जी, प्लीज। अब माननीय उप मुख्य मंत्री जी, लोकपाल पर सूचना कुछ देना चाहते हैं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

42. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह सत्य नहीं है कि यदि ये सीसीटीवी कैमरे दिल्ली पुलिस द्वारा लगा दिए जाते हैं तो ये सुरक्षा, यातायात, दुर्घटनाओं को कम करने और महिला सुरक्षा में सुधार के क्षेत्र में बहुत सहायक होंगे,

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का आश्वासन दिया था, और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने विगत साढ़े तीन वर्षों के दौरान एक भी कैमरा नहीं लगाया है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री: (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त ''क'' अनुसार लागू नहीं है।

(ग) जी हाँ, यह सत्य है।

(घ) संबंधित विषय में लोक निर्माण विभाग की ऐसी जानकारी नहीं है।

(ङ) जानकारी के अनुसार माननीय विधायकों के एल.ए.डी. फण्ड के अंतर्गत कुछ कैमरा लगाए गए हैं।

44. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराएँ,

(ख) क्या सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कोई आदेश या दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(घ) ये पद कब तक भर दिए जाएंगे?

(संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

45. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वज़ीराबाद रोड पर खजूरी फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा;

(ख) क्या यूटीटीआईपीईसी ने इसके डिज़ाइन हेतु आवश्यक स्वीकृति दे दी है;

(ग) इस अंडरपास के कब तक चालू हो जाने की संभावना है, और

(घ) इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) खजूरी खास अण्डर पास के निर्माण कार्य में प्रशासनिक स्वीकृती मिलने के 3 महीने के पश्चात् ही शुरू होगा।

(ख) जी हाँ, यूटीपेक द्वारा इसकी स्वीकृती दी जा चुकी है।

(ग) अनुमोदन के पश्चात् इस कार्य को लगभग 18 महीने में पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) प्रशासनिक स्वीकृती के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन बनाने के लिए सर्विस उपयोगी विभाग जैसे कि– पानी, सीवर की पाइपलाइन, बिजली एवं टेलिफोन आदि भी लाइन हटाने के लिए होने वाले का ब्योरा देने के लिए संदर्भित विभागों को लिखा गया है तथा नियमित तौर पर मीटिंग की जा रही है।

46. श्री ऋतुराज गोविन्द : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में लो.नि.वि. की ऐसी सड़कों की संख्या क्या है जहां एल.ई.डी. लाइटें लगा दी गई हैं,

(ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में लो.नि.वि. द्वारा चिन्हित 'डार्क स्पॉट' की संख्या क्या है और वे कहां स्थित हैं, और

(ग) इन 'डार्क स्पॉट्स' को हटाने के लिए कितनी हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं और कहां लगाई गई हैं?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) लोक निर्माण विभाग के द्वारा ऐसा कोई कार्य इस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं कराया गया;

(ख) लोक निर्माण विभाग के द्वारा 'डार्क स्पॉट' चिन्हित करने का कार्य नहीं किया गया है; और

(ग) उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं है।

50. श्री महेन्द्र यादव : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वास्थ्य विभाग का विकासपुरी विधान सभा क्षेत्र में पॉली क्लीनिक खोलने का क्या कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, उसका विवरण दें; और

(ग) जनता के लिए यह पॉली क्लीनिक कब तक खुल जाएगा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) एवं (ग) जी हाँ, दिल्ली सरकार के द्वारा पूरी दिल्ली में कुल 94 दिल्ली सरकार औषधालयों को अपग्रेड करके पॉलिक्लिनिक में परिवर्तित किए जाने की योजना है जिसके लिए ई.एफ.सी. से प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है तद्उपरांत कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी।

51. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर, चाणक्य प्लेस–I और II में निर्यात के लिए उत्पाद निर्माण करने वाली लगभग 4000 छोटी इकाइयाँ कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का इन इकाइयों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों को सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें:

(ङ) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की औद्योगिक नीति क्या है?

माननीय उद्योग मंत्रीः (क) यह जानकारी उद्योग विभाग के पास उपलब्ध नहीं है;

(ख) से (घ) चाणक्य प्लेस और सीतापुरी स्माल स्केल मैनुफेक्चरर्स और शॉपकीपर वेल्फेयर ऐसोसिएशन से इन क्षेत्रों का सर्वे कराने के लिए एक पत्र इस विभाग को प्राप्त हुआ था। मास्टर प्लान, दिल्ली–2021 के चैप्टर 7 के पैरा नं. 7.6.2.1 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का पुर्नविकास हेतु अधिसूचित करने के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत औद्योगिक घनत्व एवं न्यूनतम चार हेक्टेयर सतत् क्षेत्रफल का होना अनिवार्य है। उपर्युक्त अनिवार्यता के परिपालन के लिए विभाग ने प्रक्रिया एवं तदनुसार दस्तावेज निर्धारित किए हैं। उपर्युक्त औद्योगिक संगठन से वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके लिए औद्योगिक संगठन को सूचित किया जा चुका है। अतः इस विभाग में इससे संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है;

(ङ) उपर्युक्त 'ख, ग व घ' में जैसा कहा गया है कि संबंधित औद्योगिक संगठन से वांछित दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुआ है; और

(च) औद्योगिक नीति की प्रतिलिपि संलग्न है।

52. सुश्री भावना गौड़ : क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2017 में दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के कितने मामले दर्ज़ किए गए;

(ख) मच्छरों से फैलने वाली ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए इस वर्ष क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) जनता को इस संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए इस वर्ष अभी तक जागरूकता अभियान प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है; और

(घ) इन जागरूकता अभियानों में जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री:

(क) डेंगू 2017—4726
चिकनगुनिया 2017—559

(ख) डेंगू व चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जनवरी माह के पहले सप्ताह से ही जनता की भागीदारी के साथ सार्वजनिक जागरूकता गतिविधियों को तीव्र किया गया है। सामुदायिक सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय की भागीदारी, मच्छर प्रजनन और मच्छर काटने की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर शुरूआत की गई है। सभी विभागों, विशेष रूप से शिक्षा विभाग को इस कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

(ग) वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सामुदायिक संवेदीकरण और जन जागरूकता गतिविधियों की शुरूआत जनवरी माह से ही कर दी है।

(घ) डेंगू नियंत्रण गतिविधियों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाये गए हैं। टीमों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर दौरे किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

53. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में वजीरपुर गाँव तथा सत्यवती कॉलेज के पास उपरि–पार पथ (एफओबी) बनाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) इस कार्य में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लो.नि.वि. के नालों की सफाई के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण दें;

(घ) खराब एलईडी लाइटों को बदलने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण दें;

(ङ) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं का विवरण दें, और

(च) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लो.नि.वि. के विभिन्न विभागो में पदस्थ स्टाफ का विवरण और उनके संपर्क का ब्यौरा दें?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) यह कार्य पहले पीपीपी मॉडल के अंतर्गत होने थे परन्तु

दिनांक 30.08.2017 में यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य सरकारी बजट से कराये जाएंगे।

(ग) नालो की सफाई हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

1. बरसाती पानी की निकासी के लिए सभी Bell mouth openings की सफाई की जा रही है;

2. सभी सड़कों की बरसाती नालियों की सफाई की जा रही है;

3. आपात कालीन स्थिति से निपटने के लिए पम्प लगाए जा रहे हैं और Maintenance Van सहित मोबाइल पम्प का भी प्रबंध किया जा रहा है;

उपरोक्त सभी कार्य प्रगति पर है व दिनांक 30.06.2018 तक पूरे कर दिये जायेंगे;

(घ) वजीरपुर विधान क्षेत्र में लगभग सभी लाइटें ठीक हैं। कुछ लाइटे खराब होती रहती हैं जिसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है;

(ङ) लोक निर्माण विभाग में ऐसी कोई परियोयना लंबित नहीं है;

(च) सड़क उ.प. मंडल आर–1

श्री आर.के. खन्ना, कार्यपालक अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–27691105

श्री आशा सिंह भरीजा, सहायक अभियन्ता

श्री संजय लूथरा, कनिष्ठ अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–27106257
भवन उ.प. मंडल बी–1

श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–27348609, 27347438

श्री जगदेव, सहायक अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–27224193

श्री संजय यादव, कनिष्ठ अभियन्ता

श्री धर्मेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–27301163

श्री अंकुश प्रसाद, कनिष्ठ अभियन्ता
विद्युत मंडल उ.प.

श्री ए.के. मीना, कार्यपालक अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–23863892

श्री राजीव सक्सेना, सहायक अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–27632660

श्री सुनील कुमार सोनी, कनिष्ठ अभियन्ता
टेलीफोन नं. 011–27632660

54. श्री देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय भूमि एवं भवन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन किसानों की ज़मीन अधिगृहीत कर ली गई है उनके पुनर्वास हेतु सरकार की नीति का विवरण दें;

(ख) ऐसे किसानों को आबंटित किए जाने वाले भू–खंडों का क्षेत्रफल क्या है;

(ग) क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य क्षतिपूर्ति हेतु अधिक बड़े भू–खंड दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के किसानों के साथ इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ङ) जो किसान अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में भू–खंड आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका विवरण दें;

(च) नई दिल्ली और दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली के जो किसान क्षतिपूर्ति हेतु भूखण्ड आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका ग्रामवार विवरण दें,

(छ) इस समस्या के समाधान हेतु बुलाई गई बैठकों का विवरण दें,

(ज) जिन किसानों को भू–खंडों का आबंटन किया जाना है उनकी तुलना में जिन्हें वास्तव में आबंटन किया जा चुका है उन किसानों का प्रतिशत क्या है;

(झ) क्या यह सत्य है कि क्षतिपूर्ति भू–खंड आबंटन का यह कार्य संबंधित जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ञ) क्या भू–खंड आबंटन की इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय विधायक को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ट) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

(संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

55. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 21.3.2018 को एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने विजय विहार के समीस्थ जमीन

पर पॉलीक्लीनिक खोलने की बात कही थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जमीन लो.नि.वि. को निर्माण कार्य हेतु 19.6.2014 को सौंप दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो विगत चार वर्षों में लो.नि.वि. द्वारा किए गए कार्य का विवरण दें;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि विभाग किराए के परिसरों में चल रहे मोहल्ला क्लीनिकों को स्थानांतरित नहीं कर सकता; और

(च) यदि हां, तो मोहल्ला क्लीनिकों को स्थानांतरित किए जाने की क्या प्रक्रिया है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) संदर्भित भूमि का आबंटन डिस्पेंसरी बनाने हेतु हुआ था लेकिन अब इस भूमि पर पॉलिक्लिनिक बनाने हेतु प्रस्तावित है जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी हाँ।

(घ) उपरोक्त 'ख' अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति पश्चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी;

(ङ) जी नहीं, विभाग किराए के परिसरों में चल रहे मोहल्ला क्लीनिकों को स्थानांतरित कर सकता है; और

(च) कैबिनेट निर्णय संख्या 2309 दिनांक 11.03.2016 के अनुसार 100 मोहल्ला क्लिनिक किराये के परिसर में खोले गये जिनकी अवधि

कैबिनेट निर्णय संख्या 2531 दिनांक 12.12.2017 के अनुसार 22.09. 2018 को समाप्त हो जायेगा। तदनुसार किराये में चलने वाले मोहल्ला क्लिनिकों को सरकार द्वारा स्थापित/निर्मित पोर्टा केबिन में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

56. श्री मदन लाल : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सफदरजंग फ्लाईओवर तथा बस टर्मिनल के समीपस्थ लो.नि.वि. की सड़क पर किसी डेन्टर/पेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस अतिक्रमण के कारण सड़क पर खड़े वाहनों से यातायात में तथा जनता को बहुत असुविधा होती है;

(ग) ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने का क्या कारण है जबकि उसने समीप ही एक कमरे पर भी अतिक्रमण कर लिया है;

(घ) इन अतिक्रमणों को स्थाई रूप से कब तक हटा दिया जाएगा; और

(ङ) जो अधिकारी/कर्मचारी लो.नि.वि. की भूमि पर इस अतिक्रमण को रोकने के लिए उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हाँ, यह सत्य है कि लो.नि. वि. के फुटपाथ पर वाहन खड़े किए जाते हैं;

(ख) जी हाँ;

(ग) लो.नि.वि. ने फुटपाथ पर से वाहन हटाने के लिए कई बार प्रक्रिया की गयी है। यातायात पुलिस को अनुरोध किया गया है कि पुनः वाहन खड़ा करने पर कर्रवाई करें। ROW के पश्चात् रेलवे की जमीन है जिस पर डेन्टर/पेंटर ने कमरा बनाकर अतिक्रमण किया है न कि लोक निर्माण विभाग की भूमि पर;

(घ) लो.नि.वि. ने फुटपाथ पर से वाहन हटाने के लिए कई बार प्रक्रिया की गई है। यातायात पुलिस को अनुरोध किया गया है कि पुनः वाहन खड़ा करने पर कर्रवाई करें;

(ङ) उपरोक्त 'ख' एवं 'ग' के अनुसार लागू नहीं है।

57. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रोहतास नगर विधानसभा में निर्मित मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या क्या है?

(ख) जिन तिथियों में इनका कार्य पूरा हुआ उनका विवरण दें;

(ग) इन मोहल्ला क्लीनिकों में डॉक्टरों व स्टाफ की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये मोहल्ला क्लीनिक कब से काम करना आरंभ कर देंगे?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) रोहतास नगर विधानसभा में निर्मित तीन मोहल्ला क्लीनिक हैं;

(ख) इन मोहल्ला क्लीनिक का कार्य निम्नलिखित तिथियों को पूर्ण हुआ है;

1. 22.02.2018 अपोजिट सिद्धार्थ इन्टरनेशनल स्कूल, वजीराबाद रोड पर;

2. 13.03.2018 शाहदरा फ्लाईओवर नियर डी.टी.सी. डिपो, शाहदरा;

3. 26.03.2018 Below ROB वजीराबाद रोड, अशोक नगर साइड;

(ग) डाक्टरों के Empanelment के लिए साक्षात्कार हो चुका है और स्टाफ के Emanelment की प्रक्रिया चल रही है; और

(घ) यह मोहल्ला क्लीनिक अगस्त माह तक आरम्भ कर दिए जाएँगे।

58. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाबी बाग क्लब के सामने रोड़ नंबर 77 पर डीटीसी का एक सीएनजी स्टेशन है;

(ख) जिन वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत यह सीएनजी स्टेशन काम कर रहा है उनका विवरण दे;

(ग) क्या यह क्षेत्र 'हरित पट्टी क्षेत्र' के अंतर्गत आता है; और

(घ) क्या इस प्रकार का सीएनजी स्टेशन घनी बस्ती क्षेत्र में खोला जा सकता है?

माननीय परिवहन मंत्री: (क) जी हाँ, पंजाबी बाग क्लब के सामने डीटीसी डिपों में एक सीएनजी स्टेशन है;

(ख) यह सीएनजी स्टेशन संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन जो कि वाणिज्य व उद्योग

मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत आता है, जो कि लाईसेन्स संख्या G/HO/DL/07/245/G.26150 के अन्तर्गत काम कर रहा है; यह लाईसेन्स दिनांक 30.09.2020 तक वैद्य है (परिशिष्ट–'क')

(ग) यह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत नहीं आता है। हालांकि, ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली 2021 के लिए मास्टर प्लान के अनुसार, क्षेत्रीय पार्क/रिज, विकसित जिला पार्क और जोन 'ओ' को छोड़कर सभी उपयोग क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशनों की अनुमति दी जा सकती है; और

(घ) ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी भी घनी बस्ती क्षेत्र में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने पर रोक लगाता है। हालांकि, सीएनजी स्टेशन क्षेत्र को पेट्रोलियम विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है और सभी सुरक्षा सावधानियों और आग बुझाने वाले यंत्रों से किसी भी परिस्थिति का ख्याल रखने के लिए सुसज्जित होना चाहिए।

परिशिष्ट - 'क'

Q NO 58

भारत सरकार /Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन /Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
हाल संख्या 502 एवं 507, लेवल-5, ब्लाक II, पुराना सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, एन.एच.4
फरीदाबाद - 121001
Hall No. 502 & 507, Level 5, Block B, Old CGO Complex, NH-4, Faridabad - 121001
ईमेल-E-mail : jtccefaridabad@explosives.gov.in
दूरभाष/Phone/Fax No : 0129 - 2410734, 2410732

सं/No : G/HO/DL/07/245(G26150)

दिDated : 22/05/2017

31 MAY 2017

सेवा में/To,

Delhi Transport Corporation ,
(Govt. of NCT of Delhi) ,,
Stores & Purchase Dept ,B.B.Marg ,
Delhi,
District: DELHI
State: Delhi
Pin : 110009

विषय/Sub : Plot No, Not Available (Within DTC's Punjabi Bagh Terminal), Punjabi Bagh to Raja Garden Road, Punjabi Bagh, , District: DELHI, State: Delhi, Pin : 999999. में सिलेंडरों में सी.एन.जी. गैस का भरण- गैस सिलेंडर नियम, 2016 के प्ररूप छ के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति सं. G/HO/DL/07/245(G26150) के नवीकरण के बारे में/ Renewal of Licence for CNG at Plot No, Not Available (Within DTC's Punjabi Bagh Terminal), Punjabi Bagh to Raja Garden Road, Punjabi Bagh, , District: DELHI, State: Delhi, Pin : 999999. Licence No G/HO/DL/07/245(G26150) granted in Form G of Gas Cylinders Rules, 2016 - Renewal regarding.

महोदय/Sir (s),

कृपया आपके दि. 26/04/2017 के पत्र सं. nil का संदर्भ ग्रहण करें/Please refer to your application No.nil dated 26/04/2017 .

इसके साथ सीएनजी डिस्पेंसिंग की अनुज्ञप्ति सं. G/HO/DL/07/245 दि.30/09/2020 तक विधिवत नवीकृत कर भेजी जा रही है/ Licence for CNG Dispensing G/HO/DL/07/245 sent here with duly renewed upto 30/09/2020 .

कृपया गैस सिलेंडर नियमों के नियम 55 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु पूर्ण दस्तावेज Jt. Chief Controller of Explosives, North Circle, FARIDABAD प्रस्तुत करें ताकि यह अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख 30 सितम्बर 2020 को या उससे पहले उनके कार्यालय में पहुँच जाएं. कृपया नोट करें कि सिलेंडरों का आवधिक परीक्षण और जाँच इस कार्यालय द्वारा प्रमाणित परीक्षण केंद्रों पर ही किया जाएँ. / Please follow the procedure strictly as laid down in rule 55 of the Gas Cylinder Rules, 2016 and submit complete documents for renewal of the licence to the Jt. Chief Controller of Explosives, North Circle, FARIDABAD, so as to reach his office on or before the date of expiry i.e. 30th Sept. 2020 to avoid late fee. It may please be noted that periodically testing and examination of the cylinders should be done at a testing station duly recognized by this office for the purpose.

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें । /Please acknowledge the receipt of the same licence.

भवदीय/Yours faithfully,

((डा.संजय कुमार सिंह)
(DR SANJAY KUMAR SINGH))
विस्फोटक नियंत्रक
Controller of Explosives
कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
For Jt. Chief Controller of Explosives
फरीदाबाद
Faridabad

[अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://peso.gov.in देखें ।]
(For more information regarding status,fees and other details please visit our website http://peso.gov.in)

FORM G

(See Rules 50, 51 and 54)

LICENCE TO DISPENSE COMPRESSED NATURAL GAS IN A CNG DISPENSING STATION AS AUTOMOTIVE FUEL

Licence No. : **G/HO/DL/07/245(G26150)** Fee Rs. **10000/-** per year

Licence is hereby granted to **Delhi Transport Corporation , (Govt. of NCT of Delhi) , Stores & Purchase Dept ,B.B.Marg ,, Delhi, District: DELHI, State: Delhi, PIN: 110009** valid only for filling compressed natural gas in On board CNG cylinders of vehicle as automotive fuel in the licensed premises described below,subject to the provisions of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and the Gas Cylinders Rules 2016 made there-under and to the conditions of this license.

The Licence shall remain in force till the **30th September 2020.**

May 9, 2011

For Chief Controller of Explosives
HQ, Nagpur

DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. **G/HO/DL/07/245** dated **May 9, 2011** and is situated at PlotNo : **Not Available (Within DTC's Punjabi Bagh Terminal)** Village/Town :**Punjabi Bagh** Police Station : **Punjabi Bagh,New Delhi** District : **DELHI**, State: **Delhi.**

No. of Cascades	No. of Cylinder Per Cascade	Water Capacity of Cylinder	Total Capacity
2	40	75	6000
Total(in Litres)			6000

(ii) **1** number of compressors (iii) **2** number of dispensers and (iv) other facilities :**On-Line CNG Station available**

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

	Date of Renewal	Date of Expiry	Signature and stamp of the licensing authority
This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of the provision of the Explosives Act, 1884, or Gas Cylinders Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence	22/05/2017	30/09/2020	DR SANJAY KUMAR SINGH CE For Jt. Chief Controller of Explosives Faridabad

This licence is liable to be cancelled if the licenced premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.

59. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लो.नि.वि. का शास्त्री पार्क चौराहे, भजनपुरा चौराहे और नंद नगरी चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तिथि क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री: (क) जी हाँ।

(ख) इस प्रस्ताव के तहत शास्त्री पार्क चौराहे, भजनपुरा चौराहे और नन्द नगरी चौराहे पर दो तरफा फ्लाईओवर का निर्माण होना है;

(ग) 1. शास्त्री पार्क पर फ्लाईओवर की योजना हेतु दिल्ली सरकार से EFC की स्वीकृती हो चुकी है एवं प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृती हेतु भेजा गया है। स्वीकृती प्राप्त होने पर कार्य 6 महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके शुरू कर दिया जाएगा;

2. भजनपुरा व नन्द नगरी की परियोजना को अभी स्वीकृती प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृती प्राप्त होने पर कार्य टेंडर लगाकर 3 महीने में शुरू कर दिया जायेगा; और

(घ) शास्त्री पार्क के कार्य शुरू होने के उपरान्त परियोजना के पूर्ण होने में 550 दिन का समय लगेगा। भजनपुरा एवं नन्द नगरी के कार्य को पूरा होने में भी लगभग 550 दिन का समय लगेगा।

60. सुश्री राखी बिड़ला : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न रूटों पर चलने वाली एसी, नॉन एसी, क्लस्टर सेवा तथा प्राइवेट बसों का विवरण दें,

(ख) क्या यह जाँचने की कोई प्रक्रिया है कि ये बसें नियत समय सारिणी के अनुसार ही चल रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी संस्था का नाम बताएँ,

(घ) इन बसों पर निगरानी रखने हेतु विभाग ने जनवरी 2018 से जो कदम उठाए हैं, उनका विवरण दें, और मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में एतद् संबंधी अधिकारियों/कर्मचारियों का संपर्क ब्यौरा दें?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) 1. मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र से विभिन्न रूटों पर चलने वाली दिपनि की एसी व नॉन एसी बसों का विवरण **परिशिष्ट–'क'** पर संलग्न है;

2. मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र से विभिन्न रूटों पर चलने वाली क्लस्टर की नान एसी बसों का विवरण परिशिष्ट–'ख' पर संलग्न है।

3. मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र से विभिन्न रूटों पर चलने वाली नॉन एसी प्राईवेट मिनी स्टेज कैरिज बसे व दिल्ली मेट्रो फीडर बसों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

प्राईवेट मिनी स्टेज कैरिज बसें			
रूट संख्या	कहाँ से	कहाँ तक	बसों की संख्या
एफ–125ए	सुल्तानपुरी	जहाँगीरपुरी मेट्रो स्टेशन	24
एफ–912ए	पीरागढ़ी	बवाना	12
एफ–831ए	रामा विहार	रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन	14
एफ–106ए	कंझावला	पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन	25
मेट्रो फीडर बस सेवा			
एम एल–86	राजागार्डन मेट्रो स्टेशन	सुल्तानपुरी टर्मिनल	06
एम एल–26	उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन	सुल्तानपुरी टर्मिनल	07

(ख) एवं (ग) जी हाँ, दिल्ली परिवहन निगम व डिम्टस् द्वारा बस की नियत समय–सारिणी जाँचने के लिए समय–पालक की शीट, चालक मार्ग दर्शिका व संवाहक मार्ग पत्रक की जाँच की जाती है। क्षेत्रीय चैकिंग कार्यालय तथा डिपो कार्यालय द्वारा नियमित रूप से उक्त दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा भी क्लस्टर बसों के नियम समय में चलने की जाँच की जाती है। उल्लंघन करने वाले क्लस्टर ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है;

उपरोक्त अनुसार दिल्ली परिवहन निगम तथा डिम्टस् इसका निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी संस्थाए हैं;

(घ) दिल्ली परिवहन निगम इन बसों की निगरानी हेतू उत्तरी क्षेत्र की चैकिंग टीम नियमित रूप से प्रातः सायं पारी में निरीक्षण करती है। सर्तकता विभाग की टीम तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भी समय–समय डिपो, टर्मिनल व लाइन पर भी औचक निरीक्षण करते हैं और मासिक रूप से दिल्ली परिवहन निगम के सभी अधिकारी भी जन–जाँच करते हैं।

कलस्टर बसों की जांच डिम्टस् द्वारा की जाती है, तथा किसी भी प्रकार के मानकों को पूरा न करने पर क्लस्टर बस ऑपरेटरों पर जुर्माने का प्रावधान है; और

(ङ) सम्बन्धित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर निम्न प्रकार हैः–

1. **दिल्ली परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर):**

कार्यालयः सुभाष पैलेस, नई दिल्ली
दूरभाष नम्बरः 011–27198567

1. डिपो प्रबंधक, रोहिणी, डिपो–1
दूरभाष नं. 011–27043698, 27043940

2. डिपो प्रबंधक, रोहिणी डिपो–3
दूरभाष नं. 011–27945113, 27945123

क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम):
कार्यालय– पीरागढ़ी डिपो, नई दिल्ली
दूरभाष नम्बर,: 011–28113525

1. डिपो प्रबंधक, पीरागढ़ी डिपो
दूरभाष नम्बरः 011–25256533, 25267599

2. डिम्स की क्लस्टर बस

– परिवहन विभाग हैल्पलाईन (011–42400400)

– ऑपरेशन कन्ट्रोल सेन्टर डिम्स
(011–43090200, 011–45396342)

– बस पैशेंजर फीड बैक फार्म (www.dimts.in)

– ई–मेल info@dimts.in

– NextBus एन द्वारा

परिशिष्ट 'क'

Ms. Rakhi Birla MLA (Mangol Puri AC-12)

Detail of Bus Routes in Mangol Puri Vidhan Sabha Constituency

Route Originating From Mangol Puri Terminal

Route No.	From	To	Non AC	AC	Total Buses
231	Mangol Puri Q-Blk.	Old Delhi Rly. Station	1		1
568	Mangol Puri Q-Blk.	S.J.Terminal	5	2	7
808	Mangol Puri Q-Blk.	Tilak Nagar	4		4
901	Mangol Puri Y-Blk.	Kamla Market	26	0	26
939	Mangol Puri Q-Blk.	Anand Vihar ISBT	4	5	9
940	Mangol Puri Q-Blk.	Shivaji Stadium	6	0	6
940A	Mangol Puri Q-Blk.	Inder Puri JJ Colony Krishi Kunj	2	0	2
953	Mangol Puri Q-Blk.	Karol Bagh Terminal	1		1
966EXT	Mangol Puri Q-Blk.	Nizamuddin Rly. Station	2	6	8
	Total Buses		**51**	**13**	**64**

Route Passing Through Mangol Puri

Route No.	From	To	Non AC	AC	Total Buses
114	Old Delhi Rly. Station	Qutabgarh Border	17	0	17
114A	Azad pur Terminal	Auchandi Border	4	0	4
114B	Azad pur Terminal	Katewara Village	1	0	1
114EXT	Azad Pur (T)	Jat Khore	1	0	1
174STL	Azad Pur (T)	Jyonti Border	2	0	2
182A	ISBT K. Gate	Sukhbir Nagar	2	5	7
247	ISBT Kashmere Gate	Kanjhawala Village	4	0	4
569	S.J.Terminal	Sultan Puri D-Blk.	9	5	14
741	Mangla Puri	Jyonti Shivalaya	2	0	2
741A	Uttam Nagar Terminal	Katewara Village	1	0	1
908	Karampura (T)	Sultan Puri	4	0	4
921	Old Delhi Rly.Station	Rani Khera	2	0	2
921EXT	ISBT Kashmere Gate	Mubarakpur Dabas	3	0	3
937A	Old Delhi Rly. Station	Sultan Puri	10	13	23
943	Anand Vihar ISBT	Sultan Puri Terminal	4	0	4
944	KENDRIYATerminal	Sultan Puri	6	2	8
954	Ambadkar stadium (Tr.)	Sultan Puri Terminal	14	1	15
957	Shivaji Stadium	Rohini Sec-22 Terminal	21	13	34
957Spl.	Budh Vihar Ph-II Xing	Shivaji Stadium	1	0	1
962	KENDRIYATerminal	Kanjhawala Village	1	0	1
962A	Shivaji Stadium	Majra Dabas	2	0	2
970	J.L.Nehru Stadium	Rohini Sec-1 Avantika	10	0	10
971	Anand Vihar ISBT	Rohini Sec-1 Avantika	21	25	46
972	Harewali Village	Uttam Nagar (T)	10	0	10
972A	Bawana	Uttam Nagar (T)	10	6	16
982	New Seema Puri	Sultan Puri	5	8	13
984A	Rohini Sec-1 Avantika	Lajpat Nagar	5	0	5
GRAMIN MUDRIKA (+)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6		6
GRAMIN MUDRIKA (-)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6		6
	Total Buses		**184**	**78**	**262**

परिशिष्ट 'ख'

ANNEXURE 1: Routes originating from Mangolpuri Vidhan Sabha Constituency

S. No.	Route No.	From	To	Number of Cluster Buses in operation	Via
1	901	Mangolpuri Y Block **via Mangolpuri Y Block, Mangolpur Khurd, Mangolpur School**	Kamla Market	27	Mangolpuri Y Block, Mangolpur Khurd, Mangolpur School, Saraswati Vihar C Block, JD Block Pitampura, Wazirpur Depot, Ashok Vihar Crossing, Model Town II, GTB Nagar, Old Secretariat, I.S.B.T. Kashmere Gate, Red Fort, Delhi Gate, Kamla Market
2	808	Q Block Mangolpuri Terminal **via Mangolpuri B Block , Mangolpuri Q Block**	Tilak Nagar	6	Tilak Nagar, Hari Nagar Depot, Junk Market, . Mayapuri Depot, Rajdhani College (Raja · Garden), Punjabi Bagh Club, Punjabi Bagh Terminal, Madipur J.J. Colony (Metro Station), Peeragarhi Chowk, B Block Mangolpuri, Q Block
3	932A	Q-Block Mangolpuri **via Mangolpuri Y Block, Mangolpuri Q Block**	Harsh Vihar	4	Harsh Vihar,Nand Nagri Depot,C 4 Yamuna Vihar,Bhajanpura, Guru Nanak Sar,Gopal Pur Crossing (Jagatpur),Burari Crossing,Mukundpur Crossing,Mukarba Chowk,Haider Pur Water Works,Uttri Pitampura,Rohini Sec-7,8 Crossing,Rohini Depot 1 Sec 6 (Ambedkar Hospital),Visram Chowk,Mangolpuri Y Block,Q-Block Mangolpuri.
		TOTAL		37	

ANNEXURE 2: Routes passing through Mangolpuri Vidhan Sabha Constituency

S. No.	Route No.	From	To	Number of Cluster Buses in operation	Via
1	937A	Sultanpuri Terminal **via Mangolpuri B Block, Mangolpuri S Block**	Old Delhi Railway Station (Fatehpuri)	21	Old Delhi Railway Station, Tis Hazari Animal Hospital/ Mori Gate, Ice Factory, Guru Govind Singh Marg, Sarai Rohilla, Zakhira, Punjabi Bagh Terminal, Madipur J.J. Colony, Peera Garhi Chowk, Mangolpuri B Block, Mangolpuri S Block, Sultanpuri Terminal
2	883	Uttam Nagar Terminal **via Mangolpuri B Block**	I.S.B.T. (Nityanand Marg)	28	Uttam NagarTerminal, C-Block Vikaspuri, Major Bhupinder Singh Nagar, Sunder Vihar, Peera Garhi Depot, Mangolpuri B-Block, C-Block Saraswati Vihar, Uttari Pitampura, Haiderpur Waterworks, G.T.K Depot, Adarsh Nagar Metro Station, Model Town II, G.T.B Nagar, Old
3	761	Manglapuri Terminal **via Mangolpur School**	Azadpur Terminal	31	Manglapuri Terminal, Mahavir Enclave Part II and III, New Dwarka Road Sitapuri, C1 Janakpuri, Uttam Nagar Terminal, District Centre (Najafgarh Road), Major Bhupinder Singh Marg, Sunder Vihar, Peera Garhi Depot, Mangolpur School, C-Block Saraswati Vihar,
4	972	Uttam Nagar Terminal **via Mangolpur School, Mangolpur Khurd**	Bawana / Harewali Gaon	10	Uttam Nagar Terminal, District Centre (Najafgarh Road), Major Bhupinder Singh Marg, Sunder Vihar, Peera Garhi Depot, Mangolpuri School, Mangolpuri Khurd, Pooth Kalan, Prehlad Vihar, Prehladpur Village, Barwala Village, Pooth Khurd, Dhakewala, Bawana
5	182A	Sukhbeer Nagar **via Mangolpuri Police Lines, Avantika Crossing**	I.S.B.T. Kashmere Gate	18	Sukhbeer Nagar, Pooth Kalan, Mangolpuri Police Lines, Madhuban Chowk, Inderlok Metro Station, Gulabi Bagh Crossing, Shakti Nagar, Tis Hazari, I.S.B.T. Kashmere Gate
6	805A	Uttam Nagar Terminal **via Mangolpuri School**	I.S.B.T. Kashmere Gate	10	I.S.B.T. Kashmere Gate,ICE Factory,Clock Tower,Rana Partap Bagh,Bara Bagh,Adarsh Nagar,G.T.K Depot,Haiderpur Waterworks,Uttari Pitampura,C-Block Saraswati Vihar, Mangolpuri School,Peera Garhi Depot, Sunder Vihar, Major Bhupinder Singh Nagar, District Center(Najafgarh Road),
		TOTAL		118	

अताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

111. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में रामघाट (वजीराबाद) में पीडब्ल्यूडी की भूमि जिस पर अनाधिकृत कब्जे का पुराना प्रकरण लम्बित है, को अनाधिकृत कब्जे से मुकत करवाने में सरकार द्वारा क्य प्रयास किए गए हैं; और

(ख) उक्त अनाधिकृत कब्जे को अवमुक्त करवाने में देरी के क्या कारण हैं?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः 13 जून एवं 14 जून 2017 को रैवेन्यू विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा यह बताया गया कि लोनिवि की कुछ भूमि है जिसे चिन्हित किया गया। एस.डी.एम (सिविल लाइन्स) के चेयरमैनशिप में एस.टी.एफ. गठित की गयी। एस.डी.एम. के आदेशानुसार लोनिवि द्वारा अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 09.01.2018 को अतिक्रमण पर नोटिस लगाये गए। एस.डी.एम. के आदेशानुसार लोनिवि द्वारा दिनांक 15.05.2018 को अतिक्रमण पर नोटिस लगाये गए। एस.डी.एम. के आदेशानुसार लोनिवि द्वारा दिनांक 15.05. 2018 को सार्वजनिक घोषणा एवं वीडियोग्राफी भी करवाई गयी। इस संबंध में प्रकरण संख्या 226/18 माननीय न्यायालय, तीस हजारी में लंबित है। इस केस की अगली सुनवाई की तिथि 20.08.2018 निर्धारित की गई है;

(ख) यह कार्रवाई एस.डी.एम सिविल लाईन कार्यालय द्वारा की जानी है। इस संबंध में उनके द्वारा निर्णय लेना शेष है।

112. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016–17 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तिलक नगर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग सिविल, इलैक्ट्रिकल, हॉर्टिकल्चर, प्रोजेक्ट व अन्य द्वारा क्या कार्य किए गए हैं व उन पर कितना खर्च आया, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए; और

(ख) 2018–19 में तिलक नगर क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है,

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः वर्ष 2016–17 में पीडब्ल्यूडी विभाग के उद्यान विभाग के द्वारा कोई खर्चा नहीं किया गया तथा अन्य कार्यों से संबंधित सूची संलग्न है। (संलग्नक–112)(क)1 एवं 112(क)2।

(ख) संबंधित उद्यान मंडल द्वारा पौधारोपण व अनुरक्षण का कार्य करने हेतु प्रक्रिया जारी है।

वर्ष 2018–19 में तिलक नगर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित विद्यालयों में अतिरिक्त एस.पी.एस कमरो का निर्माण प्रस्तावित है, संबंधित सूची संलग्न है। संलग्नक–112 (ख)1

2018–19 में तिलक नगर क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यों के प्रारंभिक अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति के लिए निम्नानुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

S.No.	Name of Work	P.E. Amount (In lacs)
1.	EOR to GGSSS, Prem Nagar, New Delhi (Sh. Installation of RWH System in school premise)	8.90
2.	EOR to Govt Girls Sr. Sec. School 1, Tilak Nagar, New Delhi (SH:- Renavation of toilet blocks i/e augmentation of sewer lines, repairing & levelling of damaged stone flooring etc. and misc. civil works).	9.97
3.	EOR to T.C.P.C. at Tilak Nagar, New Delhi dg. 2015-16 (SH. Repair & raising of boundary wall, renovation of hall and toilet and misc. civil works).	41.02
4.	EOR to AC-29 Voter Centre, Tilak Nagar, New Delhi. (SH: Aluminium partition cabin for AERO & Hall, Repair of windows & toilet block and otehr finishing works).	8.38
5.	EOR to Dept. of Social Welfare govt of NCT of Delhi, New Delhi (Sh.: Boring of 1 Nos. tubewell at training cum production centre (TCPC) Santpura Gurudwara Tilak Nagar, New Delhi)	4.21

(ग) जी हाँ, यह सत्य है एवं व्यवहार्यता अध्ययन की निविदा प्रक्रिया जारी है;

(घ) निम्नलिखित मार्गों में लोक निर्माण विभाग के द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन कराया जा रहा है; और

1. Najafgarh Road: (From Najafgarh to Raja Garden)

2. Pankha Road: (From: Uttam Nagar Metro Station)

3. Lal Sai Mandir Marg: (From Pankha Road to Hari Nagar Crossing at jail Road)

(ङ) संबंधित उद्यान मंडल द्वारा नजफगढ़ रोड़ पर पौधारोपण व अनुरक्षण करने के लिए प्रक्रिया जारी है। नजफगढ़ रोड़ व तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के सड़कों के कुछ भागों को हरा भरा करने का कार्य बरसातों के मौसम में किए जाने की योजना है जिसके लिए निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी हैं और जल्द ही इस कार्य को अवार्ड कर दिया जाएगा।

अता· 1#2 (क)H

Unstarred Q.No. 112 by. Sh. Jarnail Singh, Hon'ble M.L.A. **Annexure "A"**

List of Works under Tilak Nagar Assembly Constituency dg. 2016-17

Sl. No.	Name of Work	Expenditure Cost
1	1. Eor to ITI women at Tilak Nagar, New Delhi Dg. **2015-16**. SH: Repair & Renovation of toilet blocks and other misc. work	Rs. 4,12,387/-
2	EOR to SBV No. 2, Tilak Nagar, New Delhi (SH: Development of area between main building and SPS with RMC	Rs. 14,69,437/
	2016-17	
3	A/R & M/O Various roads under sub Division WR-13, Division WR-I, New Delhi during. 2015-16. (SH: Providing and placing RCC jerssy barries at Tilak Nagar.)	486319.00
4	A/R & M/O Various roads under sub Division WR-13, Division WR-I, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Desilting of drain at Road No. 235, road between two blocks of G-Block, G-I Block Vikaspuri to Palicon road & Kesopur Subzi Mandi Red light (Outer Ring Road) to Subhash Nagar Drain & 100' Road (Patel Chowk to Subhash Nagar Drain & Guru Virjanand Marg to Distt. Park & Chowkahndi Road & Tilak Nagar to 20 Block Tilak Vihar & Road Adjacent to PVR Complex & Saheed Raj Guru Marg at Tilak Nagar.)	1097894.00
5	A/R & M/O Various roads under sub Division WR-13, Division WR-I, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Desilting of drain of K.R. Manglam roads, storey road Tilak Vihar & Road No. 235 extension & Lala Ganesh Das Khatri Marg at Tilak Nagar.)	897871.00
6	A/R & M/O Various roads under sub Division WR-13, Division WR-I, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Providing & Installation Trolley mounted Diesel Pumps during Monsoon season Tilak Nagar Area.)	583562.00
7	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Painting of Railing and kerb stone in different locations of Tilak Nagar constituency.)	840877.00
8	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Providing security services and cleaning of subways at Tilak nagar, Ganesh Nagar, Titarpur, FOB at Janakpuri district center and sub division office WR-13.)	1457803.00
9	A/R & M/O various roads under PWD Sub Division WR-13, Division WR-1 New Delhi dg. 2016-17. SH: Patch Repairing works at different locations in Tilak Nagar Constituency.	876724.00
10	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Making connection of drain and construction of footpath in Ashok Nagar Double Storey Road under Tilak Nagar Constituency.)	758909.00
11	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-1, New Delhi during 2016-17. (SH:-Connection of Sahib Pura area to Outer Ring Road in Tilak Nagar Assembly, New Delhi.)	674397.00

विधान सभा प्रश्न संख्या – 112 'ख' अनुसंलग्नक– 1

वर्ष 2018–19 मे तिलक नगर क्षेत्र मे इस विभाग द्वारा निम्नलिखित विधालयो मे अतिरिक्त एस0पी0एस0 कमरो का निर्माण प्रस्तावित है :–

विधालय का नाम	कमरे
1. सर्वोदय बाल विधालय–1 तिलक नगर	24
2. सर्वोदय बाल विधालय–2 तिलक नगर	50
3. राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विधालय–1, तिलक नगर	90
4. सर्वोदय कन्या विधालय–3 तिलक नगर	16
5. राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विधालय अषोक नगर	28
6. सर्वोदय बाल विधालय ए–ब्लाक विकासपुरी	32
7. राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विधालय झ्ळ.छ्य्य विकासपुरी	74
8. सर्वोदय बाल विधालय अषोक नगर	32

विधान सभा प्रश्न संख्या – 112 'क' अनुसंलग्नक– 2

वर्ष 2016–17 के दौरान इस विभाग द्वारा अतिरिक्त एस0पी0एस0 कमरो का निर्माण निम्नलिखित विधालयो मे किया गया है । जिसका ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है :–

विधालय का नाम	कमरे	खर्च
राजकीय विधालय जी–ब्लाक विकासपुरी	52	रू0 11,05,95,835/– (31.03.2017 तक)
सर्वोदय कन्या विधालय ए–ब्लाक विकासपुरी	44 कमरे 1 एम0 पी0 हाल	रू0 12,64,11,383/– (31.03.2017 तक) ए एवं एफ ब्लाक विकासपुरी हेतु एक ही टेण्डर किया गया है अतः उपरोक्त व्यय ए–ब्लाक एवं एफ ब्लाक विकासपुरी का संयुक्त व्यय है ।

113. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि अम्बेडकर नगर एम.बी. रोड, खानपुर पर फ्लाईओवर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इस फ्लाईओवर की लम्बाई–चौड़ाई क्या होगी; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्री: (क) जी हाँ, यह सत्य है और व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) इस क्षेत्र में निम्नलिखित दो फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है।

फ्लाईओवर 1: प्रमोद महाजन मार्ग से जामिआ हमदर्द अस्पताल

फ्लाईओवर 2: तुगलकाबाद फोर्ट से प्रहलादपुर

(ग) फ्लाईओवर 1: 3.90 किलोमीटर

फ्लाईओवर 2: 2.481 किलोमीटर

चौड़ाई: 18.20 मीटर; और

(घ) इन कार्यों की ए.एस.आई. द्वारा एन.ओ.सी. नहीं मिली है जिसके कारण यह यूटीपैक के अनुमोदिन नहीं हुआ है, यूटीपैक के अनुमोदन के पश्चात् अनुमान बनाया जाएगा।

114. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की खानपुर–एम.बी.रोड पर यू–टर्न बनाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो यहां पर यू–टर्न कब तक बन जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जी नहीं;

(ख) 'क' अनुसार लागू नहीं; और

(ग) व्यवहार्यता अध्ययन जारी है जिसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि मीडियन में कट दिये होने के कारण यू–टर्न की आवश्यकता नहीं है।

115. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आगामी मानसून को देखते हुए सरकार द्वारा क्या–क्या तैयारियाँ की गयी हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(ख) पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के नालों की कितने प्रतिशत सफाई हो चुकी है;

(ग) प्रत्येक नाले की सफाई की स्थिति क्या है;

(घ) क्या मानसून के एक माह पूर्व आने पर सरकार की इससे निपटने की पूरी तैयारी है; और

(ङ) सरकार की मानसून पूर्व तैयारियाँ कब तक पूरी हो जाने की आशा है?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) मानसून को देखते हुए इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित तैयारियाँ की जा रही हैंः–

1. बरसाती पानी की निकासी के लिए सभी Bell Mouth Openings की सफाई की जा रही है;

2. सभी सड़कों की बरसाती नालियों की सफाई की जा रही है; और

3. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पम्प लगाए जा रहे हैं और अनुरक्षण वहन (Maintenance Van) सहित मोबाइल पम्प का भी प्रबंध किया जा रहा है।

(ख) सभी नालों का 20% से 50% के बीच में Desilting करा दी गई है तथा आगे का कार्य प्रगति पर है;

(ग) दिनांक 01.06.2018 तक नालों की सफाई की प्रगति का ब्यौरा संलग्न है;

(घ) जी हाँ। तैयारी कर ली गई है; और

(ङ) मानसून पूर्व तैयारी 30 जून 2018 तक पूरी कर ली जाएगी।

Q NO 115 संलग्नक

Date : 01.06.2018

Abstract of Desilting of Drain of All Zones

S. No.	Name of Division	Total No. of Roads	Upto 25% Progress (No. of Roads)	Upto 50% Progress (No. of Roads)	Upto 75% Progress (No. of Roads)	Upto 100% Progress (No. of Roads)
	East Zone					
1	Shahadra Road Divn.	69	55	4	4	6
2	East Road Divn.	71	61	8	2	0
3	North-East Road Divn.	22	18	4	0	0
4	SRDP Road Divn.-I	35	32	2	1	0
5	SRDP Road Divn.-II	49	49	0	0	0
6	C&ND Road Divn.	66	29	16	8	13
	Total	**312**	**244**	**34**	**15**	**19**
	South Zone					
1	South Road-I	42	16	12	5	9
2	South Road-II	42	2	3	13	24
3	South East Road-I	59	53	4	2	0
4	South East Road-II	33	25	2	3	3
5	South West Road-I	54	21	20	11	2
6	South West Road-II	26	10	7	5	4
	Total	**256**	**127**	**48**	**39**	**42**
	North Zone					
1	North West Road-I	94	44	17	15	18
2	North West Road-II	134	105	13	8	8
3	West Road-I Divn.	106	104	2	0	0
4	West Road-II Divn.	79	51	24	4	0
5	North Road Divn.	55	51	3	1	0
	Total	**468**	**355**	**59**	**28**	**26**
	Grand Total PWD	**1036**	**726**	**141**	**82**	**87**

116. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि खजूरी चौराहे से शास्त्री पार्क चौराहे तक पुस्ता मार्जिनल बांध पर सरकार की फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना है; और

(ख) इस रोड पर फुटओवर ब्रिज कब तक बना दिये जाएंगे?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) वर्तमान में इस तरह की कोई परियोजना लोक निर्माण विभाग के अधीन लंबित नहीं है।

(ख) यूटिपेक के अनुमोदन एवं सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति के उपरान्त कार्य शुरू किया जा सकता है।

117. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि इस सरकार के आने से पूर्व खजूरी चौराहे से शास्त्री पार्क तक यमुना पुस्ता मार्जिनल बांध को मिट्टी का भराव कर 30 मीटर चौड़ा करने के लिए फाइल सं. 057302809 के माध्यम से पुस्ता रोड को चौड़ा करने का प्रावधान था, और

(ख) यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जाएगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) इस कार्य के फिजिबिलिटि की रिपोर्ट बनाकर युटीपैक में मंजूरी हेतु भेजी गई थी। फिजिबिलिटि रिपोर्ट के अनुसार खजूरी चौराहे

से शास्त्री पार्क तक सड़क को चौड़ा करना था तथा खजूरी चौक पर एक अण्डरपास बनाया जाना था। युटीपैक की 54वीं गर्वनिंग बॉडी मिटिंग दिनांक 22.06.2017 को माननीय उप–राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में खजूरी चौराहे से शास्त्री पार्क तक सड़क को चौड़ा करने के स्थान पर डी.डी.ए. को ग्रीन बेल्ट विकसित करने हेतु कहा गया तथा खजूरी चौक पर अण्डरपास बनाने की मंजूरी दे दी गई है जिसके लिए प्रारंभिक प्राक्कलन बनाकर भेजा जा रहा है।

118. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर विधान सभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कें और नाले हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या रोहताश नगर विधान सभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों व नालों पर कार्य करवाने की सरकार की योजना है,

(ग) यदि हाँ तो कितने काम चल रहे हैं, पूर्ण विवरण क्या है, और

(घ) इनके कार्यों के शुरू होने और खत्म होने की अनुमानित तिथि क्या है,

(ङ) इनके कार्यों के समय पर सम्पन्न न होने के क्या कारण हैं, और

(च) चल रहे काम कब तक खत्म होंगे, पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) जी हाँ, नाले की मरम्मत संबंधित निविदा आमंत्रित की जा रही है;

(ग) वर्तमान में कोई कार्य नहीं चल रहे हैं;

(घ) अभी नियत नहीं है एवं कार्य के स्वीकृति पत्र के जारी होने के उपरान्त यह तिथियां निर्धारित होंगी;

(ङ) नाले में मरम्मत संबंधित निविदा आमंत्रित की जा रही है; और

(च) 'ग' के अनुसार लागू नहीं है।

119. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रोहताश नगर विधान सभा में पीडब्ल्यूडी की कितनी सड़कें हैं;

(ख) किन–किन सड़कों पर पीडब्ल्यूडी द्वारा एलईडी लाईट्स लगाई गयी है;

(ग) क्या मंडोली रोड और बाबारपुर रोड पर और जल बोर्ड रोड़ नियर एलआईजी फ्लैट्स रोड लोनी रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा एलईडी लाईट्स लगाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) 1. बाबरपुर का आधा भाग।

2. रोड नं. 65 का आधा भाग (केशव चौक से सुभाष पार्क एक्सटेंशन)

3. रोड नं. 68 का आधा भाग (दुर्गापुरी चौक से रेलवे क्रासिंग)

4. लोनी रोड (बांई ओर)

5. मंडोली रोड

6. दो एल.आई.जी. रोड;

7. जी.टी. रोड का कुछ भाग;

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाई गई एल.ई.डी. लाइट की सूचना संलग्न है।

(ग) जी हाँ, योजना है।

(घ) यह एक पॉलिसी मामला है, एवं अनुमोदन के पश्चात् ही इस बारे में जानकारी दी जा सकती है; और

(ङ) उपरोक्त 'घ' अनुसार लागू नहीं है।

120. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपनी सेवाएँ छोड़कर चले गए;

(ख) ऐसे अधिकारियों के नाम बताएं, जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपनी सेवाएँ छोड़कर चले गए;

(ग) इनके जाने के क्या कारण रहे;

(घ) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितने आई.ए.एस. और दानिक्स व अन्य उच्च अधिकारियों ने वालिंटियरी रिटायरमेंट ली; और

(ङ) दिल्ली सरकार में आई.ए.एस. व दानिक्स अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं, विभागानुसार पूर्ण विवरण दिया जाये?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

121. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जीटी रोड को जाफराबाद से जोड़ने वाली रोड नं. 65 का बचा हुआ हिस्सा कब तक चौड़ा किया जाएगा;

(ख) क्या इसमें कोर्ट का कोई निर्देश आया है;

(ग) यदि हाँ, तो कब, और

(घ) इसमें क्या कार्रवाई हुई है?

(माननीया विधायक द्वारा प्रश्न वापिस लिया गया)

122. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि तारांकित प्रश्न संख्या 59 में विभाग द्वारा 15 जून 2018 तक रिठाला विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य को आरंभ किए जाने की बात कही थी;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इस कार्य की क्या स्थिति है;

(ग) इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(घ) रिठाला विधानसभा में लोक निर्माण विभाग की सभी जमीनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि अवंतिका में कंझावला जाने वाली सड़क के अत्यधिक जाम से निजात पाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को ब्रिज चौड़ा करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हाँ, तो अनुरोध की प्रति दी जाए;

(छ) लोक निर्माण विभाग की सड़कों से अतिक्रमण हटाने का कार्य किस विभाग का है, और

(ज) क्या लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर दिल्ली नगर निगम के द्वारा ठेकेदारों को पार्किंग देने की आज्ञा दी गई है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य को आरम्भ किए जाने की संभावित तिथि पहले 15 जून 2018 रखी थी। इस कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन EFC कमेटी द्वारा किया जा चुका है परन्तु कैबिनेट कमेटी का अनुमोदन होना अभी शेष हैं इसके कारण कार्य की निविदा स्वीकार नहीं की गई है;

(ग) उत्तर 'ख' के अनुसार लागू नहीं है;

(घ) रिठाला विधानसभा के अंतर्गत उपलब्ध जानकारी में लोकनिर्माण विभाग के अधीन कोई जमीन नहीं है;

(ङ) जी हाँ;

(च) सहायक अभियंता के पत्र सं. 23(1)/M-3125/PWD/60 दिनांक 23.05.17 एवं कार्यपालक अभियंता के पत्र सं. 12(36)V/ लो.नि.वि.उ. प.रो.2/ का.स./2092–हि दिनांक 26.05.2017 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है;

(छ) दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के दिनाँक 06.06.2017 के आदेशानुसार लो.नि.वि. की सड़कों से अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर निगम व STF द्वारा किया जाता है। लो.नि.वि. द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए केवल Logistic Support प्रदान किया जाता है;

(ज) जी नहीं।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

PWD

GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER

CIVIL ROAD MAINTENANCE SUB-DIVISION NWR-25

West Enclave, Pitampura DELHI

No.23(1)/M-3125/PWD/60 Dated:23/05/2017

To,

The Executive Engineer,
I&FC Department
CD-VII, Sector-Rohini,
Delhi.

Sub.:- Regarding proposal for widen of Drain Bridge at Y-Block Kanjhawla Road Delhi.

Sir,

With above subject, It is submitted that there is bridge connecting to Mangolpuri Y-block to Budh Vihar over the main drain on Kanjhawala Road which is under your jurisdiction. The width of the existing bridge is not sufficient because of that traffic congestion take place from Avantika to Budh Vihar. A letter has been also received from the office of the Dy.Commissioner of Police traffic Outer Range vide there letter no:690/P.Sec/DCP/T-Outer Range Dated Delhi the,12./05/2017 (Photo copy attached).

So, It is requested to that the width of the bridge at Y-block on Kanjhawala Road may be widened in order to avoid the traffic congestion at there.

Assistant Engineer
PWD, NW R-25
West Enclave, delhi-34

Copy to:-

1. The Dy. Commissioner of Police Traffic Outer Range MACT Police Post,Pkt-7.Seector -15 Rohini Delhi w.r.t. your letter no: 690/P.Sec/DCP/T-Outer Range Dated Delhi the,12./05/2017 for information please.
2. The Executive Engineer, PWD, NW R-2 for information, please.

Assistant Engineer

स्पीड पोस्ट एवं ई-मेल

कार्यालय कार्यपालक अभियंता
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर पश्चिम (रोड)-2 मार्ग सं.43, सैनिक विहार दिल्ली-34

PWD

O/o THE EXECUTIVE ENGINEER
PUBLIC WORKS DEPARTMENT,
North West(Road)-2
(NCTD) ROAD NO.43, SAINIK VIHAR,
DELHI-34
दूरभाष नं. 27026043 फैक्स नं. 27020040
Email: eepwddelhim312@gmail.com

सं0.12(36)V/ लो.नि.वि.उ.प.(रोड)-2/का.स./ 9097-42 दिनांक:- 26/5/17

सेवा में,

The Executive Engineer,
I&FC Department,
CD-VII, Sector-15, Rohini Office Complex,
Rohini, Delhi-110085.

विषय:- Regarding Proposal for widen of Drain Bridge at Y-Block Kanjhawala Road Delhi.

संदर्भ:-सहायक अभियंता, लो0नि0वि0उ0प0(रोड)-25 का पत्र संख्या 23(1)/M-3125/PWD/60 दिनांक 23/05/2017(प्रति-संलग्न)

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में इस मण्डल के अधीन कार्यरत सहायक अभियंता, उत्तर पश्चिम (रोड)-25 द्वारा आपको पत्र लिखा गया है, जो कि स्वतः स्पष्ट है एवं उसकी प्रति पुनः सुलभ संदर्भ व आगामी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपके कार्यालय को प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

कार्यपालक इंजीनियर
लो.नि.वि. (NW) Road-2
(रा.रा.क्षे.)नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. DCP, Traffic Outer Range, Delhi Police, Sector-15, F-Block, MACP Building, Rohini, Near Vidya Bharati Public School, Delhi w.r.t your letter no. 690/P.Sec/DCP/T-Outer Range dated 12/05/2017 for information please. E-mail:- dcptordtp@gmail.com
2. सहायक अभियंता, लो0नि0वि0उत्तर पश्चिम(रोड)-25, वेस्ट एंक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ। ई-मेल:-aepwddelhim3125@gmail.com

कार्यपालक इंजीनियर

123. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में नालों की डीसिल्टिंग का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) मॉनसून के दौरान सड़कों पर जल–भराव रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ग) जल–भराव की शिकायत कब और कैसे की जाए, जनता को इसकी जानकारी देने के लिए क्या किया जा रहा है?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) लोक निर्माण विभाग के अध ीन सभी बरसाती नालों की सफाई दिनांक 30.06.2018 तक पूरी कर दी जायेगी;

(ख) मानसून के दौरान सड़कों पर जल–भराव रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित तैयारियाँ की जा रही है;

1. बरसाती पानी की निकासी के लिए सभी Bell Mouth Openings की सफाई की जा रही है;

2. सभी सड़कों की बरसाती नालियों की सफाई की जा रही है; और

3. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पम्प लगाए जा रहे हैं और अनुरक्षण वहन (Maintenance Van) सहित मोबाइल पम्प का भी प्रबंध किया जा रहा है; और

(ग) जल भराव संबंधित शिकायत लोक निर्माण विभाग की वैबसाईट www.pwddelhi./gov.in पर की जा सकती है व सभी सड़कों पर साइन

बोर्ड लगाये गये हैं जिस पर कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय का फोन नम्बर व लोक निर्माण विभाग के कन्ट्रोल रूम के टॉल फ्री नं. 1800110093 एवं लैण्ड लाइन नं. 011–23490323 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

124. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनकपुरी विधान सभा में मार्च 2016 से 20 मई 2016 तक पीडब्ल्यूडी द्वारा कौन–कौन से डेवलपमेंट और मेंटेनेन्स कार्य किये गये और इसमें कितना बजट का इस्तेमाल हुआ, पूर्ण विवरण दें,

(ख) जनकपुरी में कहाँ–कहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना है और यह फुट ओवर ब्रिज कब से बनना शुरू होंगे,

(ग) पी.डब्ल्यू.डी. के फुटपाथ पर एम.सी.डी. द्वारा बिना अनुमति के बनाए गए शौचालयों को कब तक हटाया जाएगा,

(घ) जनकपुरी पंखा रोड के साइकिल पथ के निर्माण में बाधक एम.सी.डी. के बनाये ढलाव घर को कब तक हटाया जाएगा,

(ङ) क्या यह सत्य है कि डाबड़ी चौक के गोले में पानी की कमी से सूख रहे पेड़ों के लिए यहां पर बोरिंग की योजना थी,

(च) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी?

माननीय लोक निर्माण मंत्री: (क) सूची संलग्न है।

(ख) जनकपुरी विधान सभा के अन्तर्गत फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए निम्नलिखित दो स्थानों के लिए माँग प्राप्त हुई है:

1. उत्तम नगर चौक नियर बस टर्मिनल; और

2. पोल नं. 58, ए–2 ब्लॉक, जनकपुरी, पंखा रोड, नई दिल्ली;

उपरोक्त स्थलों के लिए सबवे सब–कमेटी द्वारा इसकी व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility) हेतु निरीक्षण किया जाना है;

(ग) इस संदर्भ में एम.सी.डी. को शौचालय हटाने हेतु लिखा गया है;

(घ) यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है;

(ङ) यह लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है और

(च) उपरोक्त 'ङ' के अनुसार लागू नहीं।

Unstarred Question No. 124 By. Sh. Rajesh Rishi

Annexure "B"

List of Works under Janak Puri Assembly Constituency

Sl.No.	Name of Work	Expenditure Cost
	March 2016 to 20 May 2016	
1	Road restoration of service road in front of A-1 Block Janak Puri to Vikas Puri More, Najafgarh road cut by D.J.B. and BSES Ltd	4321944.00
2	A/R & M/O various roads under sub division WR-14, Division WR-I, New Delhi during 2015-16. (SH:- Providing and fixing paver block kerb stone & plaster work from pillar no. 608 to 637 on NG road).	963440.00
3	A/R & M/O Various roads under PWD West Road Division I, New Delhi dg. 2016-17. SH: Patch Repair & Filling of Pot holes on various roads under West Road Sub Division-12.	1121710.00
4	A/R & M/O Various roads under PWD West Road Division I, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Desilting of storm water drains under Janakpuri area under West Road Sub Division-12 (Sec. A &B).	953356.00
5	A/R & M/O Various roads under PWD West Road Division I, [illegible] of footpath, damaged drain slab, kerb stone etc. on various roads under West Road Sub Division-12.	795023.00
	Elect. Division	
6	Elect. Div. MOEI & Fans, Street Light, R.M.O. Pump Sets in Govt. Schools at Janak Puri, New Delhi. (SH:- Wiring and Rewiring in MP Halls of Saheed Captain Anuj Nayyar SKV, Janak Puri & SKV No. 2, Janak Puri).	311280/-
7	Maintenance of EI and Fans, Street Light, RMO Pump Sets at various Educational Building under AE(E) West-3, New Delhi during 2016-17. (SH:- Repairing EI work at SKV Janak Puri and GGSSS A Block Janak Puri).	372760/-
8	Providing and Installation of PA System and R.O. Plant at Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.2, C-Block, Janak Puri, New Delhi. (Code- 1618022). (SH:- Providing PA System).	408787/-

125. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.सी.टी.वी. कैमरों का टेन्डर हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो टेन्डर कितने राशि का है और सी.सी.टी.वी. टेन्डर की प्रक्रिया क्या है;

(ग) टोटल कैमरों की संख्या क्या है;

(घ) किस कम्पनी को यह कैमरे लगाने का कार्य दिया गया है;

(ङ) सी.सी.टी.वी. लगाने में देर के कारण क्या हैं;

(च) कब तक ये कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे; और

(छ) सी.सी.टी.वी. के सन्दर्भ में क्या–क्या फाइल नोटिंग कब और किस को भेजी गई उसकी सम्पूर्ण प्रति सहित सूचना दें?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) आर.एफ.पी.आईटम की एकल मात्रा रखकर आमंत्रित किया गया है परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब तक आर.एफ.पी. की मूल्य बोली (Price Bid) स्वीकार नहीं की जाती है तब तक कार्य की राशि बताना संभव नहीं है। आर.एफ.पी. की प्रक्रिया के लो.नि.वि. के वर्क मैनुअल 2014 के अनुसार है;

(ग) प्रस्तावित कैमरों की संख्या 1,40,000 है;

(घ) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की दरें न्यूनतम पायी गई हैं, स्वीकृति अभी प्रक्रिया में है;

(ङ) कैबिनेट कमेटी द्वारा कार्य के प्रारम्भिक अनुमान की प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति की मंजूरी प्रतीक्षित है;

(च) कैबिनेट कमेटी द्वारा प्राक्कलन की स्वीकृति के तत्पश्चात् मूल्य बोली की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा; और

(छ) यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

126. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के रामपुरा वार्ड में शकूरपुर गांव में रिंग रोड क्रास करने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज वर्ष 2016 में यूटीपेक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस फुटओवर ब्रिज के यूटीपेक द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद इस एफओबी को बनाने के बारे में शुरू से आज तक क्या–क्या कार्यवाही हुई, इसका पूरा विवरण और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाए;

(ग) इस फुटओवर ब्रिज का टेन्डर कब तक हो जायेगा;

(घ) यह फुटओवर ब्रिज बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(ङ) इस विधान सभा क्षेत्र के शकूरपुर जे.जे. कालोनी में पी. डब्ल्यू.डी. की सड़कें पिछली बार कब बनी थीं, इस कार्य के टेण्डर की तिथि, वर्क एवार्ड होने की तिथि बताते हुए टेन्डर और वर्क आर्डर की फोटो कापियां उपलब्ध कराई जाए?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जी हाँ, यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के रामपुरा वार्ड में शकूरपुर गाँव में रिंग रोड क्रास करने के लिए एक फुटओवर ब्रिज का वर्ष 2016 में सबवे सब कमेटी जिसमें यूटिपेक का भी एक सदस्य था, द्वारा स्वीकृत किया गया था।

(ख) इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयीः—

1. एफ.ओ.बी./सबवे सब कमेटी की अनुशंसाओ के सम्बन्ध में संबंधित कार्यालय के पत्र सं. 23(FOB)/EE(C)PWD/DS/3551&H Dated 27.08.2016 द्वारा Minutes of Meeting (फोटो प्रति संलग्न) जारी की गयी;

2. उपरोक्त एफ.ओ.बी./सबवे का प्रस्ताव सबवे कमेटी द्वारा अनुमोदन होना अभी बाकी है;

(ग) इस फुटओवर ब्रिज का अनुमोदन एफ.ओ.बी./सबवे कमेटी द्वारा होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निविदाएँ आमंत्रित की जायेगी;

(घ) इस कार्य का अनुमोदन एफ.ओ.बी./सबवे कमेटी द्वारा होना है, सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति होना एवं निविदाएँ आमंत्रित करना इत्यादि बाकी है। यह कार्य सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के लगभग तीन महीने बाद प्रारंभ किया जाएगा;

(ङ) शकूरपुर जे.जे. कालोनी में लो.नि.वि. की सड़कों की Recarpeting/Strengthening का कार्य पिछली बार वर्ष 2012—13 में

कराया गया था, इस क्षेत्र में हुए विभिन्न कार्यों के टेन्डर की तिथि, वर्क एवार्ड होने की तिथि एवम् टैन्डर और वर्क आर्डर की फोटो कापियाँ संलग्न है।

127. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक निर्माण विभाग खजूरी चौक से भोपुरा बॉर्डर तक जाने वाले मंगल पांडे मार्ग को सिग्नल फ्री बनाने की योजना पर कब काम शुरू किया जाएगा;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस पर कितना व्यय आयेगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्री: (क) खजूरी चौक से भोपुरा बार्डर तक जाने वाले मंगल पाण्डे मार्ग को सिग्नल फ्री बनाने के लिए अभी सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति (A/A & E/S approval) प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य 3 महीने में शुरू हो सकेगा;

(ख) यह कार्य पूरा होने में 18 महीने का समय लगेगा; और

(ग) अनुमानित व्ययः रु. 628.50 करोड।

128. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिंग रोड पर बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई;

(ख) यह अतिक्रमण कब तक पूरी तरह से हटवा दिए जायेंगे;

(ग) क्या यह सत्य है कि धौला कुआँ एवं रिंग रोड पर मोबाइल टावर अवैध रूप से लगाये गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो ये टॉवर कब तक हटवा दिए जाएंगे; और

(ङ) वंदे मातरम रोड तथा रिंग रोड पर लगे अवैध यूनिपोल कब तक हटवाया दिये जायेंगे?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) रिंग रोड से अतिक्रमण हटाने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा STF/DTF का गठन किया गया था जिसके द्वारा पिछले लगभग छः माह से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा लोजिस्टिक असिसटेंस प्रदान की गई थी। रिंग रोड़ पर राजौरी गार्डन के आसपास अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यह अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कोर्ट के आदेशानुसार जारी है अतः समयावधि नहीं बताई जा सकती;

(ग) जी हाँ, लगाये गये हैं।

(घ) मोबाईल टॉवर हटाने हेतू एसडीएम, दिल्ली कैन्ट से निवेदन किया गया है; और

(ङ) यूनिपोल लगाने एवं हटाने का कार्य संबंधित नगर निगम द्वारा किया जाता है।

129. श्री एस. के. बग्गा : क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृष्णा नगर विधान सभा में पटपड़गंज रोड स्थित शिवपुरी में पीडब्ल्यूडी के नाले की सफाई वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में कब की गई;

(ख) इस नाले की सफाई के लिए ठेकेदारों को कितनी राशि दी गई है;

(ग) ठेकेदार का नाम व पते का पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) पटपड़गंज रोड पर फुटपाथ कब तक बन जायेगा;

(ङ) पटपड़गंज रोड पर बिजली के खम्भे कब तक पीछे कर दिये जायेंगे;

(च) क्या यह सत्य है कि शास्त्री नगर एसडीएम ऑफिस के सामने की जगह पर अवैध कब्जा है; और

(छ) यदि हाँ तो इसे कब तक खाली करवाया जायेगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जून एवं जुलाई 2016 एवं जुलाई 2017 में इस स्थानों पर नालों में डिसिल्टिंग की गई थी;

(ख) 2016–17 राशि रु. 2.00 लाख (लगभग);

2017–18 राशि रु. 2.00 लाख (लगभग);

(ग) 2016–17 के दौरान किए गये कार्यके ठेकेदार का नाम मैसर्स अनमोल इन्फ्राटेक प्रा.लि. 17/2 ग्राउंड फ्लोर साउथ फेस, इन्द्रा विकास कालोनी दिल्ली–110009, 2017–18 के दौरान किए गये कार्य के ठेकेदार का नाम मै. साई ट्यूब वेल, 65/18, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005;

(घ) इस रोड़ के एक तरफ फुटपाथ बना हुआ है और दूसरी तरफ आर.सी.सी. का नाला है। अलग से फुटपाथ बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है;

(ङ) वर्तमान में इस कार्यस्थल पर सीमेंट के बिजली के खम्भे लगे हैं जो बीएसईएस के द्वारा सर्विस कनेक्शन देने के लिए स्थापित किये गये हैं बिजली के खम्भे पीछे करने का कार्य बीएसईएस से संबंधित है जिसका निरिक्षण माननीय विधायक श्री एस.के. बग्गा द्वारा किया गया है अतः यह कार्य बीएसईएस द्वारा ही निष्पादित किया जाना है;

(च) जी हाँ; और

(छ) माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के दिनाँक 06.06.2017 के आदेशानुसार लो.नि.वि. की सड़कों से अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर निगम व STF द्वारा किया जाता है। लो.नि.वि. द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए केवल Logistic Support प्रदान किया जाता है।

130. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटना आदि में घायलों को प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने पर समुचित इलाज में आने वाली कठिनाइयों का कोई अध्ययन करवाया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को 200/– रूपये इनाम देने की भी घोषणा की है,

(घ) यदि हाँ तो अब तक कितने व्यक्तियों को यह इनाम दिया गया है;

(ङ) क्या घायलों को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक का पूरा ईलाज प्राईवेट अस्पताल को करना होता है या केवल प्राथमिक उपचार के बाद प्राइवेट अस्पताल घायल को घर भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है;

(च) इस प्रकार किए गए इलाज के खर्चे की प्रतिपूर्ति किसके द्वारा वहन की जाती है, और

(छ) निजी अस्पताल द्वारा घायल के इलाज में कोताही/आनाकानी किये जाने पर घायल व उसके परिवार को त्वरित समाधान के रूप में क्या सहायता प्राप्त है जिससे कि उसे सही समय पर अबाधित इलाज मिल सके?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: (क) एवं (ख) जी हाँ, परंतु इसका रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है;

(ग) हाँ यह सत्य है कि घायलों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को सरकार ने इनाम जारी किया है लेकिन यह इनाम 2000/— रूपये प्रति व्यक्ति है;

(घ) अस्पतालों को धन और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। योजना कुछ सप्ताह पहले ही शुरू की गई है। अस्पतालों से प्राप्त होने पर लाभार्थियों के विवरण की जानकारी सूचित की जायेगी;

(ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा 15.02.2018 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया जिसमें सारे पंजीकृत नर्सिंग होम तथा प्राइवेट अस्पताल

को निर्देश दिया गया कि सड़क दुर्घटना, एसिड अटैक तथा थर्मल बर्न इंजरी के मेडिको–लीगल विक्टिम का पूर्ण इलाज, उपलब्ध सुविधा के अंतर्गत, देना अनिवार्य है;

(च) दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा; और

(छ) निजी अस्पताल द्वारा घायल के इलाज में कोताही/आनाकानी किए जाने पर घायल व उसके परिवारजन त्वरित समाधान के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, दिल्ली सरकार को संपर्क कर सकते हैं।

131. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए किसी आईडी प्रूफ की आवश्यकता है, और

(ख) क्या दिल्ली सरकार की ओपीडी में इलाज कराने के लिए किसी आईडी प्रूफ की आवश्यकता है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

132. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों में सुविधाओं व दवाओं का घोर अभाव है;

(ख) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 24 सरकारी अस्पतालों में 31 ऑपरेशन थियेटर बन्द पड़े हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि नवीनतम दीपचन्द बन्धु अस्पताल में 6 के 6 ऑपरेशन थियेटर बन्द पड़े हैं;

(घ) किस–किस अस्पताल में कितने–कितने ऑपरेशन थियेटर बन्द पड़े हैं; और

(ङ) इन्हें चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी नहीं;

(ख) जी हां, लेकिन वर्तमान में केवल 24 ओ.टी. बन्द हैं तथा शेष में आवश्यक मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ग) इस अस्पताल में 6 ऑपरेशन थियेटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 02 ऑपरेशन थियेटर लोक निर्माण विभाग के बकाया कार्य के कारण लम्बित है। 02 रूटीन ऑपरेशन थियेटर जून 2018 के मध्य तक आरम्भ करने की योजना सम्भावित है। अन्य 02 ऑपरेशन थियेटर मैन पावर एवं उपकरणों की उपलब्धता के पश्चात् आरम्भ कर दी जाएगी;

(घ) सूची संलग्न है; और

(ङ) संबंधित एजेसिंयों द्वारा ऑपरेशन थियेटरों को चालू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किये जा रहे हैं।

सलग्नक

Functionality Status of OTs as on 01.06.2018

Sr. No.		Non-functional	
1.	Dr. BSA Hospital	01	PWD issues
2.	BMH	02	Staff Isuee
3.	DCBH	06	Due to issues of PWD, manpower and anaesthesia workstation.
4.	Pt. MMMH	04	PWD issues, Anaesthesia work station.
5.	GB Pant Hospital	02	02 OTs having PWD issues, lack of manpower
6.	ABGH	03	Manpower
7.	SVBPH	01	Due to non-availability of anaesthesia workstation.
8.	JPCH	01	No staff
9.	GTBH	03	No change
10.	DHAS	01	Issue of OT light
	Total:	24	

A mail has also been sent today to know the latest position of functional/non-functional of OTs.

133. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल की बॉडी का चेयरमैन कौन है;

(ख) इन्हें किन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या वे निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं; और

(घ) क्या किसी एक विधानसभा क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत पड़ने वाले अस्पताल में किसी दूसरे विधान सभा का व्यक्ति चेयरमेन नियुक्त किया जा सकता है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) श्री जरनैल सिंह, विधायक तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र को इस अस्पताल की रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है;

(ख) कैबिनेट के फैसले के अनुसार अस्पताल रोगी कल्याण समिति के चेयरमेन/अध्यक्ष विधायक होते हैं, जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा नामांकित की जाती है;

(ग) हाँ; और

(घ) हाँ।

134. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मरीजों के टैस्ट व अन्य डायग्नोस्टिक आवश्यकताओं के लिए प्राइवेट सैंटरों आदि में रैफर करने की क्या योजना है, इसकी विस्तृत जानकारी दें,

(ख) ऐसे अस्पतालों के नाम व इनमें अब तक किन–किन टेस्टों आदि के लिए कितने मरीज रैफर किए गए;

(ग) इस योजना से अब तक कुल कितने मरीज लाभान्वित हुए;

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कितना बजट आबंटित किया है औरअब तक कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) क्या डॉक्टर ऐसे सैन्टरों की रिपोर्टों से संतुष्ट हैं और उनके अनुसार चिकित्सा कर रहे हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) इससे सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया ज्ञापन दिनांक 03.03.2017 तथा 15.11.2017 संलग्न है।

(ख) दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा एम्पैनल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर तथा प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट संलग्न है। मार्च 2017 से फरवरी 2018 तक किए गए टैस्टों की कुल संख्या 46364 है। टैस्ट वाइज संख्या नीचे दिए गए टेबल में प्रस्तुत हैः

(ग)

Test	MRI	CT	PET CT	Nuclear	USG & Doppler	Mammo-graphy	ECHO & TMT	EEG & EMG
March 2017	344	90	30	2	380	8	127	15
April 2017	502	129	70	0	620	13	125	15
May 2017	832	210	45	0	842	13	231	39
June 2017	377	75	45	0	416	7	54	1
July 2017	952	323	20	11	1118	13	141	17

Aug 2017	347	151	25	25	959	8	122	32
Sep 2017	1574	557	57	29	1905	12	289	39
Oct 2017	1325	568	57	29	1898	8	216	69
Nov 2017	1796	761	69	40	2541	21	250	68
Dec 2017	1722	791	97	48	2084	6	435	57
Jan 2018	2392	1094	184	63	3401	37	748	122
Feb 2018	2671	1239	153	53	3903	30	775	160
Total	**14834**	**5988**	**853**	**300**	**20067**	**176**	**3513**	**634**

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने 2018–2019 के बजट में रुपये बीस करोड़ का प्रावधान किया है किन्तु अब तक इसमें तकरीबन रु. 15 करोड़ व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) किसी डॉक्टर द्वारा इन सेंन्टरों की रिपोर्ट से असंतुष्टि की शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

LIST OF DAK EMPANELLED PRIVATE HOSPITALS ALONGWITH FACILITIES AVAILABLE

Sl.	Hospital	Region	Address	CABG	Uro-surgery	General Surgery	ENT	Eye
1	Tirath Ram Shah Hospital	Central	Rajpur Road, Civil Lines	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
2	Delhi Heart & Lung Institute	Central	Panchkuian Road	Yes	Yes	Yes	No	No
3	Jeewan Mala Hospital	Central	New Rohtak Road	No	Yes	Yes	Yes	Yes
4	Jeewan Nursing Home	Central	Pusa Road	No	Yes	Yes	No	No
5	Metro Hospital	East	Preet Vihar	Yes	Yes	Yes	No	No
6	Goyal Hospital & Urology	East	Krishna Nagar	No	Yes	Yes	Yes	Yes
7	Jain Hospital	East	Jagriti Enclave	No	Yes	Yes	No	No
8	Jeevan Anmol Hospital	East	Mayur Vihar Phase - I	No	Yes	Yes	Yes	Yes
9	Khandelwal Hospital	East	Main Road, East Krishna Nagar	No	Yes	Yes	No	No
10	Panchsheel Hospital	East	Wazirabad Road,Yamuna Vihar	No	Yes	Yes	Yes	Yes
11	Bhagwati Hospital	North	Sector-13, Rohini	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
12	Saroj Hospital	North	Madhuban Chowk, Rohini	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
13	Narang Eye Institute	North	B-8, Derawal Nagar	No	No	No	No	Yes
14	Batra Hospital	South	Tughlakabad	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Rockland Hospital	South	Qutub Institution Area	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
16	Metro Heart Institute	South	Ring Road, Lajpat Nagar	Yes	No	No	No	No
17	Moolchand Hospital	South	Lajpat Nagar, III	Yes	No	Yes	No	No
18	National Heart Institute	South	East of Kailash	Yes	Yes	Yes	No	No
19	Bansal Hospital	South	New Friends Colony	No	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Center For Sight	South	B 5/24, Safdarjung Enclave	No	No	No	No	Yes
21	Dr. Pattnaik's Eye Institute	South	C-2, Lajpat Nagar - III	No	No	No	No	Yes
22	Shroff Eye Centre	South	A-9, Kailash Colony	No	No	No	No	Yes
23	Visitech Eye Care	South	A-10, South Extn. Part -II	No	No	No	No	Yes
24	ILBS	South	D-1, Vasant Kunj	No	Yes	Yes	No	No
25	Maharaja Agrasen Hospital	West	Punjabi Bagh	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
26	Mata Channan Devi Hospital	West	C-1Block, Janak Puri	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
27	Park Hospital	West	Chowkhandi, Meera Bagh	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
28	RLKC Metro Heart Institute	West	Naraina Road, Shadipur	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
29	Balaji Action Medical Institute	West	Paschim Vihar	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
30	Bhagat Chandra Hospital	West	Mahavir Enclave-II, Palam	No	Yes	Yes	Yes	Yes
31	M.G.S. Hospital	West	Punjabi Bagh	No	Yes	Yes	Yes	Yes
32	Bharti Eye Foundation	West	East Patel Nagar	No	No	No	No	Yes
33	Asian Institute of Medical Science	FBD	Sector-21, Faridabad	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
34	Metro Heart Institute	FBD	Sector -16-A, Faridabad	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
35	Sarvodaya Hospital	FBD	Sector-8, Faridabad	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
36	Park Hospital	FBD	J Block Sector 10, Faridabad	No	Yes	Yes	Yes	Yes
37	Park Hospital	GGN	Sector-47, Sohna Road, Gurgaon	No	Yes	Yes	Yes	Yes
38	Metro Hospital	GGN	Palam Vihar, Gurgaon	No	Yes	Yes	Yes	Yes
39	Medanta- The Medicity	GGN	Sector -38, Gurgaon	Yes	No	No	No	No
40	Narinder Mohan Hospital	GZB	Mohan Nagar, Ghaziabad	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
41	Metro Heart Institute	Noida	X-1, Sector 11-12, Noida	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
42	Prakash Hospital	Noida	D-12, Sector-33, Noida	No	Yes	Yes	Yes	Yes
43	Kailash Hospital	Noida	H-33, Sector- 27, Noida	Yes	No	Yes	No	No
44	ICARE Eye Hospital	Noida	E-3A, Sector- 26, Noida	No	No	No	No	Yes

सर्जरी के लिए प्राइवेट अस्पताल का चयन मरीज स्वयं अपनी सुविधानुसार करें ।

कृपया सरकारी अस्पताल में प्रस्तुत किया गया मरीज का आई डी प्रूफ प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी हेतु इस अधीकृत फॉर्म के साथ ले जाए एवं D.G.E.H.S (डी.जी. ई. एच. एस.) हेल्पडेस्क पर संपर्क करें ।

LIST OF DIAGNOSTICS CENTRE

S.No	Diagnostics Centres	Address	Name of Contact Person & Mb. No.	Region	MRI/ CT Scan	X-Ray	USG	Doppler	Mammography	ECHO	TMT	EEG	EMG
1	Dr. S.S. Doda's Ultrasound Centre	23-B, Pusa Road, New Delhi	Dr. S.S. Doda 9810296664	South & Central	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes			
2	Dr. Gulati Imaging Institute	J-16, Hauz Khas Enclave, Main Aurobindo Marg, New Delhi-	Mr. Lait Kumar 9818685511	South & Central	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		
3	Dr. M.L Aggarwal Imaging Centre	A-1/150, Safdarjung Enclave, New Delhi- 110029	Dr. M.L Aggarwal 9810292981	South & Central		Yes	Yes	Yes				Yes	
4	Focus Imaging & Research Centre	C-10, Green Park Extn., New Delhi- 110016	Mr. Anil Sharma 9811727060	South & Central	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
5	Focus Imaging & Research Centre	H-10, Green Park Extn., New Delhi- 110016	Mr. Navneet Tyagi 9310133100	South & Central	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
6	Mahajan Imaging Centre	K-18, Hauz Khas Enclave, New Delhi- 110016	Ms. Anjula Dhaul 9958349793	South & Central	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes				
7	C 15 MRI Diagnostics & Research Centre Ltd.	C-15, Green Park Extn., New Delhi- 110016	Dr. Sandeep Sharma 9811039567	South & Central		Yes	Yes		Yes				
8	Delhi Institute of Functional Imaging	14, Kaushalya Park, Near DCP Office, Hauz Khas, Delhi- 110016	Mr. Anil Mishra 9811727060	South & Central		Yes							
9	Hamdard Imaging Centre	Block D, Hamdard Nagar, New Delhi- 110062	Mr. Akshay 9873664471	South & Central	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes				
10	Clinical Diagnostic Centre	69, Hargovind Enclave, Delhi- 110092	Mr. Kamlesh Bhatt 9810432015	East		Yes	Yes	Yes		Yes			
11	Dr. Anands Imaging & Neuro. Res. Centre	G-14, Preet Vihar, Vikas Marg, Karkarimore, Delhi-110092	Mr. S.K. Tripathi 9810317635 Dr. Geeta Anand 9810554229	East	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes			
12	Dr. Savita Jain's Arun Imaging Centre	D-29, Vivek Vihar, Delhi- 95	Mrs. Bhageshwari 9810933308	East		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		
13	Ganesh Diagnostics & Imaging Centre	C-1/8, Yamuna Vihar, Delhi	Dr. Suneet 9811067479	East		Yes	Yes						
14	Platinum Imaging Centre	9, Dayanand Vihar, Delhi- 110092	Dr. Suchit Agarwal 9891603919	East	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes			
15	Ganesh Diagnostics & Imaging Centre	109, Pocket A-1, Sector-8, Near Deepali Chowk, Rohini, Delhi-	Dr. Ravin 9810183948	North	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes
16	Gagan Pathology Centre, Sector-7, Rohini	H.No- 22, Pocket F-26, Sector 7, Rohini, Delhi- 110083	Mr. Rajiv kumar 9711107204	North	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
17	Ganesh MRI Centre	CS/ OCT-7 Sector -8, Rohini, Delhi	Dr. Sonal 9212125996	North		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes
18	Must & More Healthcare Pvt. Ltd.	Kings Mall, Rohini West Metro Station, Sector- 10, Rohini, New Delhi	Mr. Amit Gupta 8130090600 011-66444444	North	Yes	Yes	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes
19	Saral Diagnostics	2, Shakti Vihar, Delhi- 110034	Mr. Deepak Khemani	North	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
20	Saral Diagnostics	E-1073, Saraswati Vihar, Delhi- 110034	9810273400	North	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
21	Capital X-ray & Scan Clinic, Vikaspuri	C-3, New Krishna Park, Vikaspuri, New Delhi- 110018	Mr. Sanjay Taneja 9811302020	West		Yes	Yes		Yes	Yes			
22	Ganesh Diagnostics & Imaging Centre	C-1, Hari Nagar, New Delhi	Mr. Vinod Sharma 9810183948	West		Yes	Yes						
23	National MRI, CT Scan & Diagnostic centre	19/35, Main Rohtak Road, Punjabi Bagh, ND- 26	Mr. Ajit Kumar 9210702036	West		Yes	Yes	Yes		Yes	Yes		

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
O/o DELHI AROGYA KOSH
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
F-17, KARKARDOOMA, DELHI- 110032

F.No. E. 4125/8975 - 9012 Dated: 03-03-2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment in the guidelines issued for operationalizing assistance through Delhi Arogya Kosh for radiology/ imaging tests and specified surgeries from identified DGEHS empanelled standalone radiology/ imaging centres and identified NABH accredited DGEHS empanelled private hospitals

In order to improve the scope of the scheme, the following provisions/ modifications have been approved by the Governing Body of Delhi Arogya Kosh in its meetings held on 15.02.2017 & 28.02.2017 and the minutes communicated vide letter nos. F.No. E.4125/8820-8827 dated 17.02.2017 & F.No. E.4125/8964-8971 dated 02.03.2017, respectively, for patient undergoing treatment in identified Delhi Government Hospital / Polyclinic and requiring specified high end diagnostic test (listed in **Annexure 'A'**) or for patient undergoing treatment in identified Delhi Government Hospital requiring specified surgery (listed in **Annexure 'B'**) and allotted date beyond one calendar month for the said surgery in the hospital concerned:

1. **Eligibility criteria in r/o Domicile:** The patient requiring specified high end diagnostic test or specified surgery should be a bonafide resident of Delhi. The proof of residence in Delhi can be any of the following documents, namely, Aadhaar Card; EPIC (Voter ID); Driving Licence; Passport; Extract from electoral roll; Birth Certificate alongwith photo ID of either parent (for children below 5 years).

2. **Eligibility criteria in r/o Income:** A person undergoing treatment in the identified Delhi Government hospital/ polyclinic is eligible for cashless specified high end diagnostic test from identified diagnostic centre and a person undergoing treatment in Government hospital run by GNCTD is eligible for cashless specified surgery from identified private hospital, irrespective of his/her income status.

3. **Test/ Treatment can be done/ availed from:**

   a) Test can be done at any of the 21 identified DGEHS empanelled standalone radiological/imaging centre (listed in **Annexure 'C'**) at approved rates.

   b) Treatment (Surgery) can be availed/performed at any of the 41 identified NABH accredited DGEHS empanelled private hospital (listed in **Annexure 'D'**) at approved rates.

4. **Referral mechanism for specified high end diagnostic test:**

   a) Hospital

Eligible patients undergoing treatment in any of the 30 hospitals listed in **Annexure 'E'** requiring any of the specified test listed in annexure 'A' shall be referred to the Nodal Officer (DAK) of the hospital concerned by the treating doctor through the HOD/ HOU/ Incharge concerned. The treating doctor shall ensure that his signature and stamp is affixed on the OPD slip. All such OPD slips are to be countersigned by the HOD/HOU/ Incharge concerned and ***must*** bear his/her seal.

Note 1: PET CT and Radio-Nucleotide scan shall only be advised by treating doctors of GIPMER, LNH, GTBH, DDUH, BSAH, RGSSH & JSSH

Note 2: In case, an eligible patient undergoing treatment in any other hospital owned by GNCTD requires either PET or Radio-nucleotide scan, such patients shall be referred to any of the aforementioned seven hospitals for further management and necessary investigation, if required

Note 3: In case the patient requires Contrast Enhanced CT scan/ PET CT/ Radio-nucleotide test, the treating doctor shall ensure that the latest laboratory report of Urea and Creatinine is attached with the OPD slip

Nodal Officer (DAK) shall check the eligibility of the patient, as per the aforementioned revised norms, and keep in record a copy of the patient's photo ID proof presented for verification of his/her domicile status.

After the receipt of all the requisite documents, an authorization letter is to be issued by the Nodal Officer (DAK)/ DMS/ Addl. MS/ Medical Superintendent of the hospital concerned in favour of DAK empanelled radiological centre. The patient shall be provided the list of the approved radiological centres with facilities therein alongwith the name and mobile number of their contact persons for seeking appointment and pre-test advice/instruction, if any and also directed to carry his/her authorization form in original and photo ID to the centre on the appointed date.

(*Note: The name of the centre must not be mentioned by the Nodal Officer on the authorization letter. The patient is free to go to any of the approved centre with requisite facilities as per his /her choice and convenience*).

The Nodal Officer shall keep a record of the authorization letters issued from the hospital and the requisite documents of the patients and submit a monthly statement, in the requisite format through the Medical Director/ Medical Superintendent to the O/o Delhi Arogya Kosh on a monthly basis latest by the seventh day of subsequent month. The copy of the format for monthly statement is annexed as **Annexure 'F'**.

b) Polyclinic

Eligible patients undergoing treatment in any of the 23 polyclinics listed in **Annexure 'G'** requiring any of the specified test listed in annexure 'A' shall be referred to the Incharge of the polyclinic concerned by the treating doctor directly. The treating doctor shall ensure that his signature and stamp is affixed on the OPD slip. All such OPD slips are to be countersigned by the Incharge polyclinic concerned and ***must*** bear his/her seal.

Note: In case the patient requires Contrast Enhanced CT scan the treating doctor shall ensure that the latest laboratory report of Urea and Creatinine is attached with the OPD slip

Incharge, polyclinic shall check the eligibility of the patient, as per the aforementioned revised norms, and keep in record a copy of the patient's photo ID proof presented for verification of his/her domicile status.

After the receipt of all the requisite documents, an authorization letter is to be issued either by the Incharge, polyclinic concerned in favour of DAK empanelled radiological centre. The patient shall be provided the list of the approved radiological centres alongwith the facilities therein and the name & mobile number of their contact persons for seeking appointment and pre-test advice/instruction, if any and also directed to carry his/her authorization form in original and photo ID to the centre on the appointed date.

(*Note: The name of the centre must not be mentioned by the Incharge, polyclinic on the authorization letter. The patient is free to go to any of the approved centre with requisite facilities as per his /her choice and convenience*).

Incharge, Polyclinic shall keep a record of the authorization letters issued from the polyclinic and the requisite documents of the patients and submit a weekly statement of the tests advised by the treating doctors to the HOD/HOU/Incharge of the departments concerned of the attached hospital. He/she shall submit a monthly statement in the requisite format through the Medical Director/ Medical Superintendent of the attached hospital to the O/o Delhi Arogya Kosh on a monthly basis latest by the seventh day of subsequent month. The copy of the format for monthly statement is annexed as **Annexure 'F'**.

Referral mechanism for cashless specified surgery:

Eligible patients undergoing treatment in any of the government hospital run by GNCTD requiring any of the specified surgery in annexure 'B' shall be referred to the Nodal Officer (DAK) of the hospital concerned by the treating doctor (surgeon) through the HOD/ HOU/ Incharge concerned only after the patient has obtained PAC clearance and has been allotted date of specified surgery beyond one calendar month. The treating doctor (surgeon) shall ensure that his signature and stamp is affixed on the OPD slip. All such OPD slips are to be countersigned by the HOD/HOU/ Incharge concerned and ***must*** bear his/her seal.

Note: Referrals for CABG surgery can only be made by the treating doctor (CTVS Surgeon) of GIPMER.

Nodal Officer (DAK) shall check the eligibility of the patient, as per the aforesaid revised norms, and keep in record a copy of the patient's photo ID proof presented for verification of his/her domicile status.

After the receipt of all the requisite documents, an authorization letter is to be issued either by the Nodal Officer (DAK)/ DMS/ Addl. MS/-Medical Superintendent in favour of NABH accredited DAK empanelled private hospital. The patient shall be provided the list of the approved private hospital alongwith facilities therein and directed to report to the DGEHS/CGHS helpdesk of the private hospital concerned with the authorization form in original and photo ID.

(*Note: The name of the private hospital must not be mentioned by the Nodal Officer on the authorization letter. The patient is free to go to any of the approved centre with requisite facilities as per his /her choice and convenience*).

The Nodal Officer shall keep a record of the authorization letters issued from the hospital and the requisite documents of the patients and submit a monthly statement,

in the requisite format through the Medical Director/ Medical Superintendent to the O/o Delhi Arogya Kosh on a monthly basis latest by the seventh day of subsequent month. The copy of the format for monthly statement is annexed as **Annexure 'F'.**

The above provisions are applicable with immediate effect.

(Dr. Kirti Bhushan)
Director General Health Services &
Member Secretary, DAK

Dr. KIRTI BHUSHAN
Director General Health Services

F.No. E. 4125/ Dated:

Copy for information to:

1. Secretary to Hon'ble Minister of Health, GNCTD
2. All members of Governing Body of Delhi Arogya Kosh
3. Medical Directors of LNH, GTBH, DDUH & BSAH w.r.t circulate to Nodal Officer, DAK and Incharge, Polyclinics attached to the hospital.
4. Directors of GIPMER, RGSSH, JSSH, IHBAS, DSCI & CNBC.
5. Medical Superintendents of all hospitals run by GNCTD w.r.t. circulate to Nodal Officer, DAK and Incharge, Polyclinic attached to the hospital.
6. All 41 identified NABH accredited DGEHS empanelled private hospitals
7. All 21 identified DGEHS empanelled standalone radiological/imaging centres
8. Guard file.

(Dr. Kirti Bhushan)
Director General Health Services &
Member Secretary, DAK

Dr KIRTI BHUSHAN
Director General Health Services

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
O/o DELHI AROGYA KOSH
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
F-17, KARKARDOOMA, DELHI- 110032

F.No. E. 4125/10184-10193 Dated: 15/11/2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Amendment in the guidelines issued for operationalizing assistance through Delhi Arogya Kosh for radiology/ imaging tests and specified surgeries from identified DGEHS empanelled standalone radiology/ imaging centres and identified NABH accredited DGEHS empanelled private hospitals**

In continuation to the earlier O.M. of even number dated 03.03.2017 & corrigendum dated 17.03.2017, the following amendments have been approved by the Governing Body of Delhi Arogya Kosh in its meeting held on 03.11.2017, the minutes & corrigendum of the said meeting were communicated vide letters Nos. E.4125/10127-10134 & E.4125/10173-10180 dated 09.11.2017 & 14.11.2017, respectively:

1. **Inclusion of bonafide residents of Delhi admitted in the indoor ward or emergency ward of all Govt. Hospitals, either owned by Govt. of NCT of Delhi or run under autonomous mode, in the scheme for free high end radiological tests from DAK empanelled radiological centres.**

   Apart from eligible patients undergoing outdoor treatment in 30 identified Delhi Govt. Hospitals, bonafide residents of Delhi, irrespective of their income status, admitted in the indoor ward or emergency ward of the 30 identified Delhi Government Hospitals have been included in the scheme for the free high end radiology tests from DAK empanelled radiological centres.

   Note: Only indoor patients admitted in GBPH, LNH, GTBH, DDUH, BSAH, JSSH, RGSSH and CNBC can be referred for PET CT to the identified DAK empanelled centres.

2. **Amended referral mechanism for specified high end radiological tests from identified Delhi Govt. Hospitals for out-patients & in-patients.**

   A. Eligible patient undergoing outdoor treatment:

   i) **TEST ADVISED BY TEACHING SPECIALIST/ NON-TEACHING SPECIALIST/ MEDICAL OFFICER/ SENIOR RESIDENT**

Teaching Specialist/ Non-Teaching Specialist/ Medical Officer/ Senior Resident advises the requisite radiological test on the OPD slip

↓

NO COUNTERSIGNING BY HOD IS REQUIRED

↓

Patient directly goes to the Nodal Officer, DAK of the hospital concerned for his/her Authorization Form

ii) TEST ADVISED BY POST GRADUATE RESIDENT DOCTOR

Requisite test is advised by Post Graduate Resident doctor on the OPD slip of the eligible patient

↓

COUNTERSIGNING IS REQUIRED from a faculty doctor/ HOU/ HOD of the concerned department/ specialty

↓

Thereafter, patient goes to the Nodal Officer, DAK of the hospital concerned for his/her Authorization Form

B. Eligible patient admitted in indoor ward/ Emergency ward

i) TEST ADVISED BY TEACHING SPECIALIST/ NON-TEACHING SPECIALIST/ MEDICAL OFFICER/ SENIOR RESIDENT DURING WORKING HOURS

Requisite test is advised for an eligible patient admitted in indoor ward/ emergency ward during working hours by Teaching Specialist/ Non-Teaching Specialist/ Medical Officer/ Senior Resident on the case sheet

↓

The doctor/ unit concerned shall ensure that the requisition form alongwith requisite document(s) for domicile proof is sent to the Nodal Officer, DAK within working hours

↓

Thereafter, the Nodal Officer, DAK of the hospital concerned shall issue the Authorization Form and maintain record of all such requisition form, authorization form and relevant documents.

ii) TEST ADVISED BY PG RESIDENT DOCTOR DURING WORKING HOURS

Requisite test is advised for an eligible patient admitted in indoor ward/ emergency ward during working hours by Post Graduate Resident doctor on the case sheet

↓

Requisition form to be filled by the Post Graduate Resident doctor which must be countersigned by a faculty doctor/ HOU/ HOD of the department/ specialty concerned.

↓

Countersigned requisition form alongwith requisite document(s) of domicile proof to be sent to the Nodal Officer, DAK within working hours

↓

Thereafter, the Nodal Officer, DAK of the hospital concerned shall issue the Authorization Form and maintain record of all such requisition form, authorization form and relevant documents.

iii) TEST ADVISED FOR ADMITTED ELIGIBLE PATIENT AFTER WORKING HOURS

Requisite test is advised for an eligible patient admitted in indoor ward/ emergency ward after working hours by Teaching Specialist/ Non-Teaching Specialist/ Medical Officer/ Senior Resident on the case sheet

↓

The doctor/ unit concerned shall ensure that the requisition form alongwith requisite document(s) for domicile proof is sent to Casualty Medical Officer on duty (who shall act as link Nodal Officer after working hours) for issuing the Authorization Form

↓

Thereafter, Casualty Medical Officer on duty of the hospital concerned shall issue the Authorization Form and maintain record of all such requisition form, authorization form and relevant documents.

↓

Casualty Medical Officer on duty shall handover copy of the Authorization Form, Requisition Form and relevant documents through DMS (Casualty)/CMO Incharge (Casualty) to Nodal Officer on next working day and a receipt of the same is to be kept with DMS (Casualty)/CMO Incharge (Casualty)

↓

DMS (Casualty)/ CMO Incharge (Casualty) shall ensure that Casualty Medical Officer on duty shall put in all due diligence in verifying the requisite documents {Requisition Form for the test is either signed or countersigned by Teaching Specialist/ Non-Teaching Specialist/ Medical Officer/ Senior Resident & Residence Proof (Aadhaar/Voter ID, Driving Licence/ Passport/ Extract of Electoral Roll/ Birth Certificate alongwith photo ID of either parent for children under 05 years of age} and shall keep a copy of the Authorization Form, Requisition Form (signed/-countersigned by Teaching Specialist/ Non-Teaching Specialist/ Medical Officer/ Senior Resident) and Residence Proof and to be haded over to him/her for onward transmission to Nodal Officer, DAK

***Note:** If the requisite test is advised for an eligible patient admitted in indoor ward/ emergency ward after working hours by Post Graduate Resident doctor on the case sheet of the patient, it must be countersigned by a Senior Resident/Faculty doctor/ HOU/ HOD of the concerned department/ specialty before the requisition for alongwith requisite documents for domicile proof is sent to the CMO on duty.*

***Note:** It will be the responsibility of the department/unit concerned, wherein the eligible patient is admitted, for transporting the patient to and from the DAK empanelled radiological centre and all such patients **MUST** be accompanied by a doctor of the department/ unit.*

***Note:** Under no circumstances the eligible patient admitted in indoor ward/ emergency ward shall be sent to the DAK empanelled centre unaccompanied by a doctor of the hospital concerned and without seeking prior appointment. In case of any adverse event during transport/ test, the responsibility shall squarely lie with the referring hospital.*

3. **Revised list of specified surgeries**

The earlier list of 52 specified surgeries has been expanded. The revised list comprises of 82 specified surgeries and includes altogether 30 types of cardiac surgeries and 'Other minor surgery' mentioned at Code no. 912 of the DGEHS list.

The revised list of specified surgeries is annexed as **Annexure- 'A'**.

Note: Eligible patients requiring any of the listed 30 cardiac surgeries, after obtaining PAC clearance, can be recommended by Department of CTVS & Department of Cardiology, GB Pant Hospital to the Nodal Officer, DAK of GB Pant Hospital for issuing Authorization Form for referral. Authorization Form for such patients can also be issued by Incharge, DAK & SMO, DAK

4. **Referral for X-Ray & Ultrasound by treating doctors of DGD, Seed PUHC & Mohalla Clinic and its mechanism**

A. The treating doctor(s) of Delhi Govt. Dispensary, Seed PUHC and Mohalla Clinic are permitted to refer eligible patients (resident of Delhi irrespective of income status) undergoing treatment in their dispensary/centre/ clinic and requiring any of the following test(s) to DAK empanelled radiological centres:

S.No	DGEHS Code No.	Tests
1.	1608	Chest PA view (one film)
2.	1609	Chest Lateral (one film)
3.	1611	Extremities, bones & Joints AP & Lateral views (Two films)
4.	1614	Abdomen & Pelvis for K. U. B.
5.	1615	Skull A. P. & Lateral (2 films)
6.	1616	Spine A. P. & Lateral (2 films)
7.	1617	PNS view (1 film)
8.	1590	USG for Obstetrics - Anomalies scan
9.	1591	Abdomen USG
10.	708	Ultrasonography Level II scan/Anomaly Scan

B. **Referral mechanism from DGD/ Seed PUHC/ Mohalla Clinic:**

In case the eligible patient (identified on the basis of documentary proof) undergoing treatment in the dispensary/centre/clinic requires any of the aforementioned test(s), the same shall be advised by the treating doctor on the OPD slip/ prescription. The treating doctor shall ensure his/her signature and stamp is affixed on the OPD slip/ prescription. Thereafter, the treating doctor will fill the Authorization Form (in duplicate) in favour of DAK empanelled radiological centre. The list of the DAK approved radiological centres alongwith the facilities therein and the name & mobile number of their contact person for

seeking appointment and pre-test advice, if any, shall be printed on the backside of the Authorization Form and issue the same. The patient shall be provided the Authorization Form in original and directed to carry his/her photo ID to the radiological centre of his/her choice on the appointed date.

(Note: The name of the centre must not be mentioned by the treating doctor on the authorization form. The patient is free to go to any of the empanelled centre with requisite facilities as per his/her choice and convenience)

M.O.I/C of DGD concerned and the doctor of the Seed PUHC/ Mohalla Clinic shall keep a record of authorization letter issued from their respective dispensary/centre/ clinic and submit the same alongwith the monthly statement to the O/o CDMO by the seventh day of the subsequent month. The CDMO shall ensure that the monthly statement of the dispensaries, centres and clinics in their respective jurisdiction is submitted to the O/o Delhi Arogya Kosh within three days thereafter.

5. Referral for X-Ray by treating doctors of Polyclinics

A. The treating doctor(s) of Delhi Govt. Polyclinics are permitted for referring eligible patients (residents of Delhi irrespective of income status) for X-Ray tests mentioned in the table below in addition to the list of high end radiological tests communicated vide earlier O.M. No. F.No. E.4125/8975-9012 dated 03.03.2017

S.No	DGEHS Code No.	Tests
1.	1608	Chest PA view (one film)
2.	1609	Chest Lateral (one film)
3.	1611	Extremities, bones & Joints AP & Lateral views (Two films)
4.	1614	Abdomen & Pelvis for K. U. B.
5.	1615	Skull A. P. & Lateral (2 films)
6.	1616	Spine A. P. & Lateral (2 films)
7.	1617	PNS view (1 film)

B. As mentioned in earlier O.M. dated 03.03.2017, Incharge, Polyclinic shall keep a record of the authorization letters issued from the polyclinic and the requisite documents of the patients and submit a weekly statement of the tests advised by the treating doctors to the HOD/HOU/Incharge of the departments concerned of the attached hospital. He/she shall submit a monthly statement in the requisite format through the Medical Director/ Medical Superintendent of the attached hospital to the O/o Delhi Arogya Kosh on a monthly basis latest by the seventh day of subsequent month.

6. **Referral for all high end diagnostic tests, X-Rays and Surgeries as per revised list at the level of Incharge, DAK & SMO, DAK**

Incharge, DAK & SMO, DAK are permitted for issuing Authorization Form for all specified high end diagnostic tests, including PET CT, and specified X-Rays in private diagnostic centres and for all specified surgeries, including cardiac surgeries (as per revised list), in private hospitals after the patient has obtained pre-anaesthetic clearance and she/he has been allotted date for surgery beyond one calendar month by the concerned Delhi Govt. Hospital or the surgery required is not performed in the concerned Delhi Govt. Hospital.

7. **Revised rates for USG for Obstetrics- Anomalies scan and inclusion of Level-II scan in the list of specified high end radiological tests**

The rate for Ultrasound for obstetrics - Anomalies scan has been revised i.e. Non-NABH- ₹ 770 & NABH ₹ 886 from the date these rates were adopted by DGEHS. Ultrasonography Level II scans/ Anomaly Scan (Code no. 708) has been included in the list of high end radiological tests.

The revised list of specified high end radiological tests is annexed as **Annexure- 'B'.**

8. **Empanelment of already enlisted centres under DAK scheme for additional facilities, empanelment of Hamdard Imaging Centre (NABH accredited & DGEHS empanelled radiological centre) under DAK scheme and suspension of empanelment of Nueclear Healthcare Ltd.**

The following empanelled centres under the DAK scheme are now being included for additional facilities and their details is as below:

S.No	Name of the Imaging Centre	Non-NABH/ NABH	Additional facilities to be included under DAK scheme
1.	Gagan Pathology Centre, Rohini	NABH	MRI & CT scan
2.	Must & More, Rohini	NABH	Nuclear Medicine
3.	Clinical Diagnostic Centre, Karkardooma	Non- NABH	Colour Doppler

Hamdard Imaging Centre, Hamdard Nagar (an NABH accredited & DGEHS empanelled imaging centre) has been included in the list of DAK empanelled centres for MRI, CT scan, Ultrasound, Colour Doppler and Mammography.

The revised list of DAK empanelled radiological centres for high end radiological tests is annexed as **Annexure - 'C'.**

The empanelment of Nueclear Healthcare Ltd. under DAK scheme for PET CT scan is suspended till further orders. The revised list of DAK empanelled radiological centres for Whole Body PET CT scan is mentioned on the backside of the Authorization Form for PET CT and the same is annexed as **Annexure – 'D'**.

9. <u>Revised Authorization Form & Monthly Statement</u>

The revised Authorization Forms for free high end radiological tests (to be issued from the earlier identified 30 Delhi Govt. Hospitals) is annexed as **Annexure - 'E'**.

The revised authorization form for free Whole Body PET CT scan (to be issued from the earlier identified 08 Delhi Govt. Hospitals, namely, GBPH, LNH, GTBH, DDUH, BSAH, RGSSH, JSSH & CNBC) is annexed as **Annexure - 'D'**.

The revised Authorization Form for free specified surgeries (to be issued from the earlier identified 24 Delhi Govt. Hospitals) is annexed as **Annexure – 'F'**.

The revised Authorization Form for radiological tests (high end as well as X-Ray) to be issued from earlier identified 25 Delhi Govt. Polyclinics is annexed as **Annexure - 'G'**.

The Authorization Form for X-Ray & USG to be issued from Delhi Govt. Dispensary, Seed PUHC & Mohalla Clinic is annexed as **Annexure – 'H'**.

The revised format of the monthly statement to be submitted by Hospital/ Polyclinic and DGD/Seed PUHC/ Mohalla Clinic is annexed as **Annexure – 'I' and 'J'**, respectively.

10. <u>Recording the contact details (Mobile phone number) of the referred eligible patients</u>

The Nodal Officer(s) of the identified Delhi Government hospitals and Polyclinics MUST mention the contact details i.e. mobile phone number <u>alongwith</u> the number of the photo ID card/ document {Aadhaar; EPIC (Voter ID); Driving Licence; Passport; Extract from electoral roll; Birth Certificate attached with photo ID of either parent(for children below 5 years)} submitted as documentary proof for domicile of Delhi of the eligible patient concerned referred for free high end radiological tests, free PET CT and free surgeries to DAK empanelled centres/ hospitals in the monthly statement submitted to the O/o Delhi Arogya Kosh before the seventh day of the subsequent month.

Similarly, the treating doctor(s) of Delhi Govt. Dispensary, Seed PUHC and Mohalla Clinic MUST mention the contact details i.e. mobile phone number <u>alongwith</u> the number of the photo ID card/ document {Aadhaar; EPIC (Voter ID); Driving Licence; Passport; Extract from electoral roll; Birth Certificate attached with photo

135. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मैक्स अस्पताल में घटित केस के संदर्भ में दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में दवाओं तथा कंज्यूमेबल इत्यादि के संबंध में एक कमेटी गठित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस कमेटी की क्या सिफारिशें हैं;

(ग) सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को लेकर क्या निर्णय लिया है;

(घ) इमें अस्पतालों के लिए कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा गया है; और

(ङ) कमेटी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: (क) जी हाँ;

(ख) से (घ) इस कमेटी की सिफारिश के तहत ड्राफ्ट एडवाइजरी बनाई गई है। ड्राफ्ट एडवाइजरी के अनुमोदर की प्रक्रिया जारी है; और

(ङ) सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953 तथा उसके अंतर्गत बनाये गए अधिनियमों को संशोधित करना होगा जिसके लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

136. कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिपालपुर में प्रस्तावित दिल्ली सरकार के अस्पताल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बामनोली में दिल्ली सरकार के प्रस्तावित अस्पताल की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसके लिए भूमि खाली पड़ी है;

(ग) बिजवासन में मेटर्निटी अस्पताल में सुधार की क्या योजना है;

(घ) राजनगर स्थित औषधालय में सुधार की क्या योजना है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि बामनोली स्थित औषधालय सार्वजनिक भूमि पर स्थित एक चौपाल में चलाया जा रहा है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए किराए का भुगतान भूतपूर्व विधायक द्वारा नियंत्रित एक निजी ट्रस्ट को कर रहा है; और

(छ) यदि हाँ, इस संबंध में निजी ट्रस्ट को गलत तरीके से किए जा रहे भुगतान की रिकवरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) महिपालपुर में प्रस्तावित अस्पताल के लिए भूमि का उपयोग बदलने की प्रक्रिया दिल्ली विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा महिपालपुर में प्रस्तावित अस्पताल के लिए भूमि का आबंटन महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें को अभी तक नहीं किया गया है, आबंटन के पश्चात् अस्पताल निर्माण, से संबंधित आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) बामनोली में अस्पताल परियोजना की वर्तमान स्थिति अनुबंध "A" में संलग्न है।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली सरकार के अनुसार ऐसे किसी योजना की जानकारी नहीं है।

(घ) दिल्ली सरकार औषधालय, राजनगर पार्ट–2 समीप दादादेव बस स्टैण्ड (मदर डेयरी), सैक्टर–8, द्वारका दिल्ली को अपग्रेड करके पॉलिक्लिनिक बनाने की योजना है जिसके लिए Expenditure Finance Committee (EFC) से प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है तद्उपरांत कैबिनेटके अनुमोदन के पश्चात् आगे कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) डी.जी.डी. बामनोली जाट चौपाल से किराए पर चलाई जा रही है, जिस पर मालिकाना हक ग्रामीण विकास कृषि साथ एवं सेवा सहकारी समिति लि. बामनोली का है।

(च) डी.जी.डी. बामनोली का किराया ग्रामीण विकास कृषि साथ एवं सेवा सहकारी समिति लि. बामनोली को दिया जा रहा है।

(छ) दिए गए किराए को वापिस लेने की अभी कोई योजना नहीं है।

अनुबंध 'A'

STAUS REPORT ON HOSPITAL PROJECT IN VILLAGE BAMNOLI

- Director Panchayat vide letter no. F.BDO(SW)/NG/Bamnoli/2269 dated 18/09/2008 had allotted 147 Bighas 5 Biswa Gram Sabha land in village Bamnoli to Directorate of Health Services for opening of a 200 bedded hospital.
- Accordingly payment of Rs.3,00,65,493/- was made to Gram Sabha Bamnoli on 03/10/2008.
- The possession of the encroachment free land/plot had been taken over by DHS, GNCTD for Panchayat Department on 21/01/2010. The land was handed over to PWD on the same dated i.e. on 21/01/2010 for carrying out further work.
- Further, A/A & E/S for Rs.2,44,200/- was issued to PWD on 08/01/2010 for providing fixing barbed wire fencing on the aforesaid govt. land to avoid encroachment.
- For the construction of boundary wall sanction of competent authority has been given for Rs.33,98,500/- on 20/07/2010
- Approved Medical Function Programme for preparation of drawings for construction of hospital building and to appoint architect/consultant for the purpose to carry out the work in time bound manner had been given to PWD on 12/01/2011.
- Regarding NOC for change of land use from agriculture/residential to institutional land as hospital use, letter was written to DDA on 11/04/2011.
- Director (Plg.), Dwarka, DDA vide letter dated 26/05/2011 informed that the land for the proposed 200 bedded Delhi Govt. Hospital Project at village Bamnoli is part of the Green Belt as per MPD-2021 and notified Zonal Development plan for Zone-K-II. As per provisions in MPD-2021 Hospital is not permitted in Green Belt.
- Director (Panchayat) vide this office letter dated 07/07/2011 requested to allot another land in the nearby "Abadi" area of village Bamnoli or any other land nearest to the village in Abadi area in lieu of the existing allotted land at village Bamnoli.
- A visit was made on 09/01/2012 by the officer/official of O/o CDMO(SWD) to BDO office (SWD), Najafgarh for inspection of the site suggested by BDO office. After consultation with Panchayat Secretary and BDO, it was found that this comes under Green Belt. However, no alternative site was suggested by Panchayat Department..
- Vide this office letter dated 17/10/2016 and its subsequent reminder dated 20/02/2018, Commissioner (Planning), DDA was requested to inform that the land use conversion of a piece of plot out of the total plot area for 100 bedded hospital in semi permanent / permanent building is feasible or not for the benefit of people in the area. However, response from DDA is still awaited.
- In the meantime, it has been suggested that, before forwarding the proposal to Hon'ble L.G, the DGHS may examine the feasibility and method of operationalsing the kinds of services in 100 bedded hospital through Semi Pucca Structure. Since, the concept of hospital in Semi Pucca Structure is a new concept without any previous precedence, a letter has been written to PWD for examining the feasibility for proposed 100 bedded hospital in Semi Pucca Structure on 16/05/2018.

30/5/18

(Dr.Z.S.K. Marak)
Addl. Director(Hospital Cell)

137. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दीपचंद बंधु अस्पताल अभी भी पूरी तरह चालू नहीं हुआ है और इसमें मैटर्निटी सेंटर और ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक पूरी तरह चालू हो जाएगा;

(ग) दीपचंद बंधु अस्पताल में ओपीडी नंबर क्या है; और

(घ) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पॉलीक्लिनिक की देखभाल का उत्तरदायित्व किसका है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) दो रूटीन ओ.टी. जून 2018 के मध्य तक आरम्भ करने की योजना संभावित है। इस अस्पताल में वरिष्ठ (स्त्री रोग विभाग, एन्सथिसिया एवं रेडियोलॉली विभाग) के काफी पद बहुत समय से रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें भरने के लिये प्रत्येक बुधवार को साक्षात्कार करवाये जाते हैं, लेकिन कोई उम्मीदवार उपस्थित नहीं हो रहा है। इसलिये इन पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हो पाने की वजह से मैटरनिटी सेवा आरम्भ नहीं हो पा रही है;

(ग) 2200 से 2500 के लगभग मरीज प्रतिदिन ओ.पी.डी. में पंजीकृत किये जाते हैं; और

(घ) वर्तमान में बी–4, केशवपुरम पॉलिक्लीनिक दीपचंद बंधु अस्पताल के अनतर्गत कार्यरत हैं तथा यह प्रशासनिक तौर पर महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन है।

138. श्री महेन्द्र यादव : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने और किन–किन स्थानों पर मोहल्ला–क्लिनिक चल रहे हैं;

(ख) विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में अभी और कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाने की योजना है; और

(ग) जो मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार है, वे सुचारू रूप से कार्य करना कब तक शुरू कर देंगे?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल सात क्लीनिक चल रहे हैं। सूची (Annexure-A) में संलग्न है।

(ख) विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में अभी दो मोहल्ला क्लीनिक बनकर तैयार हैं और चार जगह पर बनाने की योजना है। इनका विवरण (Annexure-A) सूची में संलग्न है; और

(ग) दो मोहल्ला क्लीनिक जो बनकर तैयार हैं वे सुचारू रूप से अगस्त माह तक शुरू कर दिए जाएँगे।

Annexure :- A

Starred Q. No. 139 (क)

S.No.	Name of District	Assembly Number	Assembly Name	Type of the Facility	Name of the Facility
1	West	31	Vikas Puri	AAMC	AAMC Plot No. 3 & 4, D Block, Jai Vihar-1, Najafgarh
5	West	31	Vikas Puri	AAMC	AAMC Gali No-9, Kh. No. 79/20 Chanchal Park, Bakkaewalla, Vikas Puri
8	West	31	Vikas Puri	AAMC	AAMC House No. 112, Lions Enclave, Ranholla Raod, Vikas Nagar
9	West	31	Vikas Puri	AAMC	AAMC B-43, AS/F, Vikas Nagar
10	West	31	Vikas Puri	AAMC	AAMC Plot No. B-340 Vikas Nagar, Vikas Vihar
14	West	31	Vikas Puri	AAMC	AAMC 150-A, GALI NO. 4, NATHAN VIHAR, RANHOLLA, NANGLOI
15	West	31	Vikas Puri	AAMC	AAMC B-5, Shiv Vihar, Col Bhatia Road, Tyagi Chowk

Reply of [un-]Starred Q. No. 139 ([illegible]) DUSIB

1	West	31	Vikas Puri	AAMC	JJ Colony Bakkarwala	Possesion Taken

Reply of [un-]Starred Q. No. 139 ([illegible]) Delhi Jal Board

1	West	31	Vikas Puri	AAMC	DJB Site, Vikas Puri Trainder's colony petrol pump road, opposite antariksha appartments	Feasible
2	West	31	Vikas Puri	AAMC	DJB Site, Opposite gangotri appartments, Vikaspuri	Feasible
3	West	31	Vikas Puri	AAMC	DJB Site, F-Block, Opposite KR manglam school vikaspuri	Feasible
4	West	31	Vikas Puri	AAMC	DJB Site, C-Block Vikaspuri, Back Side of indira Gandhi Institute	Feasible

	West	31	Vikas Puri	AAMC	Ranholla (Porta Cabin) (Road Side)	Possesion Taken

05-06-2018

30/5/18

139. श्री महेन्द्र यादव : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हसतसाल गांव में सरकार द्वारा 200 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस अस्पताल के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस अस्पताल का निर्माण–कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) विकासपुरी अस्पताल परियोजना के सम्बन्ध में 500 बेड का अस्पताल बनाने के लिए सलाहकार परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रारंभिक अनुमान को सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दे दी है और यह लोक निर्माण विभाग को 08.03.2018 को भेज दिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सलाहकार नियुक्ति के लिए निविदा 31.05.2018 को प्राप्त की जा चुकी है और आगे का कार्य प्रक्रियारत है;

(ग) अस्पताल निर्माण के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद अनुमानित लागत की गणना की जाएगी; और

(घ) परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख तय की जाएगी।

140. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा में स्थित चरक पालिका अस्पताल, मोती बाग, में स्वास्थ्य संबंधी कौन–कौन से चेकअप किए जाते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी दें;

(ख) चरक पालिका अस्पताल में वेंटीलेटर का प्रयोग करने के लिए अस्पताल के पास कितने डॉक्टर हैं, सम्पूर्ण जानकारी दी जाए;

(ग) चरक पालिका अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में किसी मरीज के आने पर किस आधार पर उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है, उसकी विस्तारपूर्वक जानकारी दें;

(घ) क्या यह सत्य है कि चरक पालिका में ब्लड बैंक बनाने के लिए कोई मशीन खरीदी गई थी;

(ङ) यदि हाँ तो इसका पूर्ण विवरण क्या; और

(च) पिछले दो वर्षों से लोकल सैनिटेशन, मेडिसिन लैब से संबंधित पर्चेज के ऑर्डर किस कम्पनी को अवार्ड किए गए, पूर्ण विवरण दे?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **नगर दिल्ली पालिका परिषद्**

चरक पालिका अस्पताल में निम्नलिखित विभाग है जहाँ विभाग से संबंधित चेकअप किया जाता है:–

1. मैडिसन विभाग
2. शल्यचिकित्सा विभाग
3. नेत्रा चिकित्सा विभाग
4. ई.एन.टी. चिकित्सा विभाग

5. अस्थि चिकित्सा विभाग
6. स्त्री चिकित्सा विभाग
7. बाल चिकित्सा विभाग
8. एनेस्थिसिया विभाग;

(ख) **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्**

वेंटीलेटर का प्रयाग करने के लिए अस्पताल में गहन चिकित्सा विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। चरक पालिका अस्पताल में सीनियर रेजीडेंट डाक्टर एवं गहन चिकित्सा विशेष का अभाव है इसलिए किसी विशेष व्यक्ति को वेंटीलेटर चलाने के लिए नियुक्ति नहीं की गई है;

(ग) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

आपातकालीन स्थिति में अगर कोई अस्पताल में आता है तो उसे प्राथमिक उपचार (फर्स्ट ऐड) तुरन्त प्रदान किया जाता है। मरीज की अवस्था के अनुसार अगर उसका आगे का उपचार चरक पालिका अस्पताल में संभव है तो उसे उपयुक्त चरक पालिका अस्पताल के संबंधित विभाग में भर्ती कर दिया जाता है। वरना प्राथमिक उपचार देने के पश्चात् कार्यरत (चिकित्सा अधिकारी) अपने विवेकानुसार अस्पताल की एम्बुलेंस द्वारा बड़े अस्पताल (सफदरजंग या ट्रॉमा सेंटर) को भेज दिया जाता है।

(घ) **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्**

चरक पालिका अस्पताल में ब्लड बैंक के लिए नहीं अपितु ब्लड स्टोरेज सैन्टर के लिए निम्नलिखित मशीने खरीदी गई हैं:—

1. ऑटोमैटिक ब्लड ग्रुप ऐनालाइजर और इनक्यूबेटर

2. ब्लड ट्रांसपोर्ट बॉक्स
3. ब्लड बैंक रैफ्रीजरेटर
4. बायनाक्यूलर माइक्रोस्कोप
5. बेंचटौप ट्यूबसिलर

(ङ) **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्**

इस प्रश्न का उत्तर संख्या (घ) में दे दिया गया है।

(च) **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्**

चरक पालिका अस्पताल द्वारा दवाईयों की खरीददारी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) में पंजीकृत कम्पनियों से ही की जाती है। इस संबंध में एनडीएमसी में पंजीकृत कम्पनियों की सूची आपकी जानकारी हेतु संलग्न है। (सूची संख्या 1) पृष्ट संख्या 1 से 2 तक। वो दवाइयां जो कि रेट कॉंट्रेक्ट में नहीं है/या किसी कम्पनी ने उन दवाइयों के दर नहीं दिये हैं उनको सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत उन दवाइयों की उपलब्धता के लिए तीन कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं और निम्नलिखित सक्षम अधिकारियों की वित्तीय शक्ति के अंर्तगत सप्लाई ऑर्डर जारी किए जाते हैं।

रुपये 50,000/— तक की खरीद पर	निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ)
रुपये 1,00,000/— तक की खरीद पर	सचिव, एनडीएमसी
रुपये 1,00,000/— से ऊपर तक की खरीद पर	अध्यक्ष (एनडीएमसी)

इस संबंध में सप्लाई आर्डर की प्रतिलिपि जानकारी हेतु संलग्न की गई है। (सूची संख्या 2 पृष्ठ संख्या 3 से 54 तक)। जहाँ तक प्रयोगशाला रसायन (लैब कैमिकल) और प्रयोगशाला वस्तुएँ (लैब आइटम) का प्रश्न है, इसकी खरीददारी के लिए ई–टेन्डर आमंत्रित किये जाते हैं और चयनित कम्पनी को सप्लाई आर्डर दिया जाता है।

अभी तक जिन कम्पनियों को प्रयोगशाला रसायन (लैब कैमिकल) और प्रयोगशाला वस्तुएँ (लैब आईटम) के लिए सप्लाई आर्डर दिये गये हैं वो निम्न प्रकार से हैं–

1. विडिंगा लाईफ साईंसेज प्राईवेट लिमिटेड
2. डाईमेट मैडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
3. कृष्णा हैल्थ केयर
4. न्यू इण्डिया पेस
5. विनय ब्रदर्स डाइगनोस्टिक्स
6. स्नेह इंटरप्राइजेज
7. जैन सन्स ट्रेडर्स
8. कॉर्पोरेट डाईगनोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
9. केशव इंटरनेशनल
10. आर्यमन फार्मासयूटिकल्स

पिछले 2 वर्षों में चरक पालिका द्वारा स्थानीय (लोकल) आरोग्य स्वच्छता हेतु कुछ नहीं खरीदा गया है, क्योंकि आरोग्य स्वच्छता (सैनीटेशन का पूरा कार्य ठेके आउटसोर्स) पर दिया गया है। दवाईयाँ (मैडिसिन) और प्रयोगशाला से संबंधित खरीददारी की जानकारी का विवरण प्रश्न संख्या (ग) और (घ) के अन्तर्गत दिये गये जवाब में दे दिया गया है।

141. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार बुराड़ी में बज रहे अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़ाकर 768 करने जा रही है;

(ख) इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ने के बाद अब तक कितना प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है;

(ग) बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए क्या–क्या संशोधन किये गये;

(घ) बिस्तर बढ़ने से पूर्व और बढ़े हुए बिस्तरों के लिए किस–किस श्रेणी के कितने–कितने पद सृजित किये गये हैं; और

(ङ) इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हां, बुराड़ी अस्पताल परियोजना में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़ाकर 768 कर दी गई है;

(ख) बुराड़ी अस्पताल परियोजना का निर्माण कार्य 76 प्रतिशत पूरा हो गया है;

(ग) बिस्तर संख्या में वृद्धि के कारण, निर्माण कार्य पूरा होने की अनुमानित तिथि बढ़ाकर 31.12.2018 कर दी गई है;

(घ) 200 बिस्तरों के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रथम चरण के लिए 183 पदों को मंजूरी दे दी गई, जो अनुलग्नक–ए में संलग्न है; और

(ङ) अस्पताल की चरणवार प्रगति के अनुसार पदों को भर दिया जायेगा।

अनुलग्नक- ए

Posts created on regular basis

S.No.	Name of Post	No. of Post
1	Medical Supdt	1
2	DMS	1
3	Specialists	14
4	CAS Gr.1,Dental	1
5	GDMOs	6
6	Senior residents	21
7	Junior residents	14
8	Asstt. Nursing Supdt	1
9	Nursing Sisters	6
10	Staff nurses	40
11	Statistical Officers	1
12	Assistant Accounts Officer	1
13	Head Clerk	1
14	UDSs	2
15	LDCs	3
16	Statistical Assistant	2
17	Stenographer Gr. III	1
18	Sr. Radio grapher	1
19	Jr. Radio grapher	1
20	Lab Technician	1
21	Lab Assistant	2
22	OT Technician	1
23	OT Assistant	2
24	Physiotherapist	1
25	Occupational Therapist	1
26	Dental Hygenist	1
27	ECG Technician	1
28	Audiometric Assistant	1
29	Refractionist	1
30	CSSD Technician	1
31	Pharmacist	6
	TOTAL	137

Posts created on outsourced basis

S.No.	Name of Post	No. of Post
1	Nursing Orderly	40
2	Plaster Room Asst.	1
3	Dresser	2
4	Ambulance Attendent	1
5	DEO	2
	Total sanction post	46

20/5/18.

142. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में किस–किस श्रेणी के कितने–कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है;

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की आशा है; और

(घ) क्या सरकार ने सेवा निवृत कर्मचारियों को नियुक्त करने की नीति के अर्न्तगत किन कर्मचारियों को नियुक्त किया हे, इनका विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) यह सर्विस का मामला है लेकिन स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिल्ली सरकार के अस्पतालों में चिकत्सक संवर्ग के 650 पद, गैर चिकित्सक संवर्ग के 1131 पद एवं नर्सिंग संवर्ग के 631 पद रिक्त हैं;

(ख) यह सर्विस का मामला है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग एवं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को मांग पत्रा भेजा गया है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी की रिक्त पदों को भर्ती नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है, जैसे ही चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चयनित उम्मीदवारों से प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक अस्पताल की स्वीकृत पदों के अनुसार नियुक्ति की जायेगी; और

(घ) जी हां, अभी तक 21 सेवानिवृत मैडिकल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है एवं 15 सेवानिवृत मैडिकल अधिकारी अभी

पद ग्रहण करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक 79 सेवानिवृत फार्मासिस्टों को भी नियुक्त कर दिया गया है।

143. श्री अजय दत : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तुगलकाबाद से साकेत तक मैट्रो–4 फेज कब से शुरू की जाएगी;

(ख) इसकी अनुमानित लागत और कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि क्या है;

(ग) क्या यह लाइन अण्डर ग्राउण्ड है; और

(घ) इस लाइन पर कार्य में विलम्ब के क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) तुगलकाबाद–साकेत खण्ड, दिल्ली मैट्रो की योजना फेज–प्ट के तुगलकाबाद–एरोसिटी कॉरीडोर का एक भाग है, जिसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली सरकार तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को डी.एम.आर.सी. द्वारा अनुमोदन के लिए भेजी गयी है। ये प्रस्ताव दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं। तुगलकाबाद से साकेत की मैट्रो लाइन के आरम्भ होने की जानकारी केवल इस कॉरिडॉर को मंजूरी मिल जाने के बाद ही बताई जा सकती है;

(ख) यह लाइन, तुगलकाबाद–एरोसिटी कॉरीडोर का एक भाग है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, तुगलकाबाद–एरोसिटी कॉरीडोर (लंबाई 20.2 Kms) की अनुमानित लागत रुपये 10,818 करोड़ है। डीपीआर के अनुसार फेस–IV प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है;

(ग) इस लाइन के 20.20 Km में से 14.62 Km को अंडर ग्राउंड बनाने की योजना है, बाकी ऐलिवेटिड होगा; और

(घ) दिल्ली मैट्रो के फेस–IV का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

144. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अम्बेडकर नगर से कितनी बस चल रही हैं;

(ख) इन बसों की संख्या कम क्यों है; और

(ग) इस क्षेत्र के लिए नई बसें लाने की क्या योजना हैं?

माननीय परिवहन मंत्री: (क) अम्बेडकर नगर से चलने वाले रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम की 140 बसें व अम्बेडकर नगर से गुजरने वाले रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम की 318 बसें अनुसूचित है।

इसके अतिरिक्त कलस्टर सेवा में चलने वाले बसों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

अम्बेडकर नगर से प्रारम्भ होने वाले रूट:–

रूट संख्या	कहाँ से	कहाँ तक	कलस्टर बसों की संख्या
522	अम्बेडकर नगर	इन्द्रपुरी कृषि कुंज	20
311ए	अम्बेडकर नगर	आनन्द विहार	10

अम्बेडकर नगर से पास होने वाले रूट

717ए	बदरपुर बोर्डर	कापसहेडा बोर्डर	37
548	हमदर्द नगर	मिन्टो रोड टर्मिनल	10
448	हमदर्द नगर	पंजाबी बाग टर्मिनल	9

अम्बेडकर नगर से चलने वाले रूटों पर नॉन एसी प्राइवेट मिनी स्टेज कैरिज बसों की तथा मेट्रो फीडर का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

प्राइवेट मिनी स्टैज कैरिज बसें

रूट संख्या	कहाँ से	कहाँ तक	बसों की संख्या
एफ–504	अम्बेडकर नगर	सफदरजंग अस्पताल	01
एफ–401	देवली गाँव	मूलचन्द सेन्टर स्कूल	01
एफ–404	हमदर्द नगर	मूलचन्द सेन्टर स्कूल	07

मेट्रो फिडर बस सेवा

एम एल–70	अम्बेडकर नगर	धौला कुंआ	04
एम एल–79	संगम विहार	जवाहर लाल नेहरू मेट्रो स्टेशन	07

एम एल–75	साकेत मेट्रो स्टेशन	नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन	09
एम एल–82 बी	तुगलकाबाद स्टेशन	महरौली टर्मिनल	07

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बसें चलाई जाती हैं; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 15.03.2018 को 1000 स्टैण्डर्ड साइज बसों की खरीद के लिए ग्लोबल टैन्डर जारी किया गया था जिसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। परिवहन विभाग द्वारा कलस्टर सेवा के अन्तर्गत 1000 स्टैण्डर्डस फ्लोर हाइट की बसों को चलाने के लिए आमंत्रित की गई निविदाओं पर अन्तिम निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा कर लिया गया है। इन 2000 स्टैण्डर्डस फ्लोर हाइट की बसों पर अन्तिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश पर निर्भर होगा।

145. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा बस रूट संख्या 957 स्पेशल के रूट को आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बस के वर्तमान में कितने फेरे लग रहे हैं;

(ग) जनता की मांग को देखते हुए विभाग द्वारा इसके फेरे बढ़ाने की क्या योजना है;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिनांक 22 जनवरी, 2018 को डिपो प्रबंधक, रोहिणी डिपो–तीन द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र सैक्टर–16 रोहिणी व सैक्टर–11, रोहिणी के रूटों का सर्वे किया गया था;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस सर्वे की रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तर) से सिंधिया हाउस को भेजी गई थी;

(च) वर्तमान में इन जगहों के लिए बसें चलाने की योजना है;

(छ) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में 40 बस क्यू सेल्टर लगाने के लिए सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा नवंबर 2013, जून 2014, फरवरी 2015 व दिसंबर 2017 को निविदाएं दी गई थीं; और

(ज) क्या यह सभी निविदाएँ सफल नहीं रहीं, और

(झ) यदि हाँ, तो अब विभाग द्वारा बस क्यू शेल्टर बदलने पर क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) रूट संख्या 957 स्पेशल का दिनांक 10.05.2018 को आरम्भ किया गया;

(ख) इस रूट पर वर्तमान में दो फेरे अनुसूचित हैं;

(ग) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नई बसों के आने के उपरान्त इस पर विचार किया जाएगा;

(घ) जी हाँ;

(ङ) – रोहिणी सेक्टर–11 होकर वर्तमान में रूट संख्या 889, 975 व एक्सप्रेस–91 परिचालन में है;

– रोहिणी सैक्टर–16 होकर रूट संख्या 106, 113, 113एक्सट्रा, 133, 140, 191, 879, 879बी, 889, 985, 988, जी.एल.–90 आदि परिचालन में है।

– रोहिणी सैक्टर–18 होकर रूट संख्या 879ए परिचालन में है, यात्री इन रूटों का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं।

दिपनि के बेडे में बसों की वृद्धि होने पर इन रूटों पर और बसों की वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है।

(छ) जी हाँ;

(ज) जी हाँ; और

(झ) दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है जो कि लागत ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके पश्चात् शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएगी।

146. कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि वसंत कुंज को फेज़ 1 में मेट्रो से जोड़ा जाना प्रस्तावित था;

(ख) इस प्रस्ताव पर अमल न होने के क्या कारण है;

(ग) तुगलकाबाद से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली लाइन को स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने का क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें;

(घ) इस लाइन के वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य न होने के समाचारों को देखते हुए क्या केन्द्र सरकार से उनका अंशदान बढ़ाने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) क्या इस परियोजना को आरम्भ किए जाने पर सरकार पुनः विचार करेगी?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) जी नहीं;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) तुगलकाबाद से एरोसिटी, दिल्ली मैट्रो की योजना फेस–IV का हिस्सा है जिसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली सरकार तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को डी.एम.आर.सी. द्वारा अनुमोदन के लिए भेजी गई है। यह प्रस्ताव दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं;

(घ) जी नहीं; और

(ङ) यह प्रस्ताव अभी दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

147. श्री राजेश गुप्ता : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वज़ीरपुर विधानसभा से चलने वाली और यहाँ से गुजरने वाली बसों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि वज़ीरपुर विधानसभा से संबंधित बहुत से बस रूटों को समाप्त कर दिया गया है;

(ग) इन समाप्त कर दिए गए रूटों को पुनः कब प्रारम्भ किया जाएगा;

(घ) वज़ीरपुर विधानसभा में कुल कितने बस शेल्टर हैं;

(ङ) उक्त बस शेल्टरों में से कितने अच्छी स्थिति में हैं;

(च) क्या यह सत्य नही है कि स्थानीय विधायक ने अपनी विधायक निधि से कुछ नए बस शेल्टर बनवाने का अनुरोध किया था;

(छ) यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है; और

(ज) यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ हो जाएगी?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) वजीरपुर विधान सभा से दिल्ली परिवहन निगम की चलने वाली और यहां से गुजरने वाली बसों की कुल संख्या 158 है तथा इसके अतिरिक्त 8 स्पेशल फेरे भी यहां से होकर चल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त कलस्टर सेवा की 15 रूटों पर 214 बसें (रूट संख्या 88A, 91, 78, 990, 990Ext., 157, 181A, 182A, TMS(+), TMS(-), 901, 921, 761, 938A और 997) वज़ीरपुर विधान सभा क्षेत्र में परिचालित हैं;

(ख) जी हाँ, संसाधनों की कमी के कारण कुछ रूट पर बसों की संख्या में कमी हुई है;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की वृद्धि होने पर जांच उपरान्त इस क्षेत्र के बन्द रूटों को पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है;

(घ) वजीरपुर विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में 16 बस शेल्टर का निर्माण किया गया था तथा डीटीआईडीसी द्वारा 7 आधुनिक बस शेल्टर लगाए गए हैं;

(ङ) वज़ीरपुर विधानसभा में 7 आधुनिक बस शेल्टर अच्छी स्थिति में हैं तथा दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए बस–शेल्टर के पुनः निर्माण की आवश्यकता है;

(च) जी हाँ;

(छ) विधायक निधि से अनुमानित लागत स्वीकृति के पश्चात् निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और सफल एजेंसी मिलने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाता है; और

(ज) विधायक निधि से अनुमानित लागत स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

148. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग ने कुछ दिन पहले बग्गा लिंक एवं मान मोटर्स, ऑटो विक्रेताओं का लाईसेंस सस्पेंड किया था;

(ख) ये लाईसेंस कब तक के लिए और कब सस्पेंड किए गए;

(ग) इन विक्रेताओं के लाईसेंस किस अपराध में सस्पेंड किए गए थे, पूर्ण ब्यौरा दिया जाए;

(घ) बिक्री करते समय विक्रेताओं के द्वारा कितने ऑटो वालों से कितना ज्यादा पैसा वसूला गया था;

(ङ) कितने ऑटो वालों को सरकार के द्वारा पैसा वापिस कर दिया गया है;

(च) पैसा किस माध्यम से लौटाया गया, (चेक, नकद या एन. ई.एफ.टी. द्वारा) ब्यौरा दिया जाए; और

(छ) इस कार्य में सरकार ने किस–किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की है?

(माननीय विधायक द्वारा प्रश्न वापस लिया गया।)

149. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बुराड़ी अथॉरिटी पर पिछले 10 सालों में कब–कब कौन एमएलओ रहा, उसका विवरण दिया जाए;

(ख) एक से ज्यादा एमएलओ कब तक रहे और वर्तमान एमएलओ कब से हैं;

(ग) गाड़ियों पर वीआई रजिस्ट्रेशन नं. 0001 सन् 1990 से लेकर मई 2018 तक किस–किस को इश्यू किए गए, वाहन मालिक के नाम सहित संपूर्ण जानकारी दें; और

(घ) एमपी/एमएलए के लिए वीआईपी नंबर के लिए क्या–क्या शर्तें हैं?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) पिछले 10 सालों में बुराड़ी में रहे एमएलओ और उनके कार्यकाल अनुलग्नक 'क' में संलग्न हैं;

(ख) बुराड़ी में परिवहन विभाग की तीन शाखाएँ काम करती हैंः– वेहिकल इंस्पेक्शन यूनिट, ऑटो रिक्शा यूनिट तथा टैक्सी यूनिट। इस वजह से बुराड़ी में अधिकतर समय एक से ज्यादा एमएलओ रहे हैं। इसका विवरण भी उपरोक्त अनुलग्नक 'क' में उपलब्ध है;

वर्तमान में वेहिकल इंस्पेक्शन यूनिट में 13/11/2014 से श्री मगन सिंह, 25/08/2017 से श्री अजय सामल तथा ऑटो रिक्शा यूनिट एवं टैक्सी यूनिट में 06/04/2016 से श्री राजेश कुमार कार्यरत है;

(ग) गाड़ियों पर वी.आई.पी. रजिस्ट्रेशन नं. 001 सन् 1990 से लेकर मई 2014 तक की जानकारी अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है तथा जून 2014 से मई 2018 तक की जानकारी अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है; और

(घ) एमपी/एमएलए के लिए वीआईपी नंबर की शर्तें अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न* हैं।

150. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, विस्तृत जानकारी दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि स्कूली विद्यार्थियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने वाले वाहन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ग) सरकार उपरोक्त आदेशों का किस प्रकार पालन सुनिश्चित कर रही है?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पेटेशिन 13029/85—एम सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ

---

* www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध

इण्डिया तथा अन्य के मामले में 20/11/1997 में जो कि 16/12/1997 के आदेशानुसार संशोधित किया गयाथा, शिक्षा संस्थानों तथा उनके द्वारा किराए पर ली गई बसों के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए थे;

1. स्कूल बस में ऐसे दरवाजे लगे होंगे जो बन्द किए जा सकते हों;

2. प्रत्येक बस में एक दिल्ली मोटर वाईकल्स रूल्स, 1993 के नियम 17 के अनुसार एक योग्य कन्डेक्टर होना चाहिए;

3. किसी भी बस में रजिस्टर्ड बैठने की क्षमता के 1.5 गुना से अधिक बच्चों को बैठाने की अनुमति नही होगी। यह आदेश स्कूली बच्चों को ढोने वाले ऑटो रिक्शा, टैक्सियों तथा अन्य वाहनों पर भी लागू होगा;

4. प्रत्येक बड़ी स्कूल बस के चालक को कम से कम 5 वर्षों का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए;

5. चालक लाल बत्ती के उल्लंघन, गलत या रूकावट डालने वाली पार्किंग, स्टाप लाईन का उललघंन, बस लेन का उल्लंघन, ओवरटेकिंग के नियमों का उल्लंघन तथा अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा बस चलाने के अपराध में 01 साल में 02 बार से अधिक चालान नहीं किया गया हो;

6. चालक का ज्यादा गति से वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने तथा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के अपराध में 01 साल में 01 बार से अधिक चालान नहीं किया गया हो;

7. चालक का इण्डियन पैनल कोड के अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 तथा 304ए के अधीन चालान/चार्ज ना हुआ हो; और

8. सभी चालक एक विशिष्ट वर्दी पहनेंगे तथा ये सभी बसे एक विशिष्ट बोर्ड लगाएंगी, जो यह चिन्हित करेगा ये बस स्कूली बच्चों को ले जा रही है;

(ख) नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये गए ऐसे स्कूल वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन शाखा द्वारा कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के तहत समय समय पर की जाती है वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित कार्यवाही की गईः–

अवधि	कुल वाहन	कुल चालान	कुल जब्त वाहन
01.04.2017 से 31.03.2018 (बसें)	925	1932	585
01.04.2017 से 31.03.2018 (वेन/कैब)	247	334	92

(ग) नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये गए ऐसे स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के तहत समय–समय पर की जाती हैं।

151. श्री संजीव झा : क्या **माननीय उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रचार एजेंसी शब्दार्थ की अब तक आयोजित की गई गवर्निंग बॉडी (संचालन समिति) की बैठकें कब और कितनी बार हुई;

(ख) इस प्रचार एजेंसी की गवर्निंग बॉडी की बैठकों में कितने प्रस्ताव पारित किए गए सभी प्रस्तावों की प्रति उपलब्ध करें; और

(ग) शब्दार्थ की गवर्निंग बॉडी में पारित प्रस्तावों में से कितने फैसले (पारित प्रस्ताव) लागू किए गए या कार्यान्वित किए गए। सभी प्रति भी उपलब्ध करें?

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली सरकार की विज्ञापन एजेंसी शब्दार्थ की संचालन समिति की अब तक 5 बैठकें आयोजित हुई हैं जो कि निम्न दिनांक को आयोजित हुई थीं:

पहली बैठक 03 जुलाई, 2015

दूसरी बैठक 19 अगस्त, 2015

तीसरी बैठक 06 अप्रैल, 2016

चौथी बैठक 02 सितम्बर, 2016

पाँचवी बैठक 18 जुलाई, 2017;

(ख) इस प्रचार एजेंसी की गवर्निंग बॉडी की बैठकों में कुल 41 प्रस्ताव पारित किए गए सभी प्रस्तावों की प्रति अनुलग्नक–I से अनुलग्नक–V में संलग्न है; और

(ग) शब्दार्थ की संचालन समिति की पाँच बैठकों में कुल 41 प्रस्ताव पारित हुए। जिनमें से 36 प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया। तथा शेष 05 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रस्तावों की प्रति अनुलग्नक-I से अनुलग्नक-V में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

संचालन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन 03 जुलाई, 2015 में हुआ जिसमे कुल 07 प्रस्ताव पारित किए गये।

SHABDARTH

(An Advertising Agency of Govt. of NCT of Delhi)
(DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY)
BLOCK-IX, OLD SECRETRAIT, DELHI-54

F.No.42(1)/2015-16/DIP/Estt/ / 1069-78 Dated: 13/07/15

Minutes of 1st Meeting of the Governing Council of Shabdarth

The 1st meeting of the Governing Council of Shabdarth was held on July 3rd, 2015 at 3.00 PM under the Chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister/ Minister-in-Charge (PR) and Chairperson of the Governing Council Shri **Manish Sisodia**. The meeting was attended by following members of the Governing Council:

1. Sh. KK Sharma, Chief Secretary/ Vice Chairperson.
2. Sh. SN Sahai, Pr. Secretary Finance/ Member.
3. Sh. SS Yadav, Secretary (PR)/Member.
4. Sh. Durbar Ganguly, Member.
5. Sh. R Chopra, CEO (Shabdarth)/Member-Secretary.

Shri Manish Sinha, Member, who telephonically informed about his inability to attend the meeting, was granted leave of absence by the Chairperson.

The following officers of DIP were also present in the meeting:

1. Sh. MC Maurya, Dy. Director (FP)/ HOO.
2. Sh. PK Dabas, Dy. Director (Advt).
3. Sh. Ashok Kumar, Dy. Director (Admn).
4. Sh. CP Sugatha Kumar, Office Superintendent.

The Chairperson, Governing Council welcomed all those present in the meeting who then introduced themselves to the Chair.

Following Agenda items were taken by the Governing Council for discussion.

AGENDA No.1: Progress of Registration of the Society with Registrar of Societies.

Resolution No.-1/2015

The Governing Council was happy to know that the Society had been registered under the Societies Registration Act and noted the contents of the agenda.

AGENDA No.2: Opening of a Bank Account and its operation.

Resolution No.-2/2015

The Governing Council considered and approved the proposal to open bank account of the society in DENA Bank, Old Secretariat Branch, Delhi.

It further decided that the account would be jointly operated by CEO (Shabdarth) and one Senior Account Functionary (a government officer) to be posted on deputation to the Society.

Further, on suggestion from Pr Secretary (Finance) that one more Senior level officer should also be decided to jointly operate the account in absence of CEO or Account functionary, the Governing Council after detailed discussion decided that DIP/Secretary (PR) will be the third signatory in case of absence of one of the signatories to avoid any delay.

AGENDA No.3: Payment of sitting fee to the members of the Governing Council.

Resolution No.-3/2015

The Governing Council approved the agenda for payment of sitting fee of Rs.3000/- per meeting to the non-official members for attending the Governing Council meetings.

AGENDA No.4: Delegation of Administrative & Financial Powers to the Office Bearers of Shabdarth.

Resolution No.-4/2015

The agenda was discussed in detail.

It was decided that financial transaction upto 80% of the commission earned by the society in a year would vest with the Executive Committee and beyond that would vest with the Governing Council.

Further, all the powers regarding immovable assets like acquisition/purchase of land/property, hiring/leasing of property, creation of posts and purchase of vehicles would vest with the Governing Council.

Rest of the Financial Power as proposed in Annexure-I of the agenda was approved.

AGENDA No. 5: Approval of Organizational Structure of Shabdarth.

Resolution No.-5/2015

The Governing Council considered the proposed Organizational Structure at Annexure-II. After deliberation it was decided and approved that there should be a Creative Head and Media Head to head the Creative and Media department respectively, and the post of Studio Coordinator be kept at a level below the Creative and Media Head instead of the proposed level in the agenda. On suggestion to create a post of Video Editor at the same level of Editor/Publishing Incharge, the Governing Council agreed and approved the same.

Further, it was suggested and approved that the publishing department officers would report to Media Head and Account & HR Department Head directly report to CEO.

At this point it was also suggested to create a Social Media Wing with a Social Media Manager under Media Head with necessary support staff, which was also approved by the Governing Council.

The Governing Council approved the proposed organizational structure with above changes.

AGENDA No. 6: Approval of Staff profile and Hiring of Core Team of Shabdarth.

Resolution No.-6/2015

The Governing Council considered the staff profile alongwith emoluments, educational qualifications, desired profile and essential experience as proposed in the agenda. The Governing Council gave in principle approval to the agenda.

In regard to the emoluments to be paid for staff hired on contract, Pr Secretary (Finance) suggested that it would be better to draw equivalence with the salary structure including, Basic Pay, DA, HRA, TA, Leave salary etc being paid for comparable posts to government employees, and thereafter to resubmit the same before the Governing Council for information.

AGENDA No. 7: Constitution of Selection Committee.

Resolution No.-7/2015

The Governing Council approved the constitution of Selection Committee under the Chairmanship of Secretary (PR)/DIP as proposed in the agenda with an

amendment that the sitting CEO (Shabdarth) would not be the member of the Selection Committee while hiring for the post of CEO (Shabdarth).

CEO (Shabdarth)/
Member Secretary

Copy to:

1. Hon'ble Dy Chief Minister/Chairperson of Governing Council.
2. Chief Secretary/Vice Chairperson of Governing Council.
3. Pr. Secretary (Finance)/Member of Governing Council.
4. Secretary (PR)/Member of Governing Council.
5. Sh. Durbar Ganguly, Member of Governing Council, Farm No.13, Palm Beach Road, Fateh Pur Beri, Mehrauli, New Delhi-74.
6. Sh. Manish Sinha, Member of Governing Council, MF-15, Eldeco Mansionz, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon.

Copy for necessary action to:

1. Sh. MC Maurya, Dy. Director (FP)/ HOO.
2. Sh. Ashok Kumar, Dy. Director (Admn).
3. Sh. PK Dabas, Dy. Director (Advt/Nodal).
4. Sh. Nalin Chauhan, Dy. Director (Advt).

CEO (Shabdarth)/
Member Secretary

अनुलग्नक - II

संचालन समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन 19 अगस्त , 2016 में हुआ जिसमे कुल 05 प्रस्ताव पारित किए गये।

SHABDARTH

(An Advertising Agency of Govt. of NCT of Delhi)
(DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY)
BLOCK-IX, OLD SECRETRAIT, DELHI-54

F.No.42(1)/2015-16/DIP/Estt/ 38 - 47 Dated: 28|8|15

Minutes of 2nd Meeting of the Governing Council of Shabdarth

The 2nd meeting of the Governing Council of Shabdarth was held on August 19th, 2015 at 3.00 PM under the Chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister/ Minister-in-Charge (PR) and Chairperson of the Governing Council Shri **Manish Sisodia**. The meeting was attended by following members of the Governing Council:

1. Sh. KK Sharma, Chief Secretary/ Vice Chairperson.
2. Sh. SN Sahai, Pr. Secretary Finance/ Member.
3. Sh. SS Yadav, Secretary (PR)/Member.
4. Sh. Durbar Ganguly, Member.
5. Sh. R Chopra, CEO (Shabdarth)/Member-Secretary.

Shri Manish Sinha, Member, who telephonically informed about his inability to attend the meeting, was granted leave of absence by the Chairperson.

The following officers of DIP were also present in the meeting:

1. Sh. Ashok Kumar, Dy. Director.
2. Sh. Rajeev Kumar, Administrative Officer.
3. Sh. CP Sugatha Kumar, Office Superintendent.

The Chairperson, Governing Council welcomed all those present in the meeting.

The minutes of the 1st meeting were read out and confirmed by the Governing Council, whereafter following agenda items were taken up:

AGENDA No.1: Organization Structure of Shabdarth.

Resolution No.-8/2015

The Governing Council noted and approved the amended organization structure based upon the inputs given in the first meeting.

The Chairman of the Governing Council expressed that the posts be filled up at the earliest so that Shabdarth can start its operations. Accordingly, the

Governing Council decided to fill up the posts of Chief Executive Officer, General Manager, Studio Coordinator, Creative Executive, Graphic Designer, Copy Writer, Proof Reader, DTP Operators, Media Manager, Media Executive, Editor/Publication Incharge, Video Editor, Social Media Manager, Social Media Executive, Manager (Finance + HR + Nodal), Accounts Executive and Nodal Executive on priority.

The Principal Secretary (Finance) proposed that since Accounts functionary is being posted by the Finance Department, the essential qualifications for the post of Manager (Finance + HR + Nodal) may be amended to concentrate more on HR functions. Accordingly, the Governing Council considered and approved the essential qualification to MBA with specialization in HR or Personal Management for the post of Manager (Finance + HR + Nodal).

AGENDA No.2: Emoluments to be Paid to Staff to be Hired on Contract.

Resolution No.-9/2015

The Governing Council discussed the agenda in detail and approved the proposed emoluments as per the agenda.

It emphasized that the proposed emoluments be taken as the maximum that can be paid and accordingly the Selection Committee may negotiate with the selected candidates while deciding on the emoluments as per the industry standards.

AGENDA No.3: Approval of Staff Profile of the posts included in the Amended Organization Structure as per Resolution No.5/2015.

Resolution No.-10/2015

The Governing Council approved the staff profile and the emoluments of the few other added posts in the Amended Organization Structure as per the agenda.

AGENDA No.4: Logo & Tagline for Shabdarth.

Resolution No.-11/2015

It was held that there is no need to decide on the matter in the Governing Council meeting. The Secretary (PR)/DIP may select one of the logo and take approval of the Chairman of the Governing Council separately.

AGENDA No. 5: Modalities for selection of candidates for various posts in Shabdarth.

Resolution No.-12/2015

The Governing Council discussed the agenda in detail. On the observations made by the Special Secretary (Finance), the Governing Council decided as under:

a) There is no need to make separate recruitment rules for different posts as the proposed Emoluments Upto, Essential Qualifications, Desired Profile and Essential Experience are in essence the requisite Recruitment Rules.

b) As the Selection Committee already have non-official members namely, Shri Durbar Ganguly and Shri Manish Sinha, so there is no need to engage any other independent individual for the said purpose.

The Principal Secretary (Finance) informed that DIMTS had been hiring people on contract for long for which it had signed agreements with them, which may be obtained and followed in Shabdarth as well, to which the Governing Council agreed.

The Governing Council concluded that in the long run Shabdarth may also explore the possibility of taking services of recruitment agencies for hiring of best talents available in the industry.

CEO (Shabdarth)/
Member Secretary

Copy to:

1. Hon'ble Dy Chief Minister/Chairperson of Governing Council.
2. Chief Secretary/Vice Chairperson of Governing Council.
3. Pr. Secretary (Finance)/Member of Governing Council.
4. Secretary (PR)/Member of Governing Council.
5. Sh. Durbar Ganguly, Member of Governing Council, Farm No.13, Palm Beach Road, Fateh Pur Beri, Mehrauli, New Delhi-74.
6. Sh. Manish Sinha, Member of Governing Council, MF-15, Eldeco Mansionz, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon.

Copy for necessary action to:

1. Sh. MC Maurya, Dy. Director (FP)/ HOO.
2. Sh. Ashok Kumar, Dy. Director (Admn).
3. Sh. Rajeev Kumar, Administrative Officer.
4. Sh. Nalin Chauhan, Dy. Director (Advt).

CEO (Shabdarth)/
Member Secretary

अनुलग्नक – III

संचालन समिति की तृतीय बैठक का आयोजन 06 अप्रैल, 2016 में हुआ जिसमे कुल 04 प्रस्ताव पारित किए गये।

SHABDARTH
(An Advertising Agency of Govt. of NCT of Delhi)
Directorate of Information & Technology
Block-IX, Old Secretariat, Delhi-54

F. No. 42(1)/2015-16/DIP/Estt./27-35 Dated: 12-4-2016

Minutes of the 3rd meeting of the Governing Council of Shabdarth

The 3rd meeting of the Governing Council of Shabdarth was held on 6th April, 2016 at 12:00 Noon under the chairmanship of Hon'ble Dy. Chief Minister/ Minister-in-Charge (PR) and chairperson of the Governing Council Sh. Manish Sisodia. The meeting was attended by following members of the Governing Council:-

1. Sh. K.K. Sharma, Chief Secretary/ Vice Chairperson
2. Sh. S.N. Sahai, Pr. Secretary (Fin.)/ Member
3. Sh. S.S. Yadav, Secretary (PR)/ Member
4. Sh. Durbar Ganguly, Member
5. Sh. Sandeep Mishra, CEO (Shabdarth)/ Member-Secretary

Sh. Manish Sinha, Member who could not attend the meeting, was granted leave of absence by the Chairperson.

The following officers of DIP were also present in the meeting:-

1. Sh. K.C. Belwal, Manager (HR)/ Nodal Officer
2. Sh. Rajeev Kumar, Administrative Officer (DIP)
3. Sh. Chandan Kumar, I.O/ Media Manager

The chairperson, Governing Council welcomed all those present in the meeting.

The minutes of the 2nd meeting were confirmed by the Governing Council.

CEO, Shabdarth briefed the GC about the progress made by the Shabdarth during the last financial year upto 31st March 2016. It was informed that Shabdarth did a business of about Rs. 48 crore and earned a commission of about Rs. 6.00 crore with the skeleton staff it had. Presently, it has only 7 officials on its strength having 2

Account Officers on deputation from the Delhi Govt., 3 DTP operators from ICSIL, 2 Graphic Designers, 1 Copy Writer, 1 Editor and 1 Video Editor employed on contractual basis. The process for filing up other vacant posts is on. Thereafter, the revised agenda items circulated during the meeting were taken up.

Agenda No. 1

Resolution No. 13/2016

The Hon'ble Dy. C.M emphasised the need of continued communication with the citizens in a participatory democracy, and that a two way communication between the Government and citizens is very important for efficient and transparent delivery of services to the citizens. To achieve this objective, he welcomed the proposal of publishing a monthly news letter and setting up a website for disseminating Delhi Govt's plans, programmes, schemes, activities, news and for capturing the voices of the people from the ground.

The Governing Council discussed the proposal in detail and resolved to publish a monthly news letter 'Aap ki Dilli' and for setting up a web site under the same name. It was agreed to create 1 post of Assistant Editor, 2 posts of Reporters and 2 posts of Copy Writers and to institute 2 Media Fellowships and 5 Media Internships.

Further, it was suggested by the Chief Secretary and the Chairman of the Governing Council that the duration of Media Internship should be for a period of 6 months which can be extended upto a maximum period of 1 year while the duration of media fellowship shall be for a period of 1 year which can be extended upto a maximum period of 2 years.

Pr. Secretary (Fin.) suggested that the remuneration for these posts should match with the comparable posts in Government or Industry. It was informed that the Annexure-I is based on this criteria and the same was approved by the GC.

Agenda No. 2

Resolution No. 14/2016

Hon'ble Dy. C.M elaborated on the need for developing in house high quality video production facility for publicising important Government initiatives. Presently, the Government has to depend on outside agencies for creating video productions.

It was resolved to set up a video production unit in Shabdarth by creating a post of Video Creative Producer.

Pr. Secretary (Fin.) suggested that appropriate qualification, skill set, experience & remuneration for the job should be as per comparable position in Government or industry. As no such job profile is available in Government, the Chairman suggested that maximum remuneration for the post can be Rs. 1 lakh and that the qualification and experience can be framed based on industry standards. Further, it was agreed that other production activities should be outsourced.

Agenda No. 3

Resolution No. 15/2016

The business generated by the Shabdarth was reviewed in detail and it was resolved to create two posts of Accounts Executives, two posts of Executive Assistants and one post of Assistant Programmer.

Agenda No. 4

Pr. Secretary (Fin.) appreciated the commendable work done by the Shabdarth officers and staff. However, he observed that grant of honorarium may lead to similar demands from other organizations. Therefore, it may not be advisable to grant honorarium at this stage.

Agenda No. 5

Resolution No. 16/2016

It was resolved to open another bank account in IDBI Bank.

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

CEO (Shabdarth)
Member-Secretary

Copy to:-

1. Hon'ble Dy. Chief Minister/ Chairperson of Governing Council.
2. Chief Secretary/ Vice Chairperson of Governing Council.
3. Pr. Secretary (Finance)/ Member of the Governing Council.
4. Secretary (PR)/ Member of the Governing Council.
5. Sh. Durbar Ganguly, Member of Governing Council, Farm No. 13, Palm Beach Road, Fateh Pur Beri, Mehrauli, New Delhi-74.
6. Sh. Manish Sinha, Member of Governing Council, MF-15, Eldeco Mansionz, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon.

Copy for necessary action to:-

1. Sh. K.C. Belwal, Manager (HR)
2. Sh. Rajeev Kumar, Administrative Officer (DIP)
3. Sh. Chandan Kumar, IO/ Media Manager

CEO (Shabdarth)
Member-Secretary

अनुलग्नक-IV

संचालन समिति की चतुर्थ बैठक का आयोजन 02 सितंबर, 2016 में हुआ जिसमे कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गये।

SHABDARTH
(An Advertising Agency of Govt. of NCT of Delhi)
(DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY)
BLOCK-IX, OLD SECRETRAIT, DELHI-54

F.No.42(1)/2015-16/DIP/Estt/ [illegible] Dated: [illegible]

Minutes of the 4th Meeting of the Governing Council of Shabdarth

The 4th meeting of the Governing Council of Shabdarth was held on September 2nd, 2016 at 4.00 PM under the Chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister/ Minister-in-Charge (PR) and Chairperson of the Governing Council Shri Manish Sisodia. The meeting was attended by following members of the Governing Council:

1. Sh. KK Sharma, Chief Secretary/ Vice Chairperson.
2. Sh. SN Sahai, Pr. Secretary Finance/ Member.
3. Sh. SS Yadav, Secretary (PR)/Member.
4. Sh. Sandeep Mishra, CEO (Shabdarth)/Member Secretary.

Shri Durbar Ganguly, Member and Shri Manish Sinha, Member, who could not attend the meeting, were granted leave of absence by the Chairperson.

The following officers were also present in the meeting:

1. Sh. K C Belwal, Manager (Finance)
2. Sh. Chander Mohan, Manager (HR-Nodal)
3. Sh Chandan Kumar, I.O/ Media Manager
4. Sh Amit Kumar, I.O

The Chairperson, Governing Council welcomed all those present in the meeting.

AGENDA No. 1/4/2016-17 :

Resolution no. 17/2016

Confirmation of Minutes of the 3rd meeting of the Governing Council held on 6th April 2016.

The minutes of the 3rd meeting of the Governing Council were read out and confirmed by the Governing Council.

AGENDA No. 2/4/2016-17 :

Resolution no. 18/2016

Action Taken Report on decisions taken in 3rd meeting of the Governing Council :

CEO (Shabdarth) apprised the Governing Council about the action taken in r/o decisions taken in the 3rd meeting of the Governing Council. The same were noted and approved by the Governing Council.

AGENDA No. 3/4/2016-17 :

Resolution no. 19/2016

Accounts and Annual Report 2015-16

The Audited accounts of the Society comprising, Receipt and Payment accounts, Profit and Loss accounts, Balance sheet and Annual report were presented by the CEO (Shabdarth) before the Governing Council for perusal as Annexure III. As per the Balance Sheet as on 31.3.2016 the Society has a surplus of Rs.7.09Crores. Also, the annual budget estimates based on the current strength of staff with Shabdarth for the year 2016-17 were also placed before the Governing Council. Principal Secretary (Finance) emphasized that a Chartered Accountant from the approved list of CAG be hired for the purpose for next year.

The Governing Council approved the Audited accounts and annual budget and hiring of the Chartered Accountant from the approved panel of CAG if the present Chartered Accountant hired by Shabdarth is not on the panel of the approved list of CAG.

AGENDA No. 4/4/2016-17

Resolution no. 20/2016

Engaging All India Radio/ Prasar Bharti empanelled Artistes for video/audio production.

The Governing Council was informed that in the process of setting up a Video Production Unit in Shabdarth as approved vide 3rd Meeting of the Governing Council vide resolution No. 14/2016, professional voice over artistes need to be hired for production of in-house videos/ audios.

The Governing Council discussed the agenda and approved taking the services of these artistes on same rates and terms and conditions as per their empanelment with AIR/ Prasar Bharti.

AGENDA No. 5/4/2016-17

Resolution no. 21/2016

REFUND OF GRANT:

The agenda item was discussed in detail and the Governing council approved refunding the grant of Rs.50 lacs to the Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.

AGENDA No. 6/4/2016-17

Resolution no. 22/2016

Performance based annual increment to staff of Shabdarth:

The Governing Council considered the provision of annual increase or performance based increment for Shabdarth contractual employees. The Chairman of the Governing Council expressed that taking into account the inflationary pressure & for rewarding talent and good work, the rate of annual increment should be more than that proposed in the agenda item. The matter was discussed at length and the Governing Council approved the following rates of annual increment:-

Performance Indicator	Annual increment
Satisfactory	Nil
Good	5%
Very Good	10%
Outstanding	15%

AGENDA No. 7/4/2016-17

Resolution no. 22/2016 [22-A]

Extending telephone facility to Shabdarath staff:

The agenda item was discussed and the Governing Council approved to grant telephone/internet allowance of Rs. 1000/- to the following officials working in Shabdarth.

1. Sh. K C Belwal, Sr. AO - Manager Finance (Grade pay of Rs.6600/-)
2. Sh. Chander Mohan, AAO – Manager (HR-Nodal) (Grade Pay of Rs.5400/-)
3. Shri Pankaj Srivastava, Editor (On contract) Monthly Remn. Rs.60,000/-PM
4. Shri Abhishek Harit, Graphic Designer (On contract)Monthly Remn,.Rs.35000/-PM
5. Shri Javed Khan, Graphic Designer (On contract) Monthly Remn. Rs.45000/- PM
6. Shri Ganga Ram, Video Editor (On contract) Monthly Remn.Rs.30,000/-PM
7. Shri Manoj Kumar, Executive Astt (On contract) Monthly Remn.Rs.30,000/-PM
8. Shri Sharad Malhotra, Executive Asst .(on contract)Monthly Remn.Rs.30,000/-PM

Agenda No. 8/4/2016-17
Resolution no. 23/2016

Recruitment of staff on contract basis :

The Governing Council after going through the agenda item and Annexure approved the recruitment of following staff on contract basis in Shabdarth.

S NO.	Name	Designation	Date of Joining	Remuneration paid	Date of End of Contract
1	DR. Pankaj Srivastava	Editor	10.09.2015	60,000	09-09-2016
2	Javed Khan	Graphic Designer	13.10.2015	45,000	12.10.2016
3	Ganga Ram	Video Editor	19.01.2016	30,000	13.01.2017
4	Abhishek Harit	Graphic Designer	28-10-2015	35,000	27-10-2016
5	Kamlesh	Copy Writer	27-01-2016	30,000	26-01-2017 Resigned w.e.f 16.8.2016
6	Manoj Kumar Sharma	Executive Assistant	02-05-2016	30,000	01-05-2017
7	Sharad Malhotra	Executive Assistant	01-06-2016	30,000	31-05-2017

06/9/16

AGENDA No. 9/4/2016-17

Resolution no. 24/2016

Renewal of contractual staff working in Shabdarth :

The Governing Council was apprised that the contract of three contractual staff hired for a period of one year is going to expire. Since the services of these contractual staff are still required by the Society and if the performance, work and conduct are verified by the CEO to be satisfactory, they may be re-appointed on contract basis with annual increment as per approved policy for a further period of one year from the dates mentioned against each. The Principal Secretary (Finance) mentioned that there is no need to leave a gap of one working day and contract can be extended from the very next day. He also expressed that consent of the employee taken on the offer letter containing terms and conditions is also considered a valid contract. The Governing Council agreed to it and approved the extension of the contract in respect of following contractual staff as under:-

S.NO.	NAME OF EMPLOYEE	DATE OF INTIAL JOINING	DATE OF EXPIRY OF CONTRACT	DATE OF FRESH APPOINTMENT
1.	Sh. Pankaj Srivastava, Editor	10.09.2015	09.09.2016	12.09.2016
2.	Sh. Javed Khan, Graphic Designer	13.10.2015	12.10.2016	13.10.2016
3.	Sh. Abhishek Harit, Graphic Designer	28.10.2015	27.10.2016	28.10.2016

AGENDA No. 10/4/2016-17

Resolution no. 25/2016

Sitting fee /remuneration for non-official members of Selection Committee & Examiner:

Governing Council discussed the agenda item. The Chairperson expressed that the proposed honorarium of Rs. 2000/- should be enhanced to Rs. 3000/-. Thereafter, the Governing Council approved the payment of sitting fee of Rs.4000/- per meeting (Rs. 3000/- honorarium and Rs. 1000/- as conveyance allowance) to the non-official members for attending the selection committee meetings and Rs. 1000/- for setting one question paper and Rs. 25/- for evaluating one answer sheet.

Agenda No. 11/4/2016-17
Resolution no. 26/2016

Qualification, remuneration, experience and skills required for the post of Creative Director (Video Creative Producer) in Shabdarth

The Governing Council, after going through the agenda items and Annexure attached, approved the change of nomenclature of the post of Video Creative Producer to Creative Director and qualification, skill set and experience for the post.

Agenda No. 12/4/2016-17
Resolution no. 27/2016

Appointment and remuneration for the post of Creative Director / Video Creative Producer:

The Governing Council discussed the agenda item and approved the appointment of 1st rank candidate, Ms. Kajal Sharma to the post of Creative Director as recommended by the Selection committee and placing Mr. Vikas Verma on the panel to remain valid for a period of 1 year.

The Governing Council noted that Ms. Kajal Sharma was drawing Rs. 90000/- per month in her last assignment in Sahara India TV Network, and the maximum remuneration for the post being Rs. 1 lakh per month, approved the remuneration of Rs. 1,00,000/- (one lakh) per month to be paid to Ms. Kajal Sharma, on appointment to the post of Creative Director.

Agenda No. 13/4/2016-17 :
Resolution no. 28/2016

Appointment of CEO (Shabdarth) on deputation

The Governing Council approved the appointment of Shri Sandeep Kumar Mishra, DANICS/Special Secretary (Urban Development) holding additional charge of Special Director (DIP) and CEO (Shabdarth) as CEO (Shabdarth) as per his posting on deputation basis vide Services Department's Order No. F. 30/35/2002/SI/451 dated 03.08.2016.

Table Agenda

Resolution no. 29/2016

Hiring of Account Executives, DEO & MTS

The agenda item was considered by the Governing Council and approved for hiring of 2 Account Assistants, 2 DEOs and 2 MTS from M/s Intelligent Communications Systems India Ltd. (ICSIL)

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

06/9/16
CEO (Shabdarth)
Member Secretary

Copy to:

1. Hon'ble Dy Chief Minister/Chairperson of Governing Council.
2. Chief Secretary/Vice Chairperson of Governing Council.
3. Pr. Secretary (Finance)/Member of Governing Council.
4. Secretary (PR)/Member of Governing Council.
5. Sh. Durbar Ganguly, Member of Governing Council, Farm No.13, Palm Beach Road, Fateh Pur Beri, Mehrauli, New Delhi-74.
6. Sh. Manish Sinha, Member of Governing Council, MF-15, Eldeco Mansionz, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon.

Copy for necessary action to:

1. Sh. K C Belwal, Manager (Finance)
2. Sh. Chander Mohan, Manager (HR-Nodal)
3. Sh. Chandan Kumar, I.O/ Media Manager
4. Sh. Amit Kumar, I.O

06/9/16
CEO (Shabdarth)/
Member Secretary

अनुलग्नक-V

संचालन समिति की पंचम बैठक का आयोजन 18 जुलाई, 2017 में हुआ जिसमे कुल 11 प्रस्ताव पारित किए गये।

SHABDARTH

(An Advertising Agency of Govt. of NCT of Delhi)
(DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY)
BLOCK-IX, OLD SECRETRAIT, DELHI-54

F.No.42(1)/2015-16/DIP/Estt/825-832 Dated: 03/08/2017

Minutes of the 5th Meeting of the Governing Council of Shabdarth

The 5th meeting of the Governing Council of Shabdarth was held on 18th July 2017 at 1 pm under the Chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister/ Minister-in-Charge (PR) and Chairperson of the Governing Council Shri Manish Sisodia. The meeting was attended by following members of the Governing Council:

1. Dr. M.M. Kutty, Chief Secretary/ Vice Chairperson.
2. Smt. Renu Sharma, Principal Secretary Finance/ Member.
3. Dr. Jaydev Sarangi, Secretary (PR)/Member.
4. Sh. Sandeep Mishra, CEO (Shabdarth)/Member-Secretary.

Shri Durbar Ganguly, Member and Shri Manish Sinha, Member, who could not attend the meeting, were granted leave of absence by the Chairperson.

The following officers were also present in the meeting:

1. Sh. K C Belwal, Manager (Finance)
2. Sh. Chander Mohan, Manager (HR-Nodal)
3. Sh Chandan Kumar, I.O./Media Manager.
4. Sh Amit Kumar, I.O./ Media Manager.

The Chairperson, Governing Council welcomed all those present in the meeting.

AGENDA No. 1/5/2017-18:

Resolution no. 30/2017

Confirmation of minutes of the 4th meeting of the Governing Council held on 2nd September 2016:

The minutes of the 4th meeting of the Governing Council were read out and confirmed by the Governing Council.

AGENDA No. 2/5/2017-18:

Resolution no. 31/2017

Action Taken Report on the decisions taken in 4th meeting of the Governing Council:

CEO Shabdarth apprised the Governing Council about the action taken in r/o decisions taken in the 4th meeting of the Governing Council. The same were noted and approved by the Governing Council.

AGENDA No. 3/5/2017-18

Resolution no. 32/2017

Accounts and Annual Report 2016-17

CEO Shabdarth apprised the Governing Council that Final accounts of Shabdarth for the year ended 31 March 2017 are under preparation. However, the gross billing for the year 2016-17 was Rs. 62.35 crores. Net proceed in the form of agency commission will be approximately Rs. 7.46 crores for the year. Annual budget estimates based on the current strength of staff with Shabdarth for the year 2017-18 were also placed before the Governing Council for approval. An amount of Rs. 1.88 crores is the total estimated expenditure for the year 2017-18. Whereas gross income of the society by way of Trade discount and Interest on FDs is estimated to be Rs. 8.10 crores.

The Governing Council approved the budget and desired to put up final audited accounts of the Shabdarth in the next meeting of the Governing Council.

AGENDA No. 4/5/2017-18:

Resolution no. 33/2017

Creation of posts and recruitment in Shabdarth – approval of Hon'ble Lt. Governor:-

The Governing Council approved the proposal. Further it resolved that possibility be explored to reduce the number of designations and framing the Recruitment Rules as applicable in other similar agencies.

AGENDA No. 5/5/2017-18:

Resolution no. 34/2017

Ex-Post facto approval of extension of contractual staff working in Shabdarth:-

The Governing Council discussed the agenda item and ratified the extension of contractual appointment of following staff, as approved by Chairman, Shabdarth for another year subject to post facto approval of Hon'ble Lt. Governor for creation of posts and initial appointments thereon.

S. No	Name of the Official	Designation	DOJ	DOE(Contract end date)	Extension given up to
1	Sh. Ganga Ram	Video Editor	19.01.2016	18.01.2017	18.01.2018
2	Sh. Manoj Kr. Sharma	Exe. Assistant	02.05.2016	01.05.2017	01.05.2018
3	Sh. Sharad Malhotra	Exe. Assistant	01.06.2016	31.05.2017	31.05.2018

AGENDA No. 6/5/2017-18:

Resolution no. 35/2017

Extension of contractual staff for another year:-

The Governing Council discussed the agenda item and it was decided to take up the matter in the next meeting.

AGENDA No. 7/5/2017-18:

Resolution no. 36/2017

Extension of period of outsourced staff hired through M/s ICSIL:-

The Governing Council discussed the agenda item and ratified the Extension of outsourced staff hired from M/s ICSIL, for the following 7 positions, as approved by Chairman, Shabdarth for another year subject to post facto approval of Hon'ble Lt. Governor for creation of posts and initial appointments thereon:

S. No.	Designation	DOJ	DOE	Extended upto
1.	Accounts Assistant	30.10.2015	29.10.2016	28.10.2017
2.	Accounts Assistant	28.10.2015	27.10.2016	26.10.2017
3.	DEO	01.04.2016	31.03.2017	30.03.2018
4.	DEO	21.09.2015	20.09.2016	19.09.2017
5.	DEO	01.03.2016	28.02.2017	27.02.2018
6.	DEO	17.05.2016	16.05.2017	15.05. 2018
7.	MTS	18.05.2016	17.05.2017	16.05. 2018

AGENDA No. 8/5/2017-18:

Resolution no. 37/2017

Hiring of additional manpower:

The agenda item was discussed in detail by the Governing Council. It was resolved to create 23 new posts i.e. 8 posts of Account Assistant and 15 posts of Data Entry Operator. At the same time, the Governing Council abolished 10 posts i.e. 3 posts of Account Executive, 5 posts of Executive Assistant and 2 post of HR Executive, thereby effectively creating only 13 new posts thus increasing total posts in Shabdarth from 62 to 75

With the 13 newly created posts, approved staff position in Shabdarth shall be as under :-

Sub unit	Category of Post	Total Post	Post filled	Post Vacant
	CEO	1	1	0
	General Manager	1	0	1
Client Service Deptt	Studio Coordinator	1	0	1
	Client Services Executive/Service Coordinator	3	0	3
Creative Department	Creative Head	1	0	1
	Visualiser	1	0	1
	Creative Executive	1	0	1
	Copy writer	2	0	2
	Graphic Designer	2	2	0
	Proof Reader	1	0	1
	DTP Operator	3	0	3
Media Department	Media Head	1	0	1
	Media Manager	1	1	0
	Media Executive	1	0	1
	Media Planner	2	0	2
Publishing Wing	Copy writer	2	0	2
	Reporter	2	0	2
	Editor/Publication incharge	1	1	0
	Asst Editor	1	0	1
	Video Editor	1	1	0
	Media Fellow	2	0	2
	Media Intern	5	0	5
Social Media Wing	Social Media Manager	1	1	0
	SM Executive	2	0	2
	Creative Director	1	1	0
AccountantHR Deptt.	Manager (Finance +HR+Nodal)	1	1	0
	FD Accts. Funcitonary	1	1	0
	HR Executive	0	0	0
	Nodal Executive	2	0	2
	Accounts Executive	1	0	1
	Asstt. Programmer	1	0	1

	Executive Assistant	2	2	0
	Account Assistant	8	3	5
	Data Entry Operator	15	7	8
	MTS	4	3 MTS	1
		75	25	50

The Governing Council approved creation of 23 new posts and abolition of 10 existing posts subject to post facto approval of Hon'ble Lt. Governor for creation of posts and initial appointments thereon. It also approved taking of one more Account Officer on deputation from the Finance Department.

The posts in Shabdarth shall, however, continue to be filled up purely on need basis and only through deputation or contract or outsourcing from M/s ICSIL/NICSI or other Govt. agencies.

AGENDA No. 9/5/2017-18:

Resolution no. 38/2017

Revision in wages of Accounts Assistant, hired from M/s ICSIL:

The Governing Council discussed the agenda item in detail and approved paying Rs. 21000/- p.m to the Account Assistants and Rs. 27000/- p.m. to those having atleast 05 years' experience and with working knowledge of Tally w.e.f. 01.4.2017.

AGENDA No. 10/5/2017-18:

Resolution no. 39/2017

Ex post facto approval of payment to Sh. M Shakeel Ahmed (Consultant, Jamia Milia Islamia)

The Governing Council considered the agenda item and granted ex-post facto approval of the payment of Rs. 12, 225/- to Sh. M Shakeel Ahmed.

AGENDA No. 11/5/2017-18:

Resolution no. 40/2017

Taking staff on Deputation (Media Manager, Social Media Manager, Manager HR and General Manager):-

The Governing Council resolved that shabdarth should strive to fill up its posts instead of seeking deputation from Delhi Government. Further deputation should not be restricted to DIP officers and attempt should be made to select people on deputation by giving it wide publicity.
— Resolution no. 41

Agenda No. 12/5/2017-18

Grant of Honorarium to Shabdarth Officers and Staff

Principal Secretary, Finance informed that grant of honorarium is not admissible. The Governing Council resolved to bring the matter to the next meeting with the Finance Department's order/guidelines on honorarium.

Table Agenda The Chairman, Governing Council presented an e mail received from Sh. Sanjay Ghose, regarding WP NO. 5886/17 matter of subh-e-inquilab Vs, Govt. of NCT of Delhi. Hon'ble Chief Secretary suggested that we should await the order of Hon'ble High Court before discussing the matter in the Governing Council.

Hon'ble Chairman decided that matter be brought in the next meeting of Governing Council.

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

CEO (Shabdarth)
Member Secretary

Copy to:

1. Hon'ble Dy Chief Minister/Chairperson of Governing Council.
2. Chief Secretary/Vice Chairperson of Governing Council.
3. Pr. Secretary (Finance)/Member of Governing Council.
4. Secretary (PR)/Member of Governing Council
5. Sh. Durbar Ganguly, Member of Governing Council, Farm No.13, Palm Beach Road, Fateh Pur Beri, Mehrauli, New Delhi-74.
6. Sh. Manish Sinha, Member of Governing Council, MF 15, Eldeco Mansionz, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon.

Copy for necessary action to:

1. Sh. K C Belwal, Manager (Finance)
2. Sh. Chander Mohan, Manager (HR-Nodal)
3. Sh. Chandan Kumar, I.O/ Media Manager
4. Sh. Amit Kumar, I.O

CEO (Shabdarth)/
Member Secretary

152. क्या **माननीय उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की प्रचार एजेंसी शब्दार्थ से कितने पदों का सृजन किया गया;

(ख) इनमें से कितने पदों पर भर्ती हुई और कितने पद खाली हैं;

(ग) शेष पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना एवं प्रचार विभाग में कितने लोग इस एजेंसी में किस स्थिति में कार्यरत हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री: (क) सरकार की प्रचार एजेंसी शब्दार्थ की संचालन समिति की पाँच बैठकों में हुए निर्णयों के अनुसार कुल 76 पद सृजित किए गए हैं;

(ख) कुल 76 में से 28 पदों पर भर्ती हुई है तथा 48 पद खाली हैं; और

(ग) शेष पदों पर भर्ती का कार्य नियमानुसार प्रक्रियाधीन है;

(घ) सूचना एवं प्रचार निदेशालय के तीन अधिकारी निदेशालय के कार्य के अतिरिक्त शब्दार्थ एजेंसी में निम्न स्थिति में कार्यरत हैं:—

मीडिया हैड एक (01)

मीडिया मैनेजर दो (02)

153. श्री संजीव झा : क्या **माननीय उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सूचना प्रचार निदेशालय में निदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति से भरा जाना होता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि निदेशक, सूचना एवं प्रचार का पद तकनीकी पद है, जिसकी योग्यता और अहर्ताएं प्रचार–प्रसार पृष्ठभूमि की होनी चाहिए;

(ग) निदेशक, सूचना एवं प्रचार के पद के लिए बने भर्ती के नियम कब बने, किसकी सहमति से बने;

(घ) क्या आईएएस अधिकारियों की तैनाती के समय इस पद पर उनकी पत्रकारिता से संबंधित इस पद के लिए योग्यताओं और अहर्ताओं को ध्यान में रखा जाता है; और

(ङ) निदेशक सूचना एवं प्रचार के भर्ती नियमों की प्रति उपलब्ध करें?

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति सेवा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है;

(ख) इस पद के वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार निदेशक, सूचना एवं प्रचार का पद तकनीकी है और जब इस पद को प्रतिनियुक्ति पर अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है तो उसके लिए योग्यताओं और अहर्ताओं में प्रचार–प्रसार की पृष्ठभूमि एक अनिवार्य योग्यता है;

(ग) ये भर्ती नियम 23 मार्च 1982 को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के तत्कालीन प्रशासक की सहमति से अधिसूचित किए गए थे;

(घ) सेवा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ये अधिकारी अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले हैं तथा इन्हें दिल्ली सरकार के विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी व गैर–तकनीकी विभागों में नियुक्त किया जा सकते हैं; और

(ङ) प्रति संलग्न है?

DELHI ADMINISTRATION, DELHI

Dated the 23 March, 1982

NOTIFICATION

No. F. 2(34)/81-S. II - In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 24/78/68—II (S), dated the 24th September, 1968, the Administrator of the Union Territory of Delhi, and after prior consultation with Union Public Service Commission, is pleased to make rules in the Schedule here to annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Director (Information & Publicity) in the scale of Rs. 1500-1800 in the Directorate of Information & Publicity, Delhi Administration, Delhi.

2. The Administrator is further pleased to order that the recruitment rules as laid down in the Schedule here to annexed, shall come into effect and operation only from the date the post of Director (Information and Publicity) in accordance with the said rules is filled up and , until such the new recruitment rules, come into effect, the recruitment rules for the post of Director, in the Directorate of Information and Publicity, Delhi Administration, Delhi in the scale of Rs. 1100-1600 as notified at serial No.1 of this Administration's Notification No. F. 2(60)/70-S.II/ Vol.II, dated the 12th September, 1977 shall continue to remain in force as if the new recruitment rules have not been framed.

By order and in the name
of the Administrator of
the Union Territory of Delhi.

Signed.
DEPUTY SECRETARY (SERVICES)
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

No. F. 2(34)/ 81- S.II

Dated the 23 March. 1982

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

- Secretary, Union Public Services Commission, New Delhi with reference to Shri Jagopeta's letter No. F. 3/24D(II)/83-RR dated the 10th December 1981 (4 copies).

DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY: DELHI ADMINISTRATION, DELHI

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS(Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6-a-	7
Director Subject to variation depended to on workload	*1 (1981)	General Central Service Group 'A' gazetted non-Ministerial	Rs.1600-1800	N.A.	Not exceeding 45 years (Relaxable upto 8 years for Government servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (other than these in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	No.	Essential: 1. Degree of a recognized University or equivalent with English and Hindi/Urdu as a compulsory/optional subject. 2. 10 years journalistic experience in responsible capacity in a newspaper/ news- agency of a standing or equivalent experience of publicity and public relations work in a Government Department or commercial Publicity Organization. 3. Familiarity with the requirement of various publicity media. Note 1: Qualifications are Relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to scheduled castes and scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruit whether by direct Rectt. Or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. By promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8.	9.	10.	11.	12.	13.
N.A.	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation 1. Officers from the Central / State Governments and Union Territories. a) holding analogues posts or b) with 3 years service in posts in the scale of Rs.1300-1700 pre-revised or equivalent or c) with 5 years service in posts in the scale of Rs.1100-1600 or equivalent and 2. Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 4 years.)	Group 'A' DPC (for considering confirmation) 1. Chief Secretary – Chairman 2. Secretary concerned in the Administration-Member. 3. Head of Department concerned unless he is ex-officio secretary in the administration-Member. Note :- The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission Consultation with Union Public Service Commission necessary while amending/ relaxing any of the provisions of these rules.

							requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** Degree / Diploma in Journalism of a recognized University / Institution or equivalence.

154. श्री संजीव झा : क्या **माननीय उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की नीतियों और कल्याण–योजनाओं को प्रचारित करने में सूचना एवं प्रचार विभाग (डीआईपी) की क्या भूमिका है;

(ख) क्या संबंधित विभाग के मंत्री की स्वीकृति के बिना सूचना एवं प्रचार विभाग कोई प्रेस वक्तव्य जारी कर सकता है;

(ग) 14 फरवरी, 2015 के बाद से सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा प्रचार हेतु कितनी पहल कदमियां की गई; और

(घ) क्या संबंधित मंत्री द्वारा विधिवत् स्वीकृति लेने के बाद भेजी गई किसी विज्ञापन सामग्री को सूचना एवं प्रचार विभाग मना कर सकता है?

माननीय उप–मुख्यमंत्री: (क) निदेशालय सरकार की नीतियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करता है। निदेशालय संबंधित विभाग की ओर से विज्ञापन प्रस्ताव मिलने पर तय मानकों (एस.ओ.पी.) और माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार करता है;

(ख) सरकार की सभी प्रेस विज्ञाप्ति/वक्तव्य संबंधित विभाग के मंत्री अथवा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् जारी होते हैं;

(ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार; और

(घ) जी नहीं। निदेशालय संबंधित विभाग की ओर से विज्ञापन प्रस्ताव मिलने पर तय मानकों (एस.ओ.पी.) और माननीय उच्चतम न्यायालय

के सरकारी विज्ञापनों संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विज्ञापन सामग्री का विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार करता है;

विज्ञापन सामग्री के तय मानकों (एस.ओ.पी.) और माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप न होने की स्थिति में उसे सक्षम प्राधिकारी के पास पुर्नविचार के लिए भेज दिया जाता है। विज्ञापन सामग्री के उपरोक्त तय मानकों पर सही होने के बाद निदेशालय विज्ञापन को जारी कर देता है।

155. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए पुस्तकालय खोलने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) विभिन्न अकादमियों द्वारा कितने पुस्तकालय कहाँ–कहाँ चल रहे हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ग) यह सत्य है कि प्राईवेट भूमि पर भी लाइब्रेरी खोलने पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) ग्राम सभा की जमीन या डीडीए की भूमि पर पुस्तकालय खोलने की क्या प्रक्रिया है?

माननीय कला संस्कृति एवं भाषा मंत्रीः (क) विभाग के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है। नया पुस्तकालय खोलने हेतु विभाग द्वारा एनजीओ/आरडब्ल्यूए को रु. 1,03,000/– व उसके बाद संचालन हेतु प्रति वर्ष रु. 40,000/– दो समान किश्तों में दिए जाते

हैं, जिसमें से 70: किताबें व समाचार पत्र खरीदने हेतु व 30: सैलरी पर खर्च किया जाना चाहिए। नया पुस्तकालय खोलने के लिए कोई भी एनजीओ/आरडब्ल्यूए आवेदन कर सकता है परन्तु सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के विधायक की संस्तुति आवश्यक है, पुस्तकालय में कम से कम 30 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, समाचार पत्र, मैगज़ीन आदि रखने कि व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली–पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए व साफ–सफाई का प्रबंध भी होना चाहिए। पैंटर्न ऑफ असिस्टेंस की प्रति संलग्न है।

इसके अतिरिक्त हिंदी अकादमी भी पुस्तकालय खोलने के लिए योगदान करती है। संस्था जिसके पास भवन की व्यवस्था (बिजली पानी) तथा स्थानीय विधायक से प्रस्ताव पास कर अकादमी के कार्यालय में भिजवाने के उपरांत अकादमी की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत पुस्तकालय खोला जा सकता है;

(ख) **हिंदी अकादमी:** हिंदी अकादमी द्वारा 12 पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है। सूची इस प्रकार है:

1. मदन मोहन मालीय सन्दर्भ पुस्तकालय, हिंदी अकादमी मुख्यालय, पदम् नगर, किशन गंज, दिल्ली–110007।

2. हिंदी प्रसार केंद्र, लखनऊ रोड, मंडल कार्यालय, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

3. हिंदी प्रसार केंद्र, आर्य समाज मंदिर, नरेला, दिल्ली।

4. हिंदी प्रसार केंद्र, सी–1/10, नगर निगम कार्यालय के समीप, कृष्णा नगर, दिल्ली।

5. हिंदी प्रसार केंद्र, सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला परिसर, हरिसिंह पार्क, नई मुल्तान नगर, दिल्ली।

6. हिंदी प्रसार केंद्र, पॉकेट बी एंड ई ब्लॉक, समुदाय भवन, दिलशाद गार्डन, दिल्ली।

7. हिंदी प्रसार केन्द्र, जिला कारागार, रोहिणी, दिल्ली।

8. हिंदी प्रसार केंद्र, एम.सी.डी. समुदाय भवन, समीप मृगनयनी चौक, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली।

9. हिंदी प्रसार केंद्र, समुदाय भवन मेहराम नगर, पालम, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली।

10. हिंदी प्रसार केंद्र, नंगली सकरावती, आनंद विहार, दिल्ली।

11. हिंदी प्रसार केंद्र, जिला कारागार, मंडोली, दिल्ली।

सिंधी अकादमीः अकादमी के कार्यालय, सी.पी.ओ. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में एक पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है।

उर्दू अकादमीः अकादमी के कार्यालय, सी.पी.ओ. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में एक पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है।

संस्कृत अकादमीः अकादमी द्वारा प्लाट नं. 5, झंडेवालान, करोड बाग में संस्कृत पुस्तकालय संचालित किया जाता है।

पंजाबी अकादमीः सूची संलग्न है।

मैथिली–भोजपुरी अकादमीः मैथिली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली का एक मात्र पुस्तकालय है जो कार्यालय परिसर आपूर्ति भवन, आराम बाग, नई दिल्ली–110055 में ही है;

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानमः प्रतिष्ठान के कार्यालय प्लाट नंबर 5, झंडेवालान, करोल बाग, नई दिल्ली में एक पुस्तकालय संचालित है।

(ग) और (घ) विभाग के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत इस विभाग द्वारा पुस्तकालय स्थापित नहीं किया जाता अपितु नया पुस्तकालय खोलने हेतु विभाग द्वारा एन. जी.ओ./आरडब्ल्यूए को रु. 1,03,000 व उसके बाद संचालन हेतु प्रति वर्ष रु. 40,000/– दो समान किश्तों में दिए जाते हैं। नया पुस्तकालय खोलने के लिए कोई भी एनजीओ/आरडब्ल्यूए आवेदन कर सकता है परन्तु संबंधित विधान क्षेत्र के विधायक की संस्तुति आवश्यक है।

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

ART, CULTURE & LANGUAGE DEPARTMENT

THE PATTERN OF ASSISTANCE OF GRANT-IN-AID TO NGOs FOR OPENING OF LIBRARY IN ALL ASSEMBLY CONSTITUENCIES UNDER PLAN HEAD.

Preamble

With a view to inculcate the reading habits amongst the public in general and younger population in particular amongst the weaker section of the society. The Govt. of NCT of Delhi decided to provide library facilities in all Assembly Constituencies. Under this scheme, minimum 1 library and maximum 2 libraries are required to be provided in each of 70 constituencies of Delhi Legislative Assembly under the Bhagidari Scheme. The NGOs who are associated with the Scheme are required to provide sufficient accommodation for 30 readers at a time and also for display of Newspapers, Magazines, Periodicals etc. The NGOs are also required to provide furniture and fixture according to the need of the readers. It is also ensured that there are healthy and hygienic conditions for the readers in the library.

1. **Terms & Conditions of Opening of Libraries:**

(a) These Rules will govern the grant-in-aid to NGOs registered under Societies Registration Act, 1860.

(b) Each application for opening of Library shall be submitted by the NGO along with letter of recommendation of the concerned MLA of the area in which the library is proposed to be opened.

(c) Time limit for receiving applications for opening new libraries and release of GIA will be 30th September, 2002 in prescribed Performa.

2. **The society will provide accommodation for opening a library where;**

a) One room of adequate size to accommodate minimum 30 readers at a time is made available.

b) Sufficient space for display of newspapers, journals, magazines etc. is also available.

c) Cross-ventilation with proper healthy and hygienic condition is available

d) Proper arrangements of electricity should be there, so that it could be used In all seasons and weathers.

3. **Quantum of Grant:**

The Grant-in-aid to the NGOs shall be as under in any financial year subject to availability of funds:-

a) In the first year, each NGO will be sanctioned grant-in-aid @ Rs.1.03 lakh in two equal installments. 40% of the grant is to be spent on furniture and fixture and 40% to be spent on reading material, newspapers, magazines and remaining 20% will be spent for honorarium to staff. In the subsequent years, each NGO will be sanctioned grant-in-aid upto Rs.40,000/- per year in two equal installments out of which 70% will be spent for purchase of magazines and New papers and the remaining 30% will be spent for honorarium of staff. The above mentioned funds will be sanctioned subject to availability of funds.

b) In any year, the level of grant will not exceed the budget allotment for NGOs as sanctioned by the Govt. of N.C.T. of Delhi including the revised budget allocation if any and will be utilised against items/schemes that already stand approved by the Govt. of N.C.T. of Delhi.

c) For expenditure on new items/schemes/any unforeseen items prior approval of Govt. of N.C.T. of Delhi will be necessary.

d) The books and furniture for the libraries may also be supplied by the Govt. of NCT of Delhi under the centrally sponsored scheme of "Raja Ram Mohan Rai Library Foundation" for setting up libraries.

4. Applications for Grants:

Application for grant in prescribed Performa shall be submitted to the Language Department with the following documents: -

i) A utilization certificate in respect of grants received during the previous year.

ii) An audited statement of accounts for previous financial year giving full details of itemwise expenditure.

iii) A brief note on the programmes of activities for the current year as well as previous year's activities.

iv) Similarly, applications for grants for the purchase of equipment/furniture should contain complete details of the equipment/furniture desired to be purchased together with full justification, estimates of cost and the existing stock position.

v) Any proposed new items of expenditure should be specifically brought to notice so that necessary approval of the Govt. of N.C.T. of Delhi may be obtained.

vi) Any suppression of facts, mis-statement, false and misleading information furnished to the Language Department will, besides such other action as may be deemed appropriate, render the NGO's ineligible for further grant and liable to refund the grant secured on such basis earlier.

5. General Conditions for sanction of Grants:

All grants sanctioned under these rules shall be subject to the following terms conditions:-

i) Before a grant is sanctioned, NGOs shall satisfy the Government, about its aims and objects, financial conditions and satisfactory performance during the preceding year. Its accounts will be open for inspection by any officer as may be authorised in this behalf by Govt. of N.C.T. of Delhi.

ii) Govt. of NCT of Delhi will not bear any responsibility/liability in respect of staff employed by NGOs.

iii) The NGO shall refund the grant to the Government in case of Government of NCT of Delhi is satisfied that the NGO is not maintaining efficiently or the grant is not utilized for the purpose for which it was sanctioned.

iv) The NGO if closed or becomes defunct within one year of the receipt of the grant, shall refund the whole or such part of the grant, as may be determined by the Govt. of N.C.T. of Delhi.

v) The grant, if not actually released, may be reduced, withheld or withdrawn in case the Govt. of N.C.T. of Delhi is satisfied that there has been breach or non-fulfillment of any of the conditions laid down in these rules.

vi) The assets created by the NGO out of the amounts received as grant-in-aid from the Govt. of India or Govt. of N.C.T. of Delhi shall not be transferred, sold, mortgaged or otherwise disposed off without the prior approval of the granting authority.

vii) Grants for subsequent years will not ordinarily be sanctioned unless the utilisation certificates of previous grants had/have been duly submitted by the institution and they have been duly accepted by the Language Department after verification.

viii) Any dues from the grantee under these rules shall be recoverable as arrears of land revenue.

ix) The NGO shall exercise all possible economy in the working especially in respect of expenditure out of the grants received from Govt. of N.C.T. of Delhi / Govt. of India.

6. **Audit:**

All grants shall be subject to the General Financial Rules, 1963 as amended from time to time and they shall be subject to audit by the Examiner, Local Fund Accounts, Govt. of N.C.T. of Delhi. The cost of such audit shall be borne by the concerned NGO.

7. **Execution of Bond:**

Before a grant is released, each NGO shall be required to execute a bond to the President of India to say that, it will abide by the conditions of the grant and in the event of its failing to comply with these conditions or committing a breach of the bond, the grantee will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the grant with interest thereon the sum specified under the bond.

PROFORMA-I

PROFORMA FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR RELEASE OF GRANT-IN-AID FOR NEWLY OPENED PUBLIC LIBRARIES BY NGOs

1	Name of the NGO	:	
(i)	Address of the NGO	:	
(ii)	Telephone No.	:	
(iii)	Whether Registered under Societies Act, 1860, if yes, Registration No.		
(iv)	Registration No.	:	
2	Particulars of the installment 1st or 2nd	:	
3	Quantum of Grant-in-Aid applied for (break up will strictly follow the instructions given in the Pattern of assistance approved by the finance department)	:	
(i)	Honorarium to the staff	:	
(ii)	Furniture/Fixture	:	
(iii)	Newspaper & Magazine	:	
(iv)	Other expenditure	:	
(v)	No. of Books already available	:	
(vi)	List of Newspapers and Magazines already subscribed	:	
(vii)	Detail of Staff	:	
(viii)	Details of the Furniture available with the NGO	:	
4	Documents/Certificate required as per Pattern of assistance.	:	
(i)	Progress Report	:	
(ii)	No. of Visitors/Readers(Monthly)	:	
(iii)	Utilization Certificate for the previous year in GFR 19A	:	

E:\V P Sharma\PROFORMA for New Libraries.docE:\V P Sharma\PROFORMA for New Libraries.doc

(iv)	Expenditure incurred on libraries in previous financial years (a) Total (b) (b) NGOs own contribution (c) GIA contribution	:	
(v)	Audited statements of accounts for releases upto previous year	:	
(vi)	Unspent balances upto last year's releases	:	
(vii)	Whether unspent balance has already been adjusted/credit yet to be adjusted		
(viii)	Observation of audit upto the last year	:	
(ix)	Comments of Grantee-institution on audit observations	:	
5.	Up-to-date expenditure incurred during this year, with details.	:	
6.	Remarks	:	

Note: The Financial breakup will follow the guide linens prescribed in the Pattern of Assistance approved by the Finance Department.

....
Signature and Stamp of the Head of the Institution

Name..
Tel. No..
Address..
....
....
....
....

दिल्ली सरकार में पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित संयुक्त पुस्तकालयों का विवरण

क्रम स	जिला उत्तरी	जिला दक्षिणी	जिला पूर्वी	जिला पश्चिमी	जिला केन्द्र
1	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर प्रताप नगर,दिल्ली-110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर पन्त नगर, नई दिल्ली-110014	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर प्रदा बाग,दरियांगज, दिल्ली -110022	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर रामेश्वरी नेहरु नगर, नई दिल्ली-110005	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टरगली चांदी वाली पहाड़गंज, नई दिल्ली -110055
2	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर गुड मंडी, दिल्ली-110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर डी.डी फैल्टस गोविन्द पुरी,कालका जी नई दिल्ली -110019	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर दुजाना हाऊस,मटिया महल, दिल्ली -110006	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर तिलक विहार, तिलक नगर नई दिल्ली -110018	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर चमेलियन रोड नई दिल्ली -110006
3	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर चन्द्रावल कमला नगर, दिल्ली-110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर, किलोकरी नई दिल्ली -110014	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैम्टर तुर्कमान गेट दिल्ली -110006	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए मार्किट काम्पलैक्स 1040, शिवाजी एन्कलेव नई दिल्ली -110027	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर सोहनगंज,आर्य पुरा नई दिल्ली
4	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर कटरा मौला बक्स रोशना रोड दिल्ली-110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर सनलाईट कालोनी नई दिल्ली-110014	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर सुन्दर नंगरी नियर नंद नगरी, दिल्ली -110093	संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम प्रताप नगर,हरी नगर नई दिल्ली -110064	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर मुकीम पुरा नई दिल्ली -110007
5	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर चन्द्रशेखर आजाद कलोनी, दिल्ली-110007	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर निजामुद्दीन,ईस्ट दिल्ली -110013	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर मुकेश नगर,शाहदरा दिल्ली -110032	संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम ,हरी नगर नई दिल्ली -110064	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर राम बाजार मोरी गेट दिल्ली
6	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर एस. डब्ल्यु सी मंगोलपुरी, दिल्ली-110083	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर दक्षिण पुरी नियर विराट सिनेमा नई दिल्ली -110062	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर गली शहतारा अजमेरी गेट, दिल्ली-110006	संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम,हरी एन्कलेव,(हरी नगर) नई दिल्ली -110027	
7	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर सुलतान पुरी,दिल्ली-41	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर गढ़ी गांव नियर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-24	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर गली समोसान,फराश खाना , दिल्ली -110006	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर न्यु रंजीत नगर नई दिल्ली-110008	
8	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर डी सी रिलीफकैम्प ज्वालापुरी,दिल्ली-110041	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली -110003	संयुक्त पुस्तकालय गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा,पांडव नगर, दिल्ली	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर ओल्ड रंजीत नगर नई दिल्ली-110008	
9	संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर प्रेम नगर, नई दिल्ली	संयुक्त पुस्तकालय, डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर पिलंजी गावं, नियर सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023		संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए कम्युनिटी सैन्टर रैगरपुरा, करोल बाग नई दिल्ली-110005	
10	संयुक्त पुस्तकालय गुरुद्वाराश्रीगुरु सिंह सभा जी. टी. बी. नगर, किंग्सवे कैम्प दिल्ली-110009	संयुक्त पुस्तकालय ,जे जे कलोनी कुसुमपुर पहाड़ी, वसंत विहार, नई दिल्ली-110022			

156. क्या **माननीय कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी में साहित्य कला परिषद् का एक थिएटर बंद पड़ा है;

(ख) इसके बंद होने का क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या इस थिएटर को फिर से शुरू करने की योजना है;

(घ) यदि हां तो कब से;

(ङ) इस थिएटर का सालाना बजट क्या है; और

(च) 1 जनवरी, 2016 से आज तक कितना बजट इस थिएटर पर खर्च हुआ?

माननीय कला संस्कृति एवं भाषा मंत्रीः (क) जनकपुरी में साहित्य कला परिषद् का एक लघु प्रेक्षागृह है (133 क्षमता), जिसमें कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते गत् एक वर्ष से कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पा रहा है;

(ख) निम्नलिखित तकनीकी समस्याओं के कारण प्रेक्षागृह का परिचालन नहीं हो पा रहा है:—

1. स्टेज लाइट खराब है;
2. वातानुकूलन प्रणाली खराब है;
3. एक स्पीकर काम नहीं कर रहा है;
4. जेनरेटर व इसकी पूरी वायरिंग को बदलने की आवश्यकता है;

5. बिजली का लोड सैंक्शन 25KW से बढ़ाकर 50KW करने की आवश्यकता है;

6. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है;

(ग) प्रेक्षागृह का परिचालन पुनः प्रारम्भ करवाने हेतु इसकी सभी तकनीकी समस्याओं को ठीक करवाने के लिए परिषद् की ओर से DSIIDC को पत्र लिखा गया है;

(घ) उपरोक्त अनुसार;

(ङ) इस थिएटर का वर्ष 2018–19 का बजट रु. 60.00 लाख है।

(च) 1 जनवरी, 2016 से प्रेक्षागृह पर बजट निम्नानुसार खर्च हुआः–

1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च 2016 – रु. 49.77 लाख

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 – रु. 40.47 लाख

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 – रु. 1.19 लाख

157. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय उप–मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संगम विहार (वजीराबाद) में डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा अत्यावश्यक कार्य पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त कॉलोनी में मुख्य सड़क शेष गलियों से तीन फिट ऊँची हो गयी है,

(ग) इस विषमता को दूर करने की सरकार की क्या योजना है,

(घ) यह कार्य कब तक संपन्न कर दिया जायेगा।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः (क) प्रारंभ में दिल्ली जल बोर्ड के सीवर के स्थिति पत्र के अंतर्गत कॉलोनी में 03 वर्ष बाद सीवर का कार्य होना था, जिसके एवं शहरी विकास विभाग के दिशा निर्देशों के अंर्तगत डी.एस.आई.आई.डी.सी. के द्वारा आर.एम.सी. की सड़कों का प्रावधान लिया गया। यह कार्य जून 2016 में अवार्ड किया गया। जब इस कार्य के अंतर्गत भराव, नालियाँ इत्यादि का कार्य हुआ, उसी बीच दिल्ली जल बोर्ड के पत्र द्वारा डी.एस.आई.आई.डी.सी. को सूचित किया कि कॉलोनी में सीवर का कार्य अप्रैल 2018 से शुरू होने की उम्मीद है। इसी कारण आर.एम.सी. का कार्य रोका गया और पेवर टाइल का टेंडर लगाया गया। परन्तु दिल्ली जल बोर्ड के सीवर का कार्य जल्दी शुरू होने की वजह से पेवर टाइल के कार्य का टेंडर कैंसिल किया गया। जिसके लिए क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री पंकज पुष्कर ने भी अनुरोध पत्र लिखा। जिसका पत्र संलग्न है।

(ख) शहरी विकास विभाग दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन सड़कों को 05 साल पूरे हो गये थे उनको Estimate में लिया गया था और उसी अनुसार बनाया गया। जसकी वजह से वो गलियाँ एवं सड़कें नीची रह गई, जिनके 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे।

(ग) यह कॉलोनी अब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है। अतः इसका कार्य अब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करेगा।

(घ) इस प्रश्न का उत्तर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित है।

पंकज पुष्कर
सदस्य, दिल्ली विधानसभा
तिमारपुर, विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

PANKAJ PUSHKAR
Member, Delhi Legislative Assembly
Timarpur Constituency
National Capital Territory of Delhi

Ref. ...VAC 03/DSIIDC/0652

Dated. 12-1-2018

सेवा में,

चीफ इंजिनीयर महोदय,
डीएसआईडीसी, दिल्ली सरकार.

विषय : विधानसभा तिमारपुर के संगम विहार (वजीराबाद) में डीएसआईडीसी द्वारा पेवर टाइल वर्क आर्डर के अनौचित्य के सम्बन्ध में.

महोदय,

1) विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर में संगम विहार (वजीराबाद) कॉलोनी में सड़क और नाली निर्माण कार्य डीएसआईडीसी द्वारा 14.6.2016 को शुरु हुआ जिसे 13.4.2017 तक पूर्ण होना था.
2) तमाम सावधानियों और चेतावनियों के बाद भी यह कार्य बहुत धीमी गति से हुआ. इससे स्थानीय जनता को अभूतपूर्व तकलीफ का सामना करना पड़ा.
3) इस पूरे क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड प्रोजेक्ट द्वारा सिविल लाइन डालने का कार्य होना है. इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हुआ. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन कर दिए जाने के अनुपालन में दिल्ली जल बोर्ड ने संगम विहार में सीवर डालने का काम 10 जनवरी को शुरू कर दिया. उक्त कार्य को लगभग 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा.
4) इस बीच डीएसआईडीसी ने अपना टेंडर एम-10 के बाद फॉर-क्लोज कर दिया.
डीएसआईडीसी ने सड़कों पर पेवर टायल डालने के लिए लगभग सवा दो करोड़ रुपए का एक नया टेंडर दर से फ्लोट किया. मैंने 15 मई 2017 को डीएसआईडीसी को पत्र लिखा था कि मानसून (जुलाई से सितंबर) के संकट से पहले यह काम किया जाये. लेकिन वर्तमान स्थिति में संगम विहार में पेवर टायल डालने का कोई औचित्य नहीं बचता. चूंकि दिल्ली जल बोर्ड ने 3 महीने का समय मांगा है तो उसके बाद सीसी रोड बनाना वांछित होगा.
6) लेकिन इसी बीच मुझे सूचित न करते हुए डीएसआईडीसी द्वारा पेवर टायल का वर्क आर्डर कर दिया गया. ऐसे में पेवर टायल डालना साधनों का अपव्यय होगा. मेरी संस्तुति है कि उक्त वर्क आर्डर को कैंसल किया जाए.

CHIEF ENGINEER-I
Dy. No. 132
Date 15/1/18
D.S.I.I.D.C.

→ Put up in file.
The work was delayed due to laying of water line simultaneously.
15/1/18

सादर,

पंकज पुष्कर

1397
15/1/18

Office: 2662, Hudson Lane, Sri Guru Teg Bahadur Nagar, Ph. No. 011-47528885
E-Mail: ...pushkar@gmail.com Mb.No. 8882225066; 9990784128

158. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा गांव टिकरी कलां, दिल्ली–41 में बनाए जा रहे फ्लैटों की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) क्या डी.एस.आई.आई.डी.सी. व अन्य संबंधित प्राधिकरण गांव टिकरी कलां, दिल्ली–41 में बनाए जा रहे फ्लैटों से संतुष्ट है।

(ग) क्या कभी टिकरी कलां, दिल्ली–41 में बनाए जा रहे फ्लैटों के काम का गुणवत्ता की दृष्टि से किसी विभाग ने निरीक्षण किया है,

(घ) क्या यह सत्य है कि टिकरी कलां, दिल्ली–41 में बन रहे फ्लैटों में निर्माण की गुणवत्ता बहुत खराब है,

(ङ) यदि हां, तो इन फ्लैटों के निर्माण के लिए उत्तरदायी किसी भी विभाग के विरुद्ध सरकार/समिति ने क्या कार्रवाई की है,

(च) इन फ्लैटों का निर्माण करने वाली कम्पनी/कम्पनियों की सूचि उपलब्ध कराए?

माननीय उद्योग मंत्री: (क) डीएसआईआईडीसी द्वारा टीकरी कला में बनाए जा रहे फ्लैटों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

1. 4560 फ्लैटों का कार्य 34.7 प्रतिशत हुआ है;

2. 2720 फ्लैटों का कार्य 57.75 प्रतिशत हुआ है;

3. 3020 फ्लैटों का कार्य 41.20 प्रतिशत हुआ है; और

(ख) कार्य की प्रगति असंतोषजनक है।

1. 4560 फ्लैटों के कार्य का ठेका 22/12/2016 को निरस्त कर दिया गया है;

2. 2720 एवं 3020 फ्लैटों का कार्य जुलाई 2017 से ठेकेदार द्वारा बिना कारण बन्द है। इस संदर्भ में ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है;

(ग) जी हां, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त एम.एस.वी. इंटरनेशनल एवं डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा नियुक्त श्री राम इंस्टीट्यूट फोर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ने समय–समय पर कार्य के गुणवत्ता का निरीक्षण किया है;

(घ) यह सत्य नहीं है;

(ङ) उत्तर 'घ' के पश्चात् यह लागू नहीं; और

(च) कम्पनियों की सूचीः–

1. 4560 फ्लैट–

मैंसर्स, सुप्रीम इन्फ्राटेक्चर इंडिया लिमिटेड
सुप्रीम हाउस, प्लॉट नं. 94/सी प्रतापगढ़ आई.आई.टी.
मुम्बई के सामने, पोवाई, मुंबई–400076;

2. 2720 फ्लैट–

मैसर्स, पान्धे इन्फ्राकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
157/सी, रेलवे लाईन्स, सोलापुर–413001, महाराष्ट्र; और

3. 3020 फ्लैट–

मैसर्स, पान्धे इनफ्राकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
157/सी, रेलवे लाईन्स, सोलापुर–413001, महाराष्ट्र।

159. सुश्री राखी बिड़ला : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 25 गज से भी छोटी मकानों में विभिन्न प्रकार की छोटी–छोटी फैक्ट्रियां उद्योग विभाग के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं;

(ख) इस तरह की गतिमान फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की क्या योजना विचारधीन है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करें;

(घ) वर्ष 2010 से लेकर अब तक मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा किन अधिकारियों की देखरेख में कुल कितने बार ऐसे उद्योगों पर छापेमारी/निरीक्षण दौरे हुए, पूर्ण विवरण उपलब्ध करें;

(ङ) क्या वर्तमान में उद्योग विभाग द्वारा ऐसी फैक्ट्रियों को रोकने के लिए मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाने की क्या कोई योजना है; और

(च) यदि हां तो पूर्ण विवरण उपलब्ध करें?

माननीय शहरी विकास मंत्री: (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** इस प्रकार का कोई भी सर्वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फैक्ट्री लाईसेंस विभाग द्वारा नहीं किया गया है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

फैक्ट्री लाईसेंस विभाग संज्ञान में जब भी कोई अनाधिकृत औद्योगिक गतिविधियां आती हैं तो उस के उपर डी.एम.सी. एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाती है जैसे बिजली, पानी काटना एवं सील करना;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'ख' के अनुसार

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली निगम के फैक्ट्री लाईसेंस विभाग द्वारा समय–समय पर अपने अधीनस्थ आने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करता रहता है और यदि कोई अनाधिकृत गतिविधि चलती पायी जाती है तो उसके विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाती है;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

160. श्री संजीव झा : क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिग्नेचर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव कब पास हुआ था;

(ख) इसे बनाने का ठेका किस कम्पनी को दिया गया;

(ग) इसकी प्रारम्भिक अनुमानित लागत कितनी थी;

(घ) कितनी बार इसकी अनुमानित लागत को बढ़ाया गया, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) इसको कब तक बनाकर तैयार किए जाने का प्रस्ताव था;

(च) इसको पूरा किए जाने की अनुमानित तारीख को कितनी बार बढ़ाया गया, विस्तृत विवरण क्या है;

(छ) ब्रिज को तैयार करने में किस किस विभाग की क्या भूमिका है, जिम्मेदारी का विवरण उपलब्ध करें;

(ज) इसे बनाने का प्रस्ताव पारित होने से अब तक इन विभागों के प्रमुख अधिकारियों की सूची व कार्यावधि का विवरण क्या है; और

(झ) कितनी बार समय पर भुगतान न मिलने के कारण इसका निर्माण कार्य बाधित हुआ है, इसका विस्तृत विवरण दें?

माननीय पर्यटन मंत्रीः (क) दिल्ली सरकार की ओर से प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग व दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम की ओर से मुख्य अभियन्ता के मध्य 27 अगस्त 2004 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के पश्चात् सिग्नेचर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को डिपोजिट वर्क के रूप में दिया गया;

(ख) इसे बनाने का ठेका Pre-qualified ठेकेदारों से मांगी गयी निविदा के आधार पर Gammon-Construtora Cidade-Tensaccai की संयुक्त उद्यम कम्पनी को फरवरी 2010 में दिया गया था;

(ग) इसकी प्रारम्भिक अनुमान 459 करोड रूपये का 20.03.2006 को दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। परंतु उस वक्त प्रारम्भिक अनुमान एक साधारण सेतु के अनुसार तैयार किया गया था जो कि बाद में एक विशेष सेतू में परिवर्तित हो गया था।

(घ) इसकी अनुमानित लागत तीन बार बढ़ाई गई–

1. पुल के डिजाइन में बदलाव के कारण 29.01.2008 को 887.29 करोड़ रूपये की स्वीकृति दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई। अप्रोच रोड्स का कार्य जून 2008 में अवार्ड किया गया था।

लेकिन पुल की आमंत्रित निविदा राशि स्वीकृत अनुमान के प्रावधान से अधिक थी इसके कारण ठेका नहीं दिया जा सका। तथा निविदा

की राशि के अनुसार संशोधित अनुमान दिल्ली सरकार को प्रेषित किया गया;

2. 26.02.2010 को 1131.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई। इसके उपरान्त मुख्य ब्रिज का कार्य अवाई किया गया;

3. अक्टूबर 2017 को 1575.00 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान दिल्ली सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है;

(ङ) सिग्नेचर ब्रिज को वर्ष 2010 में दिये गये ठेके के अनुसार दिसम्बर 2013 तक तैयार करने का प्रस्ताव था;

(च) कार्य पूरा करने हेतु तीन बार अनुमानित तारीख बढ़ाई गई।

1. दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2015,

पूर्वी छोर में जंगल हटाने हेतु अत्याधिक देरी से अनुमति मिलना;

2. दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2017

बुनियाद पी–23 में भूवैज्ञानिक जांच के पश्चात् विपरीत स्थिति का होना, जिसके समाधन हेतु कूप नीव (वैल फाउंडेशन) का पुनः डिजाइन करना पड़ा। इसके लिए चट्टान में 1200 मि.मी. के बोर करने हेतु विदेश से आवश्यक मशीनों का आयात करना व असाधारण तकनीकी कार्य को करना;

3. दिसम्बर 2017 से अक्तूबर 2018 (वित्तीय मंजूरी में देरी के कारण) वास्तव में शेष कार्य पूरा करने के लिए संशोधित अनुमान की सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात् लगभग चार महीने लगेंगे। किन्तु ये चार महीने की अवधि धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है;

(छ) ब्रिज को तैयार करने हेतु निम्नलिखित विभाग जिम्मेदार है–

1. लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार–प्रशासनिक विभाग;
2. डी.टी.टी.डी.सी. – निर्माण हेतु;
3. वित्तीय विभाग, दिल्ली सरकार – धनराशि उपलब्धता हेतु;
4. दिल्ली विकास प्राधिकरण – भूमि उपलब्धता हेतु; और
5. पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार – वन हटाने के अनुमति हेतु।

(ज) सूची परिशिष्ट–क पर संलग्न है; और

(झ) जब तक 1131 करोड़ की स्वीकृत राशि उपलब्ध थी, तब तक यानि फरवरी 2017 तक कार्य सुचारू रूप से चलता रहा लेकिन उसके पश्चात् संशोधित स्वीकृति व पर्याप्त धनराशि की जरूरत हेतु कार्य की गति धीमी हो गई है।

परिशिष्ट–क

LIST OF HEAD OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT,

GOVT. OF NCT OF DELHI

	PERIOD			
	From	To	Name of the Officer	
	2004	08.10.2006	Ms. Naini Jayaseelan	
	09.10.2006	30.06.2009	Mr.J.K.Dadu,	
	01.07.2009	19.04.2011	Mr.Dharmendra	
	20.04.2011	02.05.2012	Mr. Keshav Chandra	
	03.06.2012	30.06.2012	Mr. K.S.Mehra	
	10.07.2012	31.07.2015	Mr.Sanjiv Kumar	
	01.09.2015	28.03.2016	Mr. Ashwani Kr.	
	16.06.2016	12.04.2017	Mr. Chandrakar Bharti	
	13.04.2017	11.12.2017	Mr. Keshav Chandra	
	12.12.2017	Till Date	Mr.Anil Kr.Singh	

LIST OF HEAD OF THE DELHI TOURISM & TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORPORATION LTD.,

	PERIOD			
SN	From	To	Name of the Officer	Designation
1	2004	14.12.2005	Mr. Ramesh Negi	MD & CEO
2	14.12.2005	31.12.2007	Mr. Sanat Kaul	CMD
3	01.01.2008	20.01.2009	Ms. Sumati Mehta	CMD
4	20.01.2009	31.07.2009	Mr.P.K.Tripathi	CMD
5	31.07.2009	26.11.2010	Ms. Reena Ray	MD & CEO
6	26.11.2010	02.05.2011	Dr.Sharat Chauhan	MD & CEO
7	02.05.2011	30.11.2013	Mr. G.G.Saxena	MD & CEO
8	01.12.2013	17.12.2013	Mr. Amit Yadav	MD & CEO
9	18.12.2013	20.01.2014	Mr. Gyanesh Bharti	MD & CEO
10	21.01.2014	06.03.2014	Mr. Sanjiv Kumar	MD & CEO
11	07.03.2014	22.09.2014	Mr. Puneet Kumar Goyal	MD & CEO
12	23.09.2014	14.06.2015	Mr. Ramesh Tiwari	MD & CEO
13	15.06.2015	30.09.2015	Mr. Z.U.Siddiqui	MD & CEO
14	30.09.2015	05.11.2015	Mr. Keshav Chandra	CMD
15	06.11.2015	01.04.2016	Ms. Saumya Gupta	MD & CEO
16	01.04.2016	10.07.2016	Ms.Padmini Singla	MD & CEO
17	11.07.2016	22.10.2017	Mr.S.P.Singh	MD & CEO
18	23.10.2017	Till date	Mr. Shurbir Singh	MD & CEO

LIST OF PR. SECERTARY (FINANCE), Govt. of NCT of Delhi

	PERIOD			
	From	To	Name of the Officer	
	April, 2005	November, 2009	Shri V.V.Bhat	
	November,2009	14.02.2011(VRS)	Shri J.P.Singh	
	13.04.2011	31.12.2012	Sh.D.M. Spolia	
	January, 2013	01.10.2013(VRS)	Sh. Shakti Sinha	
	01.10.2013	17.12.2013	Ms. Archana Arora (Addl.Charge)	
	17.12.2013	30.12.2013	Dr.M.M.Kutty	
	30.12.2013	16.01.2014	Ms. Archana Arora (Addl.Charge)	
	16.01.2014	18.12.2014	Dr.M.M.Kutty	
	18.12.2014	31.12.2016	Ms.Shakuntala Gamlim	
	01.01.2015	11.07.2016	Shri S.N.Sahai	
	11.07.2015	18.07.2016	Shri Dharmendra Sharma	
	18.07.2015	10.05.2018(FN)	Shri S.N.Sahai	
	11.05.2018		Ms. Renu Sharma (Addl.Charge)	

LIST OF HEADS OF THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT,

GOVT. OF NCT OF DELHI

	PERIOD		
	From	To	Name of the Officer
			Ms. P.M. Singh
			Ms. B. Prasad
			Mr. Rakesh Mohan
			Mr. K.S. Mehra
			Mr. K..K.Sharma
			Mr. Nutan Guha Biswas
	October, 2012	January, 2013	Mr. Rakesh Bihari
	January, 2013	May, 2015	Mr. Arun Baroka
	May, 2015	December, 2015	Mr. Chetan B.Sanghi
	February, 2016	August, 2016	Mr. S.K.Srivastava
	September, 2016	November, 2017	Mr. Ashwani Kumar
	November, 2017	May, 2018	Ms. Renu Sharma
	18th May, 2018	Till date	Mr. Manoj Kumar Parida

161. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी के दिल्ली हाट की दुकानों के किराए ज्यादा होने के कारण दुकानें खाली पड़ी हैं;

(ख) दिल्ली हाट को चलाने की क्या योजना है, विस्तार से बताएं;

(ग) इसके नव निर्मित ऑडिटोरियम की अब तक की बुकिंग का पूर्ण विवरण दें;

(घ) दिल्ली हाट में कार पार्किंग का ठेका कितने में उठा और इस पार्किंग का क्या अग्रीमेंट है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली हॉट का एक भाग लीज पर दिया गया है;

(च) यदि हाँ, तो इसकी लीज की कॉपी, दी गई जगह का ब्यौरा और पार्किंग एग्रीमेंट की कॉपी दें; और

(छ) जनकपुरी में नारंग कॉलोनी के साथ पर्यटन विभाग के प्रस्तावित कॉफी होम के निर्माण की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय पर्यटन मंत्रीः (क) पर्यटन विभाग की इकाई दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार—

यह सत्य है कि दिल्ली हाट जनकपुरी में कई दुकानें खाली हैं लेकिन इनके खाली रहने का कारण अधिक किराया नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा अन्य संबंधित वस्तुओं की मांग कम होना है;

दुकानों का वर्तमान किराया मात्र रु. 400/– प्रतिदिन प्रति स्टाल है जिसमें बिजली का खर्च भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अलग से 18% जी.एस.टी. है;

(ख) दिल्ली हाट जनकपुरी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए डीटीटीडीसी कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है;

दिल्ली हाट को दिल्ली के लोगों के बीच लोक प्रिय बनाने के लिए दिल्ली हाट में कई मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें शर्बत उत्सव, ती उत्सव, आजादी उत्सव, पर्यटन दिवस, गणेश चतुर्थी, दिवाली मेला, क्रिसमिस फैस्टिवल, नये साल का जश्न, बागवाणी उत्सव और पंजाबी महफिल प्रमुख हैं। इसके अलावा डीटीटीडीसी अपना एक महत्वपूर्ण मेला 'आम उत्सव' जनकपुरी दिल्ली हाट में आयोजित करता है। जिससे इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया जा सके;

यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए डीटीटीडीसी और कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जनकपुरी दिल्ली हाट में किया जाता है।

यहाँ पर अधिक से अधिक कला व शिल्प प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए डीटीटीडीसी ने विकास आयुक्त हैंडीक्राफ्ट, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। जिनके अनुसार 5 जनवरी से 14 जनवरी 2018 के बीच एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।

दिल्ली हाट को आम लोगों के बीच प्रचलित करने के लिए, डीटीटीडीसी, दिल्ली हाट जनकपुरी के साथ वाले एक खाली प्लाट को विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लीज पर देने पर विचार किया जा रहा है;

कई प्रसिद्ध फूड चेन को दिल्ली हाट में अपने फूड स्टाल खोलने के लिए आमंत्रित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

कई इवैंट एजेन्सीज को एम्पीथियेटर और प्रदर्शनी हॉल के भरपूर इस्तेमाल के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

पिछले साल एक वातानूकूलित ऑडीटोरियम को शुरू किया गया है, जिसको लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। कई इवैंट एजेंसिज, स्कूलों, कॉलेजों, मार्केटिंग कम्पनियों, सामाजिक व सांस्कृतिक संसीओं की ओर से इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है;

(ग) ऑडिटोरियम की अब तक की बुकिंग का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(घ) दिल्ली हाट में पिछला कार पार्किंग का ठेका दिनांक 1.10.2015 प्रथम वर्ष के लिए 2,25,000/– रुपए प्रति माह और द्वितीय वर्ष में 2,48,000/– रूपये में दिया गया था और इस पार्किंग के अग्रीमेंट की कॉपी परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है;

अब 1 जून 2018 से नया पार्किंग का ठेका 3,11,987/– रूपये प्रति माह पर दे दिया गया है;

(ङ) हाँ यह सत्य है कि दिल्ली हाट का एक भाग लाईसेंस पर प्राईवेट संस्था को दिया गया है;

(च) लीज की कॉपी परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है तथा दी गयी जग का ब्यौरा इस प्रकार है:–

1. Fine Dining Restaurant Area - 225 Sq. meter Carpet area

2. Terrace for open sitting - 231 sq. meters,

3. Private Service Court - 11.5 Sq. meters

4. Banquet Area Open - 2133 Sq. Meters;

(छ) डीटीटीडीसी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस भूमि पर व्यावसायिक स्तर पर कार्य करने के लिए आवेदन किया था। व्यावसायिक स्तर पर कार्य करने के लिए अधिगृहित भूमि की नियम एवं शर्तें दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्रतिक्षारत है।

162. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(ख) क्या यह सत्य है कि पर्यटकों की संख्या में कमी आई है,

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार की पालम, द्वारका, मटियाला विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से योजना विचाराधीन है?

माननीय पर्यटन मंत्रीः (क) राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के अन्तर्गत दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि. के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों एवं कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं,

1. पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना दिल्ली, कलकत्ता एवं चेन्नई में की गई है;

2. दिल्ली में तीन स्थानों– आईएनए, पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट बनाए गए हैं;

3. एडवेंचर गतिविधियां जिनमें नौकायन और एडवेंचर पार्क शामिल हैं;

4. पर्यटकों और आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि. नियममित रूप से अपने दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज, तुगलकाबाद में वर्ष भर सांस्कृतिक एवं हैरिटेज कार्यक्रमों का आयोजन करता है;

5. पर्यटक संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है;

6. दिल्ली पर्यटन स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए टूर पैकेज, एयर टिकटिंग और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा भी प्रदान करता है;

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि. द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियाँ परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं;

(ख) दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि. पर्यटकों की संख्या संबंधित डाटा का रख–रखाव नहीं करता;

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नही होता; और

(घ) पर्यटन संबंधित योजनाएं, राज्य स्तर पर तैयार की जाती हैं, न कि विधान सभा क्षेत्र स्तर पर। विधान सभा क्षेत्र के अनुसार कोई थी योजना बनाना संभव नहीं है। योजनाएँ पर्यटक स्थल, संभावित पर्यटक सुविधाओं और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। इसके अंतर्गत डी.टी.टी.डी.सी. ने छावला और कांगन हेडी प्रोजेक्ट मटियाला विधान सभा क्षेत्र में विकसित किये हैं।

परिशिष्ट:क

राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तत्वाधान में वर्ष 1975 में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि0 की स्थापना की गई थी।

बहुआयामी भूमिका के रूप में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लि0 दिल्ली में पर्यटकों के लिए नोडल एजेंसी है और यह दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही है।

विस्तृत रूप सें निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–
1) पर्यटन संबंधी जानकारी का प्रसार करना।
2) पर्यटन संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देना
3) मनोंरजक सुविधाएं प्रदान करना।
4) पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे का विकास।
5) पर्यटन के हेतू प्रशिक्षिण।

दिल्ली पर्यटन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक सेवाएं पर्यटको और दिल्लीवासियों को प्रदान करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां इस प्रकार है:–

क) पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है। ये सूचना केंद्र– नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, घरेलू हवाई अड्डा, दिल्ली हाट–आईएनए, केंद्रिय आरक्षण कार्यालय, बाबा खड़गसिंह मार्ग, क्नॉट प्लेस, कोलकत्ता और चेन्नई में स्थित है।

ख) पर्यटक संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है। दिल्ली पर्यटन स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए टूर पैकेज देना, एयर टिकटिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा भी प्रदान करता है।

ग) दिल्ली में तीन स्थानों – आईएनए, पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट बनाए गए है। जो खरीदारी और विभिन्न भारतीय व्यंजनों का स्वाद, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और लोककला के विस्तार का मुख्य केंद्र है।

घ) एडवेंचर गतिविधियां :

दिल्ली पर्यटन निम्नलिखित स्थानों पर नौकायन सुविधा प्रदान करता है:–
1 कृषि भवन (बोट क्लब)
2 मानसिंह रोड़, इंडिया गेट
3 भलस्वा झील
एक एडवेंचर पार्क मयूर विहार में बनाया गया है जहां विभिन्न सॉफ्ट एडवेंचर गतिविधियां उपलब्ध है।

ड.) सांस्कृतिक पर्यटन
पर्यटकों और आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए दिल्ली पर्यटन नियमित रूप से अपने दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में वर्षभर सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन करता है।

- नेचर बाजार की स्थापना भी की गई है जहां पर स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते है।
- प्रमुख वार्षिक आयोजनों में गार्डन टूरिज़्म फेस्टिवल, आम महोत्सव, पतंग महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस आदि शामिल है।

च) विरासत (हैरिटेज) पर्यटन

शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान करने के लिए इंटेक और दिल्ली वॉक के साथ मिलकर रिक्शा टूर, नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली और मैहरोली में साइकिल टूर का आयोजन किया गया था।

अन्य गतिविधियां

- दिल्ली सरकार की ओर से विषय आधारित कैलेंडर और डायरी का प्रकाशन।
- पर्यटकों के बीच निःशुल्क वितरण हेतू प्रचार साहित्य सामग्री का प्रकाशन।
- दिल्ली हाट आईएनए में कलाम स्मारक।
- विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जैसे– राज्य शिक्षक पुरस्कार, दिल्ली में जीएसटी परिषद सदस्यों के लिए रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- दिल्ली हाट जनकपुरी में 800 व्यक्तियों की क्षमता वाला वातानुकुलित ऑडिटोरियम।
- दिल्ली हाट आईएनए में अंतर्राष्ट्रीय **गणमान्य व्यक्तियों** को प्रदत सुविधाएं।
- दिल्ली पर्यटन की वेबसाइटस और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से दिल्ली का ब्रांड के रूप में प्रचार।
- दिल्ली को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में पुरस्कृत करने वालों में मुख्य प्रकाशन जैसे– Conde Nast India, Lonely Planet और मुख्य संस्थाएंः– विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, पब्लिक रिलेशंस कॉनसिल ऑफ इंडिया शामिल है।

163. श्री नितिन त्यागी : क्या **माननीय श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द को हटाकर बदली शब्द का प्रयोग करने हेतु दिनांक 10.10.2007 को एक गजट नोटिफिकिशन जारी किया गया था;

(ख) क्यार सरकार द्वारा पुनः 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द को ही बहाल कर दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसको बहाल करने की तिथि क्या है;

(घ) क्या कुछ कंपनियाँ दिनांक 10.10.2007 की अधिसूचना के बाद भी 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द का प्रयोग अपने रोजगार अनुबंधों में कर रही थीं; और

(ङ) 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द का दुरुपयोग करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

माननीय श्रम मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) जी हाँ;

(ग) इसको बहाल करने की तिथि 16 मार्च, 2018 है;

(घ) श्रम विभाग के दक्षिण–पश्चिम जिला में मैसर्स स्काई गोरमेंट कंपनी द्वारा 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉमेंट' शब्द का वर्ष 2007 के बाद भी प्रयोग किया गया, जो कि औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के विपरीत था। इसके अलावा इस विषय में अब

तक कोई भी मामला श्रम कार्यालय, दिल्ली सरकार के संज्ञान में नहीं आया है; और

(ङ) मैसर्स स्काई गोरमेंट के प्रबंध निदेशक/निदेशक के विरुद्ध माननीय मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा चालान लगाया गया है।

164. **श्री महेन्द्र गोयल** : क्या **माननीय श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने लेबर कार्ड बनाए गए सभी का विवरण उपलब्ध किया जाये;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए; और

(ग) लेबर कार्ड धारक बनने की क्या प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची क्या है?

माननीय श्रम मंत्री: (क) निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण का आंकड़ा विधानसभा के अनुसार एकत्रित नहीं किया जाता है। यह आंकड़ा जिला अनुसार बनाया जाता है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का विवरण इस प्रकार है–

1. प्रसूति लाभ (नियम 271)– मातृत्व लाभ 30,000/– रु. (केवल दो बच्चों तक);

2. गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (नियम 271) (क)– रु. 3,000/– (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से);

3. पेंशन (नियम 273)– 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन रु. 3,000/– प्रति माह एवं रु. 300/– की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता–एक वर्ष की सदस्यता);

4. मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम (नियम 274)– रु. 3,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता– दस वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। रु. 5,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता– पंद्रह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर);

5. अक्षमता पेंशन (नियम 275)–

रु. 3,000/– प्रति माह (पात्रता पंजीकरण की तिथि से)।

6. अपंग (नियम 275) हो जाने पर रु. 1,00,000/– तक की अनुग्रह राशि (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से);

7. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276)– रु. 20,000/– (पात्रता–एक वर्ष की सदस्यता);

8. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान (नियम 276 (क))– (5 वर्ष में एक बार) रु. 5,000/– (पात्रता–);

9. श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता (नियम 277) रु. 10,000/– (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से);

10. मृत्यु लाभ का भुगतान (नियम 278)– श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रितों को रु. 1,00,000/– का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से);

11. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता (नियम 280)–

चिकित्सा सहायता अधिकतम रु. 2,000/– तक की राशि पहले दिन से पांच दिन तक एवं रु. 200/– अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पालस्ट्र के लिए रु. 10,000/– तक की राशि (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से);

12. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता– (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से तक एक वर्ष से अधिक सदस्यता)।

(i) कक्षा– 1 से 8 तक रु. 500/– प्रति माह;

(ii) कक्षा– 9 से 10 तक रु. 700/– प्रति माह;

(iii) कक्षा– 11 से 12 तक रु. 1000/– प्रति माह;

(iv) स्नातक स्तर रु. 3,000/– प्रति माह;

(v) आई.टी.आई. पाठ्यक्रम रु. 4,000/– प्रति नाह;

(vi) एल.एल.बी. (पाँच वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 4,000/– प्रति माह;

(vii) पॉलिटैकनिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम रु. 5,000/– प्रति माह;

(viii) एल.एल.बी. (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 3,000/– प्रति माह;

(ix) इंजीनियरिंग, मेडिसन, एम.बी.ए. जेसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रु. 10,000/– प्रति माह; और

(x) दूरस्थ शिक्षा/ओपन लर्निंग स्कूल/कॉलेज/प्राईवेट अध्ययन और मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज/संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में– नियमित अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत। यह वित्तीय सहायता किसी भी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए केवल एकबारगी दी जाएगी।

13. विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282)– स्वयं एवं बचचों विवाह (केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता– (पात्रता– तीन वर्ष की सदस्यता):–

(क) पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर रुपये 51,000/–;

(ख) पंजीकृत पुरुष सदस्य के विवाह पर रुपये 35,000/–;

(ग) पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर रुपये 51,000/–;

(घ) पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर रुपये 35,000/–; और (नियम 282)

14. पारिवारिक पेंशन– पेंशनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1,000/– इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता– एक वर्ष की सदस्यता);

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से);

16. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना (नियम 283 (A)) (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से);

17. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापना करना (नियम 283 (A)) (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से);

18. पंजीकृत श्रमिकों को उपयोगिता की वस्तुऐं उपलब्ध कराना (नियम 283 (B)) (पात्रता– एक वर्ष की सदस्यता); और

(ग) लेबर कार्ड धारक बनने की प्रक्रिया की आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलगित अनुलंग्नक 'क' में दिया गया है।

ANNEXURE- A

PROCESS FOR REGISTRATION OF CONTRACTION WORKER & THE REQUIRED DOCUMENTS

Documents/Fees required for the above services:-

a) Application form for registration in Form No. XXVII
b) Age proof- Any certificate/document (like voter identity card, ration card, driving license etc) issued by any government agency in the support of the age of applicant. In the absence of any of the above documents, an affidavit by the worker, mentioning his/her age/date of birth, duly attested by the Notary Public.
c) Employment certificate for 90 days employment in construction sector (Employer/Trade Unions/ Assistant Labour Commissioner)
d) Local address proof –Anyone from the following documents shall be considered for local address proof.

1.	Ration card with photo
2	Bank /Post Office Pass Book with Photo
3	Water Bill
4	Electricity Bill
5	Land Line Telephone Bill of MTNL
6	Voters identity Card
7	Valid Driving License with Photo
8	Aadhar Card issued by Unique identification Authority of India
9	Passport issued by government of India
10	Income Certificate issued by Divisional Commissioner/Deputy Commissioner/ SDM, etc of Government of NCT of Delhi
11	Property /House Tax Receipt
12	Sale deed of Property Registered in the Office of Sub registrar Delhi
13	Rent agreement registered in the office of Sub registrar Delhi
14	90 days employment certificate issued by the employer/contractor in respect of employed worker.
15	90 days employment certificate issued by the registered Construction Worker Union in respect of labour chowk workers.

e) Permanent address proof(UID/Voter ID)
f) Bank Account details
g) Mobile number
h) 2 Passport size photographs
i) Registration fees Rs. 5/-(once at the time of Registration) and annual contribution Rs. 20/-

P.T.O.

A. NEDUNCHEZHIYAN
Secretary
DBOCWW BOARD

-2-

PROCESS FOR REGISTRATION OF CONSTRUCTION WORKERS

Steps performed internally for the service
• Receipt of application by Board Staff in concerned district • Diary & entry of application in excel format and issuance of provisional receipt • Forwarding to the verifying office (IO/LO) of the concerned district
• Verification / Checking of documents by verifying officer (IO/LO) of the concerned district. • If documents are not in order, informing short comings to workers. • If documents are found to be in order, forwarding the same to the approving officer/ DLC through LO/ALC of the concerned district.
• Approval by approving officer/ DLC
• Information and deposition of the requisite contribution amount by the worker i.e. Rs.25/- (Rs. 20/- annual contribution + Rs. 5/- registration fee) and issuance of receipt for contribution & registration fee.
• Printing of Pass Book by Board staff in the concerned district.
• Issuance of Pass Book to the worker.

A. NEDUNCHEZHIYAN
Secretary
DBOCWW BOARD

अनुलंगन "क"

निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण लिए आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया

1. उपर्युक्त सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज / शुल्क

क) फॉर्म संख्या XXVII में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

ख) आयु प्रमाण - आवेदक की आयु के समर्थन में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाण पत्र / दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)। उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी एक की अनुपस्थिति में, कार्यकर्ता द्वारा शपथ पत्र, उसकी उम्र / जन्म तिथि का उल्लेख, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित।

ग) निर्माण क्षेत्र में 90 दिनों के रोजगार के लिए रोजगार प्रमाण पत्र (नियोक्ता/ट्रेड यूनियन / सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी)

घ) स्थानीय पता प्रमाण - स्थानीय पते प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी माना जाएगा।

1. फोटो के साथ राशन कार्ड फोटो के साथ
2. बैंक / डाकघर पास बुक (फोटों के साथ)
3. जल / पानी का बिल
4. बिजली का बिल
5 टेलीफोन का बिल
6 मतदाता पहचान पत्र (फोटो के साथ)
7 मान्य / वैध ड्राइविंग लाइसेंस
8 आधार कार्ड
9 पासपोर्ट (भारत सरकार द्वारी जारी)
10 दिल्ली सरकार के विभागीय आयुक्त / उप आयुक्त / एस डी एम आदि द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (संभागीय आयुक्त)
11 संपत्ति / हाउस कर रसीद
12 उप रजिस्ट्रार दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत संपत्ति की सेल डीड
13 उप-पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत किराया अनुबंध
14 नियोजित श्रमिक के संबंध में नियोक्ता / ठेकेदार द्वारा जारी 90 दिन रोजगार प्रमाण पत्र।
15 श्रम चौक श्रमिकों के संबंध में पंजीकृत निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा जारी 90 दिन रोजगार प्रमाण पत्र

ड) स्थायी पता प्रमाण (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र)

च) बैंक खाता विवरण

झ) मोबाइल नंबर

ज) 2 पासपोर्ट आकार की फोटो

i) पंजीकरण शुल्क रु 5 / - (पंजीकरण के समय एक बार) और वार्षिक योगदान रु 20/-

निर्माण श्रमिकों की **पंजीकरण प्रक्रिया**

2. **प्रक्रिया**:-

- संबंधित जिले में बोर्ड स्टाफ द्वारा आवेदन की प्राप्ति
- आवेदन की प्रविष्टि व दिनांक और अस्थायी रसीद
- संबंधित जिले के निरिक्षण अधिकारी / श्रम अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करना
- संबंधित जिले के अधिकारी निरिक्षण अधिकारी / श्रम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि / जांच।
- यदि दस्तावेज़ों में कमी है तो श्रमिक को उस कमी के बारे में सूचित करना
- दस्तावेजों के सही पाये जाने पर सम्बंधित जिले के निरिक्षण अधिकारी / श्रम अधिकारी द्वारा पास करके उप श्रमायुक्त को भेजना
- अनुमोदन अधिकारी / उप श्रमायुक्त की स्वीकृति
- श्रमिक द्वारा अपेक्षित योगदान राशि 25 / - (रुपये 20 / - वार्षिक योगदान + रुपये 5 / - पंजीकरण शुल्क) और योगदान व पंजीकरण शुल्क के लिए रसीद जारी करना।
- संबंधित जिले में बोर्ड कर्मचारियों द्वारा पास बुक का प्रिंटिंग।
- श्रमिक को पास बुक जारी करना।

A. NEDUNCHEZHIYAN
Secretary
DBOCWW BOARD

165. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय सामान्य प्रशासन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के 21 विधायकों पर लाभ के पद के चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो संबंधित विधायकों को लाभ के पद के चलते किन–किन चीजों में लाभान्वित किया गया, विस्तृत विवण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि संबंधित विधायकों को सरकार द्वारा सरकारी वाहन उपलब्ध कराया गया था;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित विधायकों को सरकार द्वारा सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया था; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित विधायकों द्वारा सरकारी कार्यालय के लिए कर्मचारी इत्यादि उपलब्ध कराया गया; और

(च) यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय सामान्य प्रशासन मंत्रीः (क) जी, नहीं। फिलहाल, मामला भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष विचाराधीन है;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं; और

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

166. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय प्रशासनिक सुधार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने आम नगारिकों को समयबद्ध सेवाऐं प्रदान करने का अधिकार देने वाले सिटीजन चार्टर को पूरी तरह दंतविहीन कर दिया है;

(ख) इसके अंतर्गत किन–किन विभागों द्वारा ई–गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को सेवाएँ प्रदान की जानी थी और कौन कौन से विभागों ने अभी तक सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया है;

(ग) दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर चैप्टर को अंतिम बार कब अपडेट किया गया;

(घ) सरकार में सिटीजन चार्टर और समयबद्ध सेवा प्रदशनार्थ नागरिक अधिकार विधेयक को नागरिकों तक पहुँचानें के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या विभागों द्वारा इसकी जानकारी के लिए अपने कार्यालय के बाहर प्रचार हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं?

माननीय प्रशासनिक सुधार मंत्रीः (क) जी नहीं;

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्व विभाग, खाद्य एवं संभरण विभाग, ऊर्जा विभाग (बी.एस.ई.एस. यमुना पॉवर लिमिटेड, बी.एस.ई.एस. राजधानी पॉवर लिमिटेड और टाटा पॉवर–डी.डी.एल.), श्रम विभाग एवं उच्च शिक्षा निदेशालय की 74 ई–गवर्नेंस सेवाएँ, ई–डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सरकार पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जाती हैं।

दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू हैं;

(ग) दिल्ली सरकार के विभाग समय–समय पर सिटीजन चार्टर को अपने स्तर पर अपडेट करते हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग समय–समय पर कार्यालय एवं विधि (O&M) निरिक्षण के अंतर्गत सिटीजन चार्टर के अपडेशन की जाँच करता है;

(घ) दिल्ली सरकार के सभी विभागों को समय–समय पर सिटीजन चार्टर को अपडेट करने और कार्यालय के बाहर प्रचार हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाने के दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं ताकि सिटीजन चार्टर और समयबद्ध सेवा प्रदनार्थ नागरिक अधिकार के संबंध में जानकारी नागरिकों को मिल सके; और

(ङ) जी, हाँ।

167. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा में बहुत तेजी से फास्टफूड की दुकानें खुल रही हैं;

(ख) क्या इन दुकानों को संबंधित विभाग द्वारा लाईसेंस दिया जा रहा है;

(ग) पालम विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में कितनी फास्टफूड, डेयरी, प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट आदि चल रहे हैं, वार्ड वाईज ब्यौरा दें;

(घ) बिना लाईसेंस के अनाधिकृत रूप से चल रही दुकानों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो ब्यौरा दें; और

(च) यदि नहीं तो कारण बताऐं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व डिस्ट्रिक्ट में बाँटा गया है और पालम विधानसभा का क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम जिला में है। प्रत्येक दिन औसतन 6–7 पंजीकरण/लाइसेंस के आवेदन दक्षिण–पश्चिम जिले से आते हैं।

(ख) जो दुकानदार खाद्य संरक्षा पंजीकरण/लाईसेंस के लिए ऑन–लाईन आवेदन करता है, उसे विभाग द्वारा पंजीकरण/लाइसेंस प्रदान किया जाता है;

(ग) विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व डिस्ट्रिक्ट में बाँटा गया है और पालम विधान सभा का क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम जिला में है, खाद्य विक्रेताओं को विभाग द्वारा तहसील/जिला स्तर पर पंजीकरण/लाईसेंस प्रदान किया जाता है। लाईसेंस/पंजीकरण का वर्गीकरण प्रश्नानुसार नहीं किया जाता है। दक्षिण–पश्चिम जिला में विभाग द्वारा जारी किए गए कुल पंजीकरण/लाईसेंस की संख्या निम्न प्रकार है–

जिला–दक्षिण–पश्चिम		
तहसील	लाईसेंस	पंजीकरण
द्वारका	1271	3195
कापसहेड़ा	232	310
नजफगढ़	372	1177

(घ) जी हाँ, बिना लाइसेंस के अनाधिकृत रूप से चल रही दुकानों को विभाग द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं;

(ङ) अभी तक उपर्युक्त क्षेत्र में कुल 10 दुकानदारों का कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं; और

(च) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।

168. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी गुटखा फैक्ट्रियां हैं,

(ख) उक्त फैक्ट्रियों के पते बताएं;

(ग) दिल्ली में खाद्य संरक्षा विभाग के क्या उत्तरदायित्व हैं;

(घ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में सभी आईसक्रीम इकाईयों, मिठाई की दुकानों, आटा चक्कियों, बेकरी फैक्ट्रियों की सूची उपलब्ध कराएं;

(ङ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 10.12.2015 के बाद से कितने छापे मारे गए हैं, संपूर्ण ब्यौरा दें;

(च) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी वॉटर फिल्टर प्लांटों, की कुल संख्या एवं उनके पते बताएं; और

(छ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 'वाटर प्लांटों' के विरुद्ध की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा दिल्ली क्षेत्र में गुटखा बेचना, बनाना व रखने पर रोक है, उक्त क्षेत्र में गुटखा की किसी भी फैक्ट्री को लाइसेंस नहीं दिया गया है;

(ख) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता;

(ग) खाद्य संरक्षा विभाग का लक्ष्य नागरिकों के लिए दिल्ली में स्वच्छ, पौष्टिक व मिलावट रहित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चत करना है। विभाग खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 विनियम 2011 के अनुसार कार्य करता है;

(घ) विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व डिस्ट्रिक्ट में बाँटा गया है और मुंडका विधान सभा क्षेत्र जिला पश्चिम में हैं तथा लाईसेंस/पंजीकरण का वर्गीकरण प्रश्नानुसार नहीं किया जाता है। जिला पश्चिम में विभाग द्वारा जारी किए गए कुल पंजीकरण/लाइसेंस की संख्या निम्न प्रकार है;

जिला–पश्चिम		
तहसील	लाईसेंस	पंजीकरण
पटेल नगर	1034	3619
पंजाबी बाग	1238	2559
राजौरी गार्डन	1886	4242

जिला पश्चिम में पंजाबी बाग तहसील में विभाग द्वारा 10.12.2015 से अब तक खाद्य पदार्थों के 70 नमूने जाँच के लिए उठाये गए हैं। ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है;

(ङ) विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में किसी भी वाटर फिल्टर प्लांट को लाईसेंस नहीं दिया गया है; और

(च) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।

Department of Food Safety

अनुलग्नक 'क'

SAMPLE DETAILS FOR Total No. Of Sample Taken from Date 10/12/2015 to Date 30/05/2018

S No.	DO Slip Number	Sample No	Date of Lifting	Commodity Name	Address From where Lifted	Sub Division	Comp No., If Any	Result
1	07/DO-21/9194	747/1030/11/2017	30/01/2017	Besan	730A PKT 2 PASCHIMPURI NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
2	07/DO-21/9193	747/1036/12/2017	30/01/2017	Tea Tea Premum	Shop No. 723 Pocket 2 Paschim Vihar New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
3	07/DO-12/9151	747/1038/56/2016	29/06/2016	CARBONATED FRUIT BEVERAGE	D 1/52 J J COLONY CAMP NO 2 NAGLOI DELHI	PUNJABI BAGH	0	Unsafe
4	07/DO-21/9336	747/1021/112/2016	28/12/2016	Prepared Paneer Masala	Plot No D District Center Paschim Vihar Outer Ring Road New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
5	07/DO-12/8666	747/1038/185/2015	28/12/2015	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel	Y 64 65 JANTA MARKET NAGLOI DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
6	07/DO-21/10414	747/1021/205/2017	28/08/2017	Prepared Mater	House No 377 Village Ghevra New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
7	07/DO-20/11146	747/1045/05/2018	28/04/2018	Toned Milk	RING ROAD WEST PUNJABI BAGH DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
8	07/DO-20/11452	747/1049/08/2018	28/04/2018	Full Cream Milk	SHOP NO-21 GF CENTRAL MARKET PUNJABI BAGH DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
9	07/DO-07/8951	747/1032/20/2016	28/04/2016	Kaju Katli	Y301 302 Sultanpuri Road Nangloi Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
10	07/DO-21/10295	747/1030/132/2017	27/06/2017	Channa or Paneer	12 INDER ENCLAVE ROHTAK ROAD DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
11	07/DO-21/9787	747/1030/48/2017	27/03/2017	Kuttu Ka Atta	WZ 9 SHOP NO 12 13 KRISHANA PLACE JWALAHERI MKT NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
12	07/DO-21/9779	747/1030/49/2017	27/03/2017	Kuttu Ka Atta	N 394 GURUHARKISHAN NAGAR PASCHIM VIHAR NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
13	07/DO-21/10080	747/1030/80/2017	26/04/2017	Channa or Paneer	19 NWA CLUB ROAD PUNJABI BAGH NEW DELHI 26	PUNJABI BAGH	0	Substandard
14	07/DO-21/10081	747/1030/81/2017	26/04/2017	Toned Milk	11A EXTION 3 MAIN ROHTAK ROAD NANGLOI NEW DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
15	07/DO-20/10922	747/1015/11/2018	25/01/2018	Tea	37 North west Punjabi Bagh New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
16	07/DO-20/10923	747/1015/12/2018	25/01/2018	Chhana and Paneer	27 North West Punjabi Bagh New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
17	07/DO-17/9148	747/1041/58/2016	24/08/2016	khoya burfi	pocket 2 chowk pashim vihar delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
18	07/DO-21/10296	747/1030/129/2017	23/06/2017	PISTA BURFI	A4 43 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
19	07/DO-21/10297	747/1030/130/2017	23/06/2017	Khoya	SHOP NO 6 7 8PLOT NO 40ARSS MALL PASCHIM VIHAR NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine

20	07/DO-20/11138	747/1015/66/2018	23/04/2018	Ghee	Khasara No 84/2 Udyog Nagar village Mundaka Delhi	PUNJABI BAGH	0	Unsafe
21	07/DO-21/10438	747/1032/166/2017	22/09/2017	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel	D-12 Madipur New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
22	07/DO-21/9762	747/1030/22/2017	22/02/2017	POORI	PLOT NO A 10 NILOTHI MORE SHIV RAM PARK NSNGLOI DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
23	07/DO-21/9763	747/1030/23/2017	22/02/2017	ALOO KI SABJI	PLOT NO A 10 NILOTHI MORE SHIV RAM PARK NSNGLOI DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
24	07/DO-12/8656	747/1015/01/2016	22/01/2016	Chillies and Capsicum OR Lal Mirch Powder	WZ 408 Madipur Village New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
25	07/DO-20/11137	747/1015/65/2018	21/04/2018	Toned Milk	116A Jwala Heri Market Paschim Vihar New Dlhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
26	07/DO-12/8655	747/1015/120/2015	20/12/2015	Subji	DSUIB Control Room Shakur Pur Near Punjabi Bagh Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
27	07/DO-07/8532	747/1038/180/2015	20/12/2015	PURI	KEPT AT DUSIB CONTROL ROOM SAKURBASTI DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
28	07/DO-21/9345	747/1036/08/2017	20/01/2017	BESAN	KH NO. 52/3/2 UDYOG NAGAR SWARN PARK MUNDKA DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
29	07/DO-21/10291	747/1030/122/2017	19/06/2017	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel	RZG 49 NIHAL VIHAR DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
30	07/DO-21/10292	747/1030/123/2017	19/06/2017	Plantation White Sugar OR Sugar	E1 98 SANI BAZAR ROAD SHIV RAM PARK DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
31	07/DO-20/11113	747/1036/31/2018	19/03/2018	Prepared Food	6/25 MOTI NAGAR NEW DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
32	07/DO-20/10774	747/1030/216/2017	18/10/2017	BESAN LADDOO	45 46 SWAYAM SIDHA COLONY NEAR SHIV MANDIR WEST PUNJABI BAGH NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
33	07/DO-21/10070	747/1030/71/2017	18/04/2017	MANGO DRINK	A 5 237 GF MAIN ROAD PASCHIM VIHAR NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
34	07/DO-21/10071	747/1030/72/2017	18/04/2017	Carbonated Water	A 5 10 LOWER BASMENT MAIN ROAD PASCHIM VIHAR NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
35	07/DO-12/8679	747/1014/08/2016	16/03/2016	Ghee	Khasra No. 64/4 and 64/5 Plot No. 29 Rohtak Road Mundka Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
36	07/DO-12/8383	747/1038/176/2015	14/12/2015	Turmeric OR Haldi Powder	Y 368 JANTA MARKET NAGLOI DELHI DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
37	07/DO-20/10784	747/1036/203/2017	14/11/2017	GINGER	38/2 JWALA HERI PASCHIM VIHAR NEW DELHI	PUNJABI BAGH	0	Unsafe

38	07/DO-07/8755	747/1038/05/2016	13/01/2016	VEGGIE CRUNCH PAN MED	A6/10 GROUND FLOOR PASCHIM VHAR NEW DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
39	07/DO-23/9252	747/1015/52/2016	12/09/2016	PASTA/ NOODLES WITH TASTEMAKER	Shop No 7 LSC Market DDA Market Paschim Vihar New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
40	07/DO-12/8851	747/1038/26/2016	12/04/2016	REFINED SOYABEAN OIL	SHOP NO G 105 SHIVAM TOWER DDA COMMERCIAL COMPLEX PASHCHIM VIHAR NEW DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
41	07/DO-12/8698	747/1038/25/2016	12/04/2016	Chillies and Capsicum OR Lal Mirch Powder	A 4 SHOP NO 22 DDA MARKET CSC PASHCHIM VIHAR NEW DELHI	PUNJABI BAGH	0	Genuine
42	07/DO-20/10793	747/1030/226/2017	11/12/2017	Dal Chana	M 113 GURU HAR KISHAN NAGAR OPP GH 14 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 87	PUNJABI BAGH	0	Misbranded
43	07/DO-20/10756	747/1044/136/2017	11/10/2017	Khoya	main rohtak road peera garhi chowk new delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
44	07/DO-20/10755	747/1036/181/2017	11/10/2017	Amla Juice	S.No. 15 F-5 DDA Market paschim Vihar Delhi	PUNJABI BAGH	0	Substandard
45	07/DO-20/10751	747/1036/182/2017	11/10/2017	SOAN PAPDI	Shop No. 4836 JJ Colony Nangloi New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
46	07/DO-21/10059	747/1030/65/2017	11/04/2017	HEN EGGS	SHOP NO 6 B4 DDA MKT PASCHIM VIHAR NEW DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
47	07/DO-21/10060	747/1030/66/2017	11/04/2017	HEN EGGS	1 2 SUNDER VIHAR PASCHIM VIHAR NEW DELHI 87	PUNJABI BAGH	0	Genuine
48	07/DO-21/10057	747/1030/63/2017	10/04/2017	Refined Sugar	M 113 GURU HARKISHAN NAGAR PASCHIM VIHAR NEW DELHI 87	PUNJABI BAGH	0	Genuine
49	07/DO-21/10058	747/1030/64/2017	10/04/2017	Refined Sugar	RR 29 MIANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR NEW DELHI 87	PUNJABI BAGH	0	Genuine
50	07/DO-21/10093	747/1030/88/2017	09/05/2017	MOON FALI DANA	12 RAJENDRA PARK MAIN ROAD NANGLOI NEW DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
51	07/DO-21/10429	747/1015/203/2017	08/08/2017	Toned Milk	RBI Colony J block DDA Market Paschim Vihar New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
52	07/DO-21/9758	747/1036/18/2017	08/02/2017	Kadi	C-6 Kavita Colony Kirari Road Nangloi Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
53	07/DO-21/9759	747/1036/19/2017	08/02/2017	Alu Ki Subzi	62 Kavita Colony Nangloi Delh	PUNJABI BAGH	0	Genuine
54	07/DO-20/10930	747/1032/22/2018	07/02/2018	Cow Milk	W 36/05 T HUTS Dairy wala Bagh Paschim Vihar Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
55	07/DO-21/9195	747/1021/19/2017	07/02/2017	Puri	Plot No 1A Khasra No 39/15 Vikash Vihar Nilothi Ext New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
56	07/DO-21/9756	747/1021/20/2017	07/02/2017	Aloo Sabji	Plot No 1A Khasra No 39/15 Vikash Nagar Nilothi Ext New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine

57	07/DO-21/9755	747/1021/21/2017	07/02/2017	Kadhi	Plot No 35 to 41 Khasra No 31/1 GF Shiv Ram Park Pole AT 64 Pole No 55 Nangloi Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
58	07/DO-20/10789	747/1030/225/2017	06/12/2017	Vegetable	AT PATRI NAZAFGARH ROAD OPP SURBHI VARTRA LOK NANGLOI DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
59	07/DO-12/8890	747/1044/17/2016	06/06/2016	BURFI	shop no 1 and 2 near mundka metro station delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
60	07/DO-21/10274	747/1030/108/2017	05/06/2017	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel	643 MUNDKA MORE VILLAGE DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
61	07/DO-21/10275	747/1030/109/2017	05/06/2017	Ghee	116A JWALA HERI MKT DELHI 63	PUNJABI BAGH	0	Genuine
62	07/DO-21/10092	747/1030/85/2017	05/05/2017	Turmeric OR Haldi Powder	3 NWA CLUB ROAD WEST PUNJABI BAGH NEW DELHI 26	PUNJABI BAGH	0	Genuine
63	07/DO-15/9217	747/1015/41/2016	04/08/2016	Rasgulla	GH 14Guru Harkishan Nagar Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
64	07/DO-17/9013	747/1044/15/2016	03/06/2016	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel	126 naresh park nangloi delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
65	07/DO-17/9014	747/1044/16/2016	03/06/2016	MUSTARD OIL	A 5 Qamruddin nagar shiv ram park nangloi delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
66	07/DO-20/11470	747/1060/10/2018	03/05/2018	Processed Cheese	15, SHIVAJI MARG, near Zakira Circle, New Delhi	PUNJABI BAGH	0	Misbranded
67	07/DO-21/10267	747/1030/106/2017	02/06/2017	Chillies and Capsicum OR Lal Mirch Powder	B1 UDYOG NAGAR PEERAGARHI DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
68	07/DO-21/10268	747/1030/107/2017	02/06/2017	Turmeric OR Haldi Powder	E2 UDYOG NAGAR PEERAGARHI DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine
69	07/DO-17/9104	747/1021/67/2016	01/08/2016	Khoya Ghevar	Y-301 Camp No 1 Sultan Puri Road Nangloi Delhi	PUNJABI BAGH	0	Genuine
70	07/DO-21/10265	747/1030/104/2017	01/06/2017	Chillies and Capsicum OR Lal Mirch Powder	D 9 UDYOG NAGAR PEERAGARHI DELHI 41	PUNJABI BAGH	0	Genuine

This site has been designed and hosted by NIC and the contents are provided by concerned departments. NIC will not be responsible for any inaccuracy in the data on this website.
For further information, please contact Department of Services, Govt. Of NCT of Delhi.

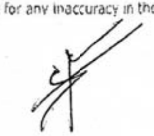

169. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय गुरुद्वारा चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय में इस समय कितने वोटर पंजीकृत है? इसका वार्ड अनुसार पूरा ब्यौरा दिया जाए;

(ख) वोटर कार्ड रिवीजन कितने समय में होना चाहिए;

(ग) पिछली बार वोटर लिस्ट का रिवीजन कब हुआ था व पुनः वोटर रिवीजन कब होगा;

(घ) क्या वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन की सुविधा है;

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है;

(च) यह सुविधा कब तक शुरू कर दी जाएगी;

(छ) आखिरी बार वार्ड की डी–लिमिटेशन कब व किस आधार पर हुई थी, वार्ड अनुसार पूर्ण ब्यौरा दिया जाए;

(ज) दिल्ली में गुरुद्वारा निदेशालय में कुल कितने दल रजिस्टर्ड हैं; और

(झ) पिछले चुनावों में कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, दल के अनुसार इसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाए?

माननीय गुरुद्वारा चुनाव मंत्रीः (क) दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय में इस समय 383561 वोटर पंजीकृत है। पूर्ण ब्यौरा निम्नानुसार हैः

1. वार्ड–1 (रोहिणी) – 10177
2. वार्ड–2 (स्वरूप नगर) – 9792
3. वार्ड–3 (सिविल लाइन्स) – 8167
4. वार्ड–4 (पीतमपुरा) – 7928
5. वार्ड–5 (मोडल टाउन) – 7674
6. वार्ड–6 (शक्ति नगर) – 6982
7. वार्ड–7 (त्रि–नगर) – 7432
8. वार्ड–8 (शकूर बस्ती) – 6070
9. वार्ड–9 (पंजाबी बाग) – 7377
10. वार्ड–10 (गुरु हरकिशन नगर) – 9525
11. वार्ड–11 (चंदर विहार) – 9651
12. वार्ड–12 (देव नगर) – 8825
13. वार्ड–13 (राजिंदर नगर) – 7027
14. वार्ड–14 (कनॉट प्लेस) – 8197
15. वार्ड–15 (रमेश नगर) – 8184
16. वार्ड–16 (टैगोर गार्डन) – 9052
17. वार्ड–17 (रघुबीर नगर) – 8602
18. वार्ड–18 (राजौरी गार्डन) – 10932
19. वार्ड–19 (हरी नगर) – 7893
20. वार्ड–20 (फतेह नगर) – 10426

21. वार्ड–21 (ख्याला) – 9393
22. वार्ड–22 (शाम नगर) – 8725
23. वार्ड–23 (विष्णु गार्डन) – 10178
24. वार्ड–24 (रवि नगर) – 9433
25. वार्ड–25 (तिलक नगर) – 8082
26. वार्ड–26 (संत गढ़) – 9337
27. वार्ड–27 (तिलक विहार) – 9045
28. वार्ड–28 (गुरु नानक नगर) – 9633
29. वार्ड–29 (कृष्णा पार्क) – 7462
30. वार्ड–30 (विकास पुरी) – 6400
31. वार्ड–31 (उत्तम नगर) – 5901
32. वार्ड–32 (जनक पुरी) – 8410
33. वार्ड–33 (शिव नगर) – 9619
34. वार्ड–34 (सरिता विहार) – 7021
35. वार्ड–35 (लाजपत नगर) – 6381
36. वार्ड–36 (सफदरजंग एन्क्लेव) – 7647
37. वार्ड–37 (मालवीय नगर) – 8131
38. वार्ड–38 (ग्रेटर कैलाश) – 5853
39. वार्ड–39 (कालका जी) – 9481
40. वार्ड–40 (जंगपुरा) – 8512

41. वार्ड–41 (नविन शाहदरा) – 5699
42. वार्ड–42 (रोहिणी) – 7116
43. वार्ड–43 (रोहिणी) – 8815
44. वार्ड–44 (रोहिणी) – 9094
45. वार्ड–45 (रोहिणी) – 9355
46. वार्ड–46 (रोहिणी) – 8925;

(ख) गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय द्वारा वोटर कार्ड जारी नहीं किए गये हैं;

(ग) पिछली बार वोटर लिस्ट का रिविजन सन 2016 में किया गया था;

वोटर रिवीजन की प्रक्रिया दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के चुनाव के कुछ समय पहले शुरू की जाती है। दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों का अगला चुनाव सन 2021 में होना है;

(घ) जी नहीं;

(ङ) ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए निदेशालय में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है;

(च) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है;

(छ) आखिरी बार वार्ड की डी लिमिटेशन–सन 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुद्वारा वार्डों में मतदाताओं की संख्याओं की विसंगति को दूर करने के लिए की गई थी;

वार्ड अनुसार पूर्ण ब्यौरा के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र संख्या 27 दिनांक 05 मार्च 2015 की प्रतिलिपि संलग्न है;

(ज) दिल्ली में गुरुद्वारा निदेशालय में कुल 5 दल रजिस्टर्ड हैं;

(झ) पिछले चुनावों में कुल 45.68 प्रतिशत वोटिंग हुई; और दल के अनुसार पूर्ण ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

1. शिरोमणि अकाली दल – 43.88%
2. शिरोमणि अकाली दल दिल्ली – 29.86%
3. पंथक सेवा दल – 8.38%
4. अकाल सहाय वेलफेयर सोसाइटी – 3.14%
5. आम अकाली दल – 0.74%

170. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिविल डिफेन्स के कुल कितने वालंटियर 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2018 के बीच पंजीकृत किए गए, कितने प्रशिक्षित किए गए एवं कितने वालंटियर किसी कार्य पर लगाए गए? कृप्या जिलावार एवं विधान सभावार पूर्ण विवरण दें;

(ख) तिमारपुर विधान सभा (डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल) के कुल कितने सिविल डिफेंस वालंटियर को किसी कार्य में संलग्न किया गया, इसका पूर्ण विवरण 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2018 तक का उपलब्ध कराएं?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

माननीय उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि भ्रम जुमला पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा फैलाया जा रहा है। ये मैं कुछ तथ्य राना चाह रहा था यहाँ पर, 04.12.2015 को इस विधान सभा ने जनलोकपाल बिल पारित किया था। उसके बाद उसको नियमानुसार केन्द्र सरकार के पास भेजा गया एलजी साहब के माध्यम से और लगभग पौने दो साल बाद 23.082017 को केन्द्र सरकार के यहाँ से जवाब आया, वाया एल जी साहब, सरकार के पास जवाब आया, उसकी एक लाइन मैं पढ़ना चाहता हूँ क्यों यह पूर्ण राज्य के मसले पर मैंने बोला और क्यों यह मुद्दा बहुत रिलेवेंट है कि अगर आज दिल्ली में पूर्ण राज्य होता तो दिसंबर, 2015 अधिकतम जनवरी, 2016 तक दिल्ली में लोकपाल लागू हो गया होता और कई भ्रष्ट लोग, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऊपर से नीचे तक, जेल में होते। यह मेंने कहा था, जिम्मेदारी के साथ उसको दोहराते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ क्योंकि जो केन्द्र सरकार की तरफ से मतलब सरकार को कहा गया, वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर कि 'The bill have been result for the consideration of the President is being examined in consultation with the concerned Central department.

However the technical issue regarding lack of legislative compitance of Delhi Assembly need to be further delebrated in details.'

मतलब दिल्ली विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में यह बात आ रही है कि नहीं आ रही है, इसी पर सवाल उठाया गया है। अब इसलिए वो दिल्ली सरकार के पास में है क्योंकि यहाँ तो विधान सभा के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठा रही है केन्द्र सरकार। ये कह रहे हैं, 'आप दबा कर बैठे

हो।' हम कह रहे हैं, वो अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा रही है, अधिकार क्षेत्र पर अगर सवाल उठाया जाएगा तो यह बात तो कहनी पड़ेगी न कि अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो जन लोकपाल बिल 04.12.2015 को जो पास किया गया जन लोकपाल बिल दिसंबर, 2015 के महीने में ही और अधिकतम एक महीने के अंदर–अंदर यहाँ लागू हो गया होता। नहीं आज लागू हो पाया तो इसलिए कि पौने दो साल बाद, दो साल बाद केन्द्र सरकार उस पर जागती है। उसके पास में कोई झूठी कंप्लेट कर दो जी, वो फलाने विधायक के घर के सामने, फलाने आदमी ने कंप्लेट की, फलाने पुलिस वाले के पास कंप्लेट पहुँच गई है पूरी सीबीआई, पूरी सारी लॉबी जितने भी तंत्र हैं, सब दौड़ पड़ते हैं, 'चलो मिल गया, मिल गया, मिल गया, एक बहाना मिल गया।' वो सब है। लेकिन काम करने की बात जब आती है एक्चुअली भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट लोगों को पकड़ने की बात जब आती है, उसके लिए जब जन लोकपाल बनाने की बात आती है तो पौने दो साल तक केन्द्र सरकार न जाने कौन सी नींद सोती रही। उसके लिए मेरे पास कोई उपमा नहीं है। केन्द्र सरकार किसी राज्य सरकार के पास प्रस्ताव पर, राज्य सरकार के बिल पर वो भी भ्रष्टाचार विरोधी बिल पर पौने दो साल तक सोती रहे, वहाँ यह सवाल तो उठना लाजिमी है कि क्यों पौने दो साल तक केन्द्र सरकार दिल्ली के जनलोकपाल बिल पर सोती रही और फिर भी बाद में सोने के बाद भी जब जागे तो कुछ मिलाकर करवट बदलते हुए यह पूछ लिया कि अच्छा आपकी लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस है कि नहीं है, इस पर डेलिब्रेट होना चाहिए। जनलोकपाल पर बात नहीं हो रही, जनलोकपाल के प्रावधानों पर चर्चा नहीं हो रही, भ्रष्टाचारियों को कैसे जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, जनलोकपाल में कोई कमी रह गई क्या, इस पर कोई जिक्र नहीं है। पौने दो साल तक केन्द्र सरकार नींद में सोती रही और पौने दो साल के बाद जाग कर

दूसरी करवट लेकर सो गई दोबारा से यह पूछ कर, ''लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस'' है? भैया, इस पर डेलिब्रेशन होना है। इस पर क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि जन लोकपाल लागू हो गया होता अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता। यह मैं सदन के रिकॉर्ड में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि महा झूठ फैलाया जा रहा है नेता, प्रतिपक्ष द्वारा। जैसा कि वो हर बार करते हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के बारे में बोला फीस के बारे में, वो इसके बारे में बोल रहे हैं, महा झूठ फैला रहे हैं नेता, प्रतिपक्ष।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

माननीय अध्यक्षः अब श्री सत्येंद्र जैन जी, माननीय ऊर्जा मंत्री कार्य सूची में दर्शाए गए अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ* सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँः

(क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियाँ)

(ख) ''दिल्ली विष धरण एवं बिक्री नियम, 2015'' से संबंधित अधिसूचना संख्या एफ 8/मिस./2012/एच.पी.–II/6985–96 दिनांक, 25 अगस्त, 2017 (अंग्रेजी प्रति)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिनांक 06 जून, 2018 को प्रस्तुत संकल्प की

---

* पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20473–74 पर उपलब्ध।

विषय–वस्तु में संशोधन का नोटिस दिया है। संशोधित विषय–वस्तु आप सभी को वितरित कर दी गई है, जिस पर सोमवार को चर्चा होगी। नितिन त्यागी जी, अब आप बताइये क्या कह रहे थे?

श्री नितिन त्यागीः सर, मैंने कल एक रूल नंबर 66 पर...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं।

श्री नितिन त्यागीः अच्छा, इसके लिए, सर राजेश ऋषि जी के बड़े भाई का आज सुबह डेढ़ बजे निधन हो गया था। 4 बजे उनकी अंत्येष्टि है और उसके लिए सभी विधायक जाना चाहेंगे तो मैं यह चाहूँगा कि अगर कार्यवाही को आज स्थगित करके और मंडे को कन्टिन्यू किया जाए।

माननीय अध्यक्षः नितिन त्यागी जी ने जो बात सदन के सामने रखी है, सदन अगर सहमत है तो सदन को 11 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जा सकता है।

अगर सदन सहमत है तो हाँ कहें,

सदन असहमत है तो ना कहें,

(सदस्यों के समवेत स्वर में हाँ कहने पर)

अतः अब सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 11 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 11 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–02) शुक्रवार, 08 जून, 2018 / 18 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक–84

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–10
3.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (41, 43, 47 एवं 49)	11–52
4.	ताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (42, 45, 46 एवं 50 से 60 (44 और 54 को छोड़कर))	53–76
5.	अताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (111 से 170 (120 और 170 को छोड़कर))	77–251
6.	माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य (जन लोकपाल विधेयक के संबंध में)	252–253
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	254–255

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।